[2021] 4 एस. सी. आर. 532

पी. ए. एस. एल. विंड समाधान निजी सीमा

वी.

जीई पावर कन्वर्जन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(2021 की सिविल अपील संख्या 1647)

20 अप्रैल, 2021

[रोहिंटन फाली नरीमन, बी. आर. गवई और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

एसएस। 44 , 2 (1) (च), 2 (2), 49-विदेशी अधिनिर्णय का प्रवर्तन-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी, दो भारतीय कंपनियों के बीच विवाद,

जिसमें प्रत्यर्थी कंपनी, एक फ्रांसीसी कंपनी की सहायक कंपनी

प्रदान किए गए पक्षों द्वारा निपटान समझौते का निष्पादन

इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार ज्यूरिख में मध्यस्थता के लिए-पक्षकारों द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा विवाद को हल करने के लिए सहमत होना

आई. सी. सी. और मूल कानून भारतीय कानून होगा-प्रतिवादी ने इस आधार पर अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी कि दो भारतीय पक्ष

विदेशी सीट नहीं चुन सकते थे-हालाँकि, मध्यस्थ अभिनिर्धारित किया कि निपटान समझौते में मध्यस्थता खंड वैध है

और शासी कानून को स्विस कानून होना चाहिए क्योंकि मध्यस्थता का स्थान ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड था, हालांकि मुंबई को स्थान के रूप में नामित किया गया था-प्रतिवादी के पक्ष में अंतिम निर्णय पारित किया गया-प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रवर्तन कार्यवाही दायर की, जबकि अपीलकर्ता ने अंतिम निर्णय को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन को बरकरार रखा-अपील पर, कहा गया: मध्यस्थता की सीट ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में बनी हुई है और सुनवाई का स्थान मुंबई, भारत होगा-निकटतम कनेक्शन परीक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि सीट नामित की गई थी

पक्षकारों द्वारा और न्यायाधिकरण द्वारा-अधिनियम का भाग I और भाग II परस्पर अनन्य हैं-यह नहीं कहा जा सकता है कि एस के लिए परंतुक। 2 (2) एक सेतु है जो भाग II को भाग I से जोड़ता है-इसके

अलावा, विवाद हैं दो व्यक्तियों के बीच-दो भारतीय कंपनियाँ, और मध्यस्थता पक्षों द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर आयोजित की जाती है, अर्थात ज्यूरिख,

स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के एक हस्ताक्षरकर्ता-संदर्भ

एस. 44 पक्ष-तटस्थ है, उस स्थान का संदर्भ है जहाँ पुरस्कार दिया जाता है-मायावी अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति" s में दिखाई देती है। 23 अनुबंध अधिनियम की एक सापेक्ष अवधारणा है जो संशोधन करने में सक्षम है

532 पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

दोनों में से कुछ भी नहीं है। 23 या एस। 28 जो दो भारतीयों को रोकता है

पक्षकारों को अपने विवादों को भारत के बाहर एक तटस्थ मंच पर मध्यस्थता कराने से-पार्टी की स्वायत्तता को प्रभाव दिया जाना है,

मध्यस्थता की परेशान करने वाली और मार्गदर्शक भावना-प्ली दैट एस। 10 में से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम लागू होगा, और इस प्रकार, आक्षेपित

निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के बिना था, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है-इस प्रकार, दो भारतीय पक्ष एक विदेशी सीट का चयन कर सकते हैं

मध्यस्थता जिस पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन लागू होता है और पुरस्कार

इस तरह के मंच द्वारा पारित भारत में लागू करने योग्य है-विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर समझौता, 1958 -

अनुबंध अधिनियम, 1872-ss. 23 और 28-वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक

उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग। 10 .

एस. 44 – विदेशी पुरस्कार-का अर्थ-आवश्यक सामग्री

- समझाया गया।

एस. 2 (1) (च)-अभिव्यक्ति "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता"

- की परिभाषा।

एस. 28 (1) (क)-विवाद के विषय पर लागू नियम

-

एस की व्याख्या। 28 (1) (क)-आयोजितः एस. 28 (1) (क) में दो भारतीय पक्षों के बीच आयोजित किए जा रहे मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं देता है

भारत के अलावा अन्य देश-इसे दो भारतीयों को रोकने के लिए नहीं माना जा सकता है।

भारत के अलावा किसी अन्य देश में तटस्थ मंच पर अपने विवादों को हल करने से पक्षकार।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 समझौता समझौते का खंड 6 होगा

दिखाएँ कि मध्यस्थता का समाधान "ज्यूरिख में" के अनुसार किया जाना है आई. सी. सी. के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के साथ। के अनुसार

बेशक ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड बना हुआ है। यह व्यवस्था की गई है दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया। [पैरा 7,8] [561-ई-एफ; 562-सी-ई, एफ-जी]

1.2 निकटतम कनेक्शन परीक्षण केवल तभी लागू होगा जब यह है

यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टियों या [2021] 4 एस. सी. आर. द्वारा एक सीट नामित की गई है।

न्यायाधिकरण द्वारा। इस मामले में सीट को स्पष्ट रूप से नामित किया गया है।

दोनों पक्षों द्वारा और न्यायाधिकरण द्वारा, और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार, इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि तत्काल मामले के तथ्यों में मध्यस्थता का स्थान मुंबई होना चाहिए। [पारस 9,10] [562-एच; 563-ए, सीजे

एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम एनरकॉन जीएमबीएच (2014) 5 एससीसी 1

: [2014] 2 एससीआर 855-विशिष्ट।

मनकस्तु इम्पेक्स (पी) लिमिटेड बनाम एयरविजुअल लिमिटेड (2020) 5 एससीसी

399 संदर्भित किया गया।

2.1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 चार भागों में है। भाग I उन मध्यस्थताओं से संबंधित है जहाँ स्थान भारत में है और विदेशी मध्यस्थता के लिए कोई आवेदन नहीं है। अतः यह मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित एक पूर्ण संहिता है।

बिल्कुल भी कार्यवाही। यह केवल भारत में परिभाषित विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से संबंधित है। धारा 45 अकेले पक्षकारों को उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से संबंधित है। इस अपवाद को छोड़कर, किसी भी मामले में, भाग II बाहर के देश में शुरू होने के बाद मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। भारत। [पैरा 11] [563-डी-एफ]

2.2 1996 के मध्यस्थता अधिनियम से पहले भी, भारत,

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक, जिसके अनुसार कानून बनाया गया और 1961 में विदेशी पुरस्कार अधिनियम लागू किया गया। विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 6 के तहत, जहां अदालत संतुष्ट है कि विदेशी पुरस्कार लागू करने योग्य है, अदालत पुरस्कार दायर करने का आदेश देगी और पुरस्कार के अनुसार निर्णय देने के लिए आगे बढ़ेगी। यह प्रावधान है - चूंकि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा समाप्त कर दिया गया है क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 49 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पुरस्कार को न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। इसके बाद, विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 उन आधारों की गणना करती है जिन पर ऐसे विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार किया जा सकता है। जाहिर है, पहले की व्यवस्था के तहत, मध्यस्थता अधिनियम, 1940, जो केवल घरेलू पुरस्कारों से संबंधित था, और विदेशी पुरस्कार पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के बीच कोई ओवरलैप नहीं था।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

एक्ट करें। यह स्थिति वर्तमान मध्यस्थता अधिनियम में जारी है, जिसके भाग I और भाग II को पारस्परिक रूप से अनन्य माना गया है। इस मामले में, किसी भी प्रस्तुति को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है जो भाग I और II के बीच की दीवार को तोड़ देगा। यह निवेदन कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (2) का परंतुक एक सेतु है जो दोनों भागों को जोड़ता है, खारिज कर दिया जाता है। वास्तव में, धारा 2 (2) में विशेष रूप से कहा गया है कि भाग I केवल वहीं लागू होता है जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है। यह तय कानून है कि एक परंतुक मुख्य अधिनियमन प्रावधान से परे नहीं जा सकता है। [पैरा 12,13] [563-एफ-जी; 564-बी-डी; 567-जी-एच]

भारत एल्यूमीनियम कं. वी. कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. (2012) 9 एससीसी 552: [2012] 12 एससीआर 327

- पीछा किया।

भारत संघ बनाम। दिलीप कुमार सिंह (2015) 4 एससीसी 421: [2015] 2 एस. सी. आर. 882; डी. एम. आर. सी. बनाम तरुण पाल सिंह (2018) 14 एस. सी. सी. 161: [2017] 14 एस. सी. आर. 202; कांडला निर्यात निगम। वी. ओ. सी. आई. कार्पोरेशन। (2018) 14 एससीसी 715: [2018] 1 एस. सी. आर. 915; माविलयी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, कालीकट 2021 एससीसी

ऑनलाइन एससी 16 पर भरोसा किया गया।

2.3 वास्तव में, मध्यस्थता और सुलह द्वारा धारा 2 (2) में परंतुक को शामिल करने का कारण

(संशोधन) अधिनियम, 2015 इसलिए था क्योंकि भाटिया इंटरनेशनल के मामले में निर्णय ने यह अभिनिर्धारित करके जल को गन्दा कर दिया था कि धारा 9 उन मध्यस्थताओं पर लागू होगी जो भारत के बाहर उस प्रभाव के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान के बिना होती हैं। भाटिया के मामले में फैसले को बाल्को के मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इसके अनुसार, अब एक परंतुक है

धारा 2 (2) में जोड़ा गया है जो केवल यह स्पष्ट करता है कि जहां, भारत के बाहर होने वाले मध्यस्थता में, किसी एक पक्ष की संपत्ति भारत में स्थित है और ऐसी संपत्ति के संरक्षण सहित अंतरिम आदेश की आवश्यकता है, भारत में अदालतें ऐसे आदेश पारित कर सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" अभिव्यक्ति विशेष रूप से भारत के बाहर मध्यस्थता के स्थान के संदर्भ में बोली जाती है, जिसका परिणाम ऐसे स्थान पर किया जाने वाला एक मध्यस्थ पुरस्कार है, लेकिन जिसे मध्यस्थता अधिनियम के भाग II के प्रावधानों के तहत लागू और मान्यता प्राप्त है। इस [2021] 4 एस. सी. आर. का संदर्भ

इसलिए, अभिव्यक्ति संदर्भ से अलग है

में निहित "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" की परिभाषा

वाणिज्यिक मध्यस्थता "इसमें निहित है जो इस अर्थ में पक्ष-केंद्रित है कि मध्यस्थता समझौते के पक्षों में से कम से कम एक व्यक्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक या आदतन निवासी हो। दूसरी ओर, जब भारत के बाहर होने के संदर्भ में "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" की बात की जाती है, तो यह स्थान-केंद्रित होता है जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 द्वारा प्रदान किया गया है। यह अभिव्यक्ति, इसलिए, केवल इसका अर्थ है कि यह एक मध्यस्थता है जो भारत के बाहर एक क्षेत्र में दो पक्षों के बीच होती है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है, इस प्रकार इसे एक "अंतर्राष्ट्रीय" वाणिज्यिक मध्यस्थता बनाता है। [पैरा 14] [568-बी-एच]

भारत एल्यूमीनियम कं. वी. कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. (2012) 9 एससीसी 552: [2012] 12 एससीआर 327; भाटिया इंटरनेशनल बनाम। थोक व्यापार एस. ए. (2002) 4 एससीसी

105 [2002] 2 एस. सी. आर. 411-संदर्भित।

3.1 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 के तहत, एक विदेशी पुरस्कार

कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच मतभेदों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार के रूप में परिभाषित किया गया है

भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक, मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में, जिसके लिए न्यूयॉर्क

कन्वेंशन लागू होता है और केंद्र सरकार के रूप में ऐसे क्षेत्रों में से एक में, अधिसूचना द्वारा, उन क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाता है जिन पर उक्त कन्वेंशन लागू होता है। इस प्रकार, धारा 44 के तहत किसी पुरस्कार को विदेशी पुरस्कार के रूप में नामित करने के लिए चार तत्व आवश्यक हैं: विवाद को वाणिज्यिक माना जाना चाहिए।

भारत में लागू कानून के तहत विवाद, यह मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में किया जाना चाहिए, यह होना चाहिए

"व्यक्तियों" (उनकी राष्ट्रीयता, निवास या अधिवास को ध्यान में रखे बिना) के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद और मध्यस्थता

एक ऐसे देश में आयोजित किया जाता है जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है। सामग्री (i) निस्संदेह इस मामले के तथ्यों पर संतुष्ट है। पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के खंड 6 को देखते हुए सामग्री (ii) संतुष्ट है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

निपटान समझौता। सामग्री (iii) और (iv) इस मामले के तथ्यों पर भी संतुष्ट हैं क्योंकि विवाद दो व्यक्तियों, यानी दो भारतीय कंपनियों के बीच हैं, और मध्यस्थता पक्षों द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर आयोजित की जाती है, यानी ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है। [पैरा 21] [574-बी-जी]

3.2 धारा 44 का संदर्भ पक्ष-तटस्थ है, जिसमें

उस स्थान का संदर्भ जहाँ पुरस्कार दिया जाता है। इस कारण से, इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि धारा 44 के आधार को तब बदला जाना चाहिए जब दो भारतीय नागरिकों के विवादों का समाधान भारत के बाहर किसी देश में किया जाए; और यह कि "जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो" अभिव्यक्ति को उन देशों में सीट उन्मुख प्रावधान से एक व्यक्ति उन्मुख प्रावधान में परिवर्तित करके धारा 44 के आधार को पूर्ववत करने के लिए माना जा सकता है जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं जिसमें मध्यस्थता समझौते के पक्षों में से एक को विदेशी नागरिक या भारत के बाहर आदतन निवासी होना चाहिए। किसी भी मामले में, धारा 44 का संदर्भ भाग I में एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के संदर्भ से बहुत दूर है जिसे इन उद्देश्यों के लिए परिभाषित किया गया है।

धारा 11, धारा 28, धारा 29ए (1), धारा 34 (2ए) और धारा 431, जो सभी भाग I में आते हैं और भारत में होने वाले मध्यस्थताओं से संबंधित हैं। इसके अलावा, अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में धारा 44 में "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" अभिव्यक्ति को शारीरिक रूप से आयात करना शामिल होगा, जो धारा 44 के शुरुआती शब्दों, "इस अध्याय में" जो कि भाग II का अध्याय I है, के कारण नहीं किया जा सकता है और फिर परिभाषा को लागू किया जा सकता है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (च) में निहित, जो भाग 1 तक सीमित होने के कारण अब भाग 2 पर लागू होनी चाहिए। व्याख्या का कोई सिद्धांत इस तरह के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। ए.

विदेशी पुरस्कार को केवल इसलिए लागू करने से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विदेशी पुरस्कार अधिनियम के समान सामग्री प्रावधानों के तहत दो भारतीय पक्षों के बीच किया गया था। यह न्यायालय इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता है कि एटलस के मामले को एक मामला नहीं माना जा सकता है।

इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण कि अनुबंध अधिनियम की धारा 23 और 28 जब विदेशी पुरस्कार अधिनियम, 1961 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने की बात आती है, तो नुकसान के रास्ते से बाहर हैं, जहां दोनों पक्ष भारतीय कंपनियां हैं। [पैरा 25,26,28 और 30] [579-बी-सी; 580-सी-एफ; 583-ए-बी; 584-एफ-जी] [2021] 4 एस. सी. आर.

एटलस निर्यात उद्योग बनाम। कोटक एंड कंपनी (1999) 7 एससीसी

61 [1999] 2 पूरक। एस. सी. आर. 192-पर निर्भर।

वैनगार्ड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम फ्रेजर

और रॉस [1960] 3 एससीआर 857; बेनेट कोलमैन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम। पुण्य प्रिया दास गुप्ता (1969) 2 एस. सी. सी. 1: [1970] 1 एस. सी. आर. 181; एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड बनाम। सीआईटी (1997) 3 एससीसी 472: [1997] 2 एससीआर 780; एस. के. गुप्ता बनाम केपी.

जैन (1979) 3 एससीसी 54: [1979] 2 एस. सी. आर. 1184; राज्य

गुजरात बनाम. मनोहरसिंहजी प्रद्युम्नसिंहजी जडेजा

(2013) 2 एससीसी 300: [2012] 11 एस. सी. आर. 507; शायरा बानो बनाम। भारत संघ (2017) 9 एससीसी 1: [2017] 9 एससीआर 797

- संदर्भित किया गया। जैकब्स बनाम। लंदन काउंटी काउंसिल (1950) 1 सभी ई. आर. 737

- संदर्भित किया गया।

3.3 अमेरिकी कानून के तहत, दो अमेरिकी नागरिकों के बीच किया गया मध्यस्थता समझौता या पुरस्कार न्यूयॉर्क कानून के तहत नहीं आएगा।

कन्वेंशन जब तक कि इस तरह के संबंध में स्थित संपत्तियां शामिल न हों

विदेश में, विदेश में होने के लिए अमेरिका में किए गए अनुबंध के प्रदर्शन की परिकल्पना की जाती है, या एक या अधिक विदेशी राज्यों के साथ कुछ उचित संबंध है। भारत में इस तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन को स्वीकार किया और विदेशी पुरस्कार अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 लागू किया। इसके विपरीत, धारा 44 में उल्लिखित "व्यक्तियों" का राष्ट्रीयता, निवास या अधिवास का कोई संदर्भ नहीं है। यह एक और महत्वपूर्ण संकेत है

तथ्य यह है कि, यू. एस. संहिता के विपरीत, मध्यस्थता की धारा 44 अधिनियम में ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई है। [पैरा 31,32] [584-जी-एच; 585-ए, डी-ई]

3.4 एक बार जब यह पाया जाता है कि पक्षों ने आपसी समझौते से मध्यस्थता द्वारा अपने विवाद को हल करने का फैसला किया है और जब वे

उनके अपने, एक विदेशी देश में मध्यस्थता का स्थान चुन लिया, फिर एस के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। 2 (2) 1996 के अधिनियम का भाग-1 ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में नहीं है और यदि भाग-1 लागू नहीं होता है और यदि समझौता -

प्रश्न एस की आवश्यकता को पूरा करता है। 44 तब भाग II लागू होगा और जब भाग II लागू होता है और यह पाया जाता है कि समझौता शून्य या शून्य या निष्क्रिय नहीं है, तो एस के तहत बनाया गया बार। 45 खेल में आएगा और यदि बार एस के तहत बनाया गया है। 45 खेल में आता है तो यह पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

एक मामला जहां नीचे दिए गए न्यायालय के पास संदर्भित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था

एस के तहत बाधा के रूप में मध्यस्थता के लिए पक्षकार। 45 यह भी लागू होगा और मुकदमा स्वयं रखरखाव योग्य नहीं था। [पैरा 33] [594-ए-डी]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। संबद्ध ठेकेदार (2015)

1 एससीसी 32: [2014] 10 एस. सी. आर. 426-पर निर्भर।

सासण पावर लिमिटेड बनाम। उत्तरी अमेरिकी कोयला

निगम (भारत) प्रा. लिमिटेड 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन एमपी 7417 - मंजूरी दे दी गई।

टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम यूई डेवलपमेंट इंडिया (पी) लिमिटेड (2008) 14 एससीसी 271: [2008] 8 एस. सी. आर. 775-खारिज कर दिया गया।

सेवन आइलैंड्स शिपिंग लिमिटेड बनाम साह पेट्रोलियम लिमिटेड (2012) 5 माह एलजे 822; मेसर्स। आधार मर्केंटाइल प्रा. लि. लिमिटेड वी. श्री जगदम्बा एग्रीको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लि.

2014 का मध्यस्थता आवेदन संख्या 197 (पर निर्णय लिया गया)

12.06.2015) - अस्वीकृत।

फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333 [2011] 11 एस. सी. आर. 1; जी. एम. आर. एनर्जी लिमिटेड बनाम। डूसन पावर सिस्टम्स इंडिया CS (COMM) 447/2017 (14.11.2017 पर तय किया गया; ढोली स्पिंटेक्स v. लुई ड्रेफस CS (COMM) 286/2020 (24.11.2020 पर तय किया गया) -

संदर्भित किया गया।

" मान्यता पर न्यूयॉर्क सम्मेलन और

प्रोफेसर पीटर सैंडर्स द्वारा विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों का प्रवर्तन (नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय कानून समीक्षा, खंड 6, अंक 1, मार्च 1959); गैरी बी. बोर्न (वोल्टर्स) द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" क्लूवर, थर्ड एडन। , 2021) – संदर्भित किया गया।

4.1 अपीलार्थी का निवेदन कि भले ही एटलस के मामले को एक बाध्यकारी उदाहरण के रूप में लिया जाना है, इसमें इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 23 का उल्लंघन कैसे नहीं किया गया है और यह किसी भी मामले में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) और धारा 34

(2 ए) के आधार पर प्रस्तुत करने से संबंधित नहीं है। अनुबंध [2021] 4 एस. सी. आर. की धारा 23 में दिखाई देने वाली मायावी अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति"।

अधिनियम एक सापेक्ष अवधारणा है जो विज्ञान और कानून में मानव जाति द्वारा की गई प्रगति के अनुरूप संशोधन करने में सक्षम है। [पारस 38,39] [602-सी-डी; 603-सी-डी]

4.2 अनुबंध की स्वतंत्रता को जनता को स्पष्ट और निर्विवाद नुकसान के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है, भले ही किसी विशेष मामले के तथ्य सार्वजनिक नीति के अच्छी तरह से स्थापित 'शीर्ष' में उल्लिखित स्पष्ट सिद्धांतों के भीतर नहीं आते हों। इसके बाद जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या भारत की सार्वजनिक नीति में कुछ ऐसा है, जैसा कि समझा जाता है, जो दो भारतीय व्यक्तियों की पार्टी की स्वायत्तता को बाधित करता है, जो अपने विवादों को भारत के बाहर एक तटस्थ मंच पर मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हैं। [पैरा 49] [612-एफ-जी]

एटलस निर्यात उद्योग बनाम। कोटक एंड कंपनी (1999) 7 एस. सी. सी. 61 [1999] 2 पूरक। एस. सी. आर. 192; घेरूलाल परख बनाम। महादेव माइया [1959] पूरक 2 एससीआर 406;

मुरलीधर अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1974) 2 एस. सी. सी. 472: [1975] 1 एस. सी. आर. 575; भारत संघ बनाम। गोपाल चंद्र मिश्रा (1978) 2 एस. सी. सी. 301: [1978] 3 एस. सी. आर. 12; केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम। वी. ब्रोजो नाथ गांगुली (1986) 3 एस. सी. सी. 156: [1986] 2 एससीआर 278; रतन चंद हीरा चंद बनाम। अस्कर नवाज जंग (1991) 3 एस. सी. सी. 67: [1991] 1 एस. सी. आर. 327; रेनुसागर पावर कं. लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं. 1994 सप्लीमेंट (1) एससीसी 644: [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 22; पारसी कूप। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम। जिला पंजीयक, सहकारी समिति। सोसायटी (शहरी) (2005) 5 एस. सी. सी. 632 [2005] 3 एस. सी. आर. 592; राजस्थान राज्य बनाम।

बसंत नाहटा (2005) 12 एस. सी. सी. 77: [2005] 3 पूरक। एससीआर 1; वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम। भारत संघ (2012) 6 एससीसी 613: [2012] 1 एससीआर 573

संदर्भित किया गया।

मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट गन्स एंड एम्युनिशन कंपनी v. नोर्डेनफेल्ट [1893] 1 Ch. 630- संदर्भित किया गया।

4.3 यह देखा जा सकता है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 1 से धारा 28 का अपवाद विशेष रूप से उन व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के संदर्भ के बिना दो व्यक्तियों के बीच विवादों के मध्यस्थता को बचाता है जो मध्यस्थता का सहारा ले सकते हैं। यही कारण है कि एटलस के मामले में इस न्यायालय ने धारा 28 के

उक्त अपवाद का उल्लेख किया और पाया कि धारा 23 या धारा 28 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पी. ए. एस. एल. विन्ड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

दो भारतीय पक्षों को भारत के बाहर एक तटस्थ मंच पर अपने विवादों का मध्यस्थता कराने से रोकता है। [पैरा 50] [612-जी-एच; 613-ए]

4.4 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) और धारा 34 (2ए) के विशिष्ट संदर्भ के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि चूंकि दो भारतीय पक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) और धारा 34 (2ए) के मूल कानून से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।

भारत और इसलिए, भारत में मध्यस्थता तक ही सीमित होना चाहिए, भारतीय सार्वजनिक नीति, जैसा कि इन दो धाराओं में परिलक्षित होती है, प्रबल होनी चाहिए, स्वीकार नहीं की जा सकती है। यह देखा जाएगा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए), जब धारा 2 (2), धारा 2 (6) और धारा 4 के साथ पढ़ी जाती है, तो केवल यह स्पष्ट करता है कि जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है, एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (यानी एक मध्यस्थता जहां कोई भी पक्ष, अन्य बातों के साथ, किसी विदेशी देश का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी देश में आदतन निवासी है) के अलावा किसी अन्य मध्यस्थता में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण भारत में उस समय लागू मूल कानून के अनुसार विवाद का फैसला करेगा। [पैरा 51] [613-ए-डी]

4.5 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) दो भारतीयों के बीच किए जा रहे मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं देती है।

अपीलार्थी द्वारा सुझाया गया तरीका। [पैरा 53] [613-ई-एफ] 4.7 यह देखा जाएगा कि जहां भारत का कानून एक निश्चित अधिनियम को प्रतिबंधित करता है, वहां कानून के नियमों का टकराव जैसा कि डाइसी में निर्धारित किया गया है।

आधिकारिक ग्रंथ ज्यादातर मामलों में इस स्थिति का ध्यान रखेगा क्योंकि मध्यस्थ इन नियमों को [2021] 4 एस. सी. आर. के आधार पर लागू करेंगे।

भारत के बाहर दिए गए पुरस्कार में दो भारतीय नागरिकों के बीच उत्पन्न होने वाले मामलों में राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो 1996 के अधिनियम की धारा 44 के तहत "विदेशी पुरस्कार" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। [पैरा 57] [620-जी-एच]

फोस्टर वी। ड्रिस्कॉल 1929 1 किंग्स बेंच 470; रेगाज़ोनी

वी. के. सी. सेठिया [1958] ए. सी. 301-संदर्भित।

कानूनों के टकराव पर डाइसी, मॉरिस और कॉलिन्स

(स्वीट एंड मैक्सवेल, 15 वां संस्करण) – संदर्भित किया गया।

4.8 अन्यथा भी, धारा 48 के तहत एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के खिलाफ एक आधार बनाया जा सकता है जहां

इस तरह का पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा। यदि किसी मामले के तथ्यों पर यह पाया जाता है कि दो भारतीय नागरिकों ने भारत की मौलिक नीति से संबंधित किसी कानून को दरकिनार किया है, तो इस तरह के विदेशी पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (2) (बी) के तहत लागू नहीं किया जा सकता है। इस धारणा पर कि बेनामी लेनदेन अधिनियम का उदाहरण संबंधित है

भारतीय कानून की मौलिक नीति, यदि विदेशी पुरस्कार ऐसी मौलिक नीति के विपरीत है, तो इस तरह के पुरस्कार को भारत में लागू नहीं किया जाएगा। [पैरा 58] [621-ए-सी] 4.9 जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2 ए) के तहत उठाए गए आधार की बात आती है, तो यह स्पष्ट है कि एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, जैसे कि भारत से बाहर रहने वाले एक भारतीय नागरिक और भारत में रहने वाले एक भारतीय नागरिक के बीच, तब भी जब मध्यस्थता भारत में होती है जिसके परिणामस्वरूप भारत में एक निर्णय दिया जाता है, धारा 34 (2 ए) के तहत उपलब्ध आधार उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि यह भारत में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा। भारत के बाहर एक तटस्थ मंच के लिए सहमत होने में, पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत चेरी पर एक काटने के बजाय, जहां भारत में दो भारतीय नागरिकों के बीच मध्यस्थता आयोजित की जाती है [धारा 34 (2 ए) के तहत उपलब्ध पुरस्कार को अलग करने के आधार के साथ], इसके बजाय पार्टियों द्वारा जो रखा जाता है वह चेरी पर दो काटने हैं, अर्थात्, उस देश में उपलब्ध आधारों पर उस देश में पारित मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए भारत के बाहर किसी देश में अदालत या न्यायाधिकरण का सहारा लेना (जो पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. की धारा 34 के तहत उपलब्ध आधारों से अधिक व्यापक हो सकता है)।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

मध्यस्थता अधिनियम), और फिर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में उल्लिखित आधारों के तहत प्रवर्तन का विरोध करना। द.

अनुबंध की स्वतंत्रता और जनता को स्पष्ट और निर्विवाद नुकसान के बीच संतुलन अधिनियम का समाधान अनुबंध की स्वतंत्रता के पक्ष में किया जाना चाहिए क्योंकि दो भारतीय नागरिकों को विदेशी काउंटी की चुनौती प्रक्रिया का लाभ उठाने की अनुमति देने में जनता को कोई स्पष्ट और निर्विवाद नुकसान नहीं होता है, जब उस प्रक्रिया के तहत एक विदेशी पुरस्कार पारित होने के बाद, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में निहित आधारों पर भारत में इसके प्रवर्तन का विरोध किया जा सकता है, जिसमें विदेशी पुरस्कार विपरीत होना शामिल है।

भारत की सार्वजनिक नीति। [पैरा 59] [621-सी-जी]

5. पार्टी को प्रभावी बनाने के लिए अब डेक को साफ कर दिया गया है।

मध्यस्थता में स्वायत्तता। पार्टी की स्वायत्तता को मध्यस्थता की प्रेरक और मार्गदर्शक भावना माना गया है। भारत के बाहर मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करने में पार्टी की स्वायत्तता के रास्ते में कुछ भी नहीं है, भले ही दोनों पक्ष भारतीय हों।

राष्ट्रीयता। [पारस 60,61] [621-जी-एच; 622-ए; 627-ई-एफ]

भारत एल्यूमीनियम कं. वी. कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी

सर्विसेज इंक. (2016) 4 एससीसी 126: [2016] 1 एससीआर 364; सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. v. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (2017) 2 एस. सी. सी. 228: [2016] 9 एससीआर 83-पर भरोसा किया गया।

6.1 अपीलार्थी ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित धारा 10 पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया कि भारतीय नागरिकों के बीच सभी मामलों में जिसके परिणामस्वरूप किसी देश में पुरस्कार दिए जाते हैं।

भारत के बाहर, धारा 10 (3) लागू होगी, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया विवादित निर्णय, अधिकार क्षेत्र के बिना किया गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि जब मध्यस्थता अधिनियम के भाग II के तहत किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, तो धारा 47 के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल उच्च न्यायालय है जो वह न्यायालय है जिसके दरवाजे आवेदक को खटखटाने चाहिए। अपीलार्थी द्वारा यह कहते हुए इसका उत्तर दिया जाना चाहिए कि चूंकि धारा 47 का स्पष्टीकरण वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (3) के साथ सीधे टकराव में है, इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, धारा 10 (3) धारा 47 के स्पष्टीकरण पर प्रबल होगी। [पारस 62,63,69] [627-एफ-जी; 628-जी-एच; 632-डी-ई] [2021] 4 एस. सी. आर.

6.2 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (च) जो "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, केवल एक

सीमित उद्देश्य, अर्थात् मध्यस्थता के भाग I के उद्देश्य के लिए

एक्ट करें। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (2) के तहत, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन सी. पी. सी. और साक्षय अधिनियम, 1872 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस संहिता और अधिनियम में क्रमशः दिए गए हैं। इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम में निहित परिभाषाएँ हैं। [पैरा 64] [629-बी-सी]

6.3 " अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता ", जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (2) के परंतुक में उपयोग किया जाता है, तो यह धारा 2 (1) (च) में निहित परिभाषा का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन इसमें उन मध्यस्थताओं का संदर्भ होगा जो भारत के बाहर होते हैं, ऐसे मध्यस्थताओं में दिए गए पुरस्कार मध्यस्थता अधिनियम के भाग 2 के तहत प्रवर्तनीय होते हैं। यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 10 (1) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं और आवेदनों या अपीलों पर लागू होती है। मध्यस्थता अधिनियम के भाग I और II दोनों के तहत इससे उत्पन्न होना। जब भाग I के तहत ऐसे मध्यस्थताओं से आवेदन या अपीलें उत्पन्न होती हैं, जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है,

निस्संदेह, धारा 2 (1) (च) में "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" की परिभाषा शासित होगी। हालांकि, जब लागू किया जाता है

भाग II के अनुसार, "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" में मध्यस्थता के एक स्थान का संदर्भ है जो भारत के बाहर होने वाले मध्यस्थता के अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय है। इस प्रकार यह समझा जाता है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 47 के स्पष्टीकरण के बीच कोई टकराव नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 के तहत परिभाषित विदेशी निर्णय केवल वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत उच्च न्यायालय में लागू होगा, न कि धारा 10 (2) या धारा 10 (3) के तहत जिला न्यायालय में। [पैरा 66] [629-डी-जी]

6.4 अपीलों और आवेदनों के बारे में मूल कानून मध्यस्थता अधिनियम में निर्धारित किया गया है जबकि शासी प्रक्रिया वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में भी यही निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की तुलना में एक विशेष अधिनियम है जो सामान्य है और जो मध्यस्थता के अलावा अन्य मामलों में अपीलों और आवेदनों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया पर भी लागू होता है। पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. पर ध्यान देना दिलचस्प है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, दोनों 23.10.2015 से लागू हुए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बाद का सामान्य कानून जिसमें एक गैर-अवरोधक खंड शामिल है, भी एक विशेष कानून को ओवरराइड नहीं करता है क्योंकि दोनों को संचालित करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। [पारस 67,68] [629-जी-एच; 630-ए-बी; 631-डी-ई]

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी (2020) 4 एससीसी 234; कांडला

एक्सपोर्ट कार्पोरेशन। वी. ओ. सी. आई. कार्पोरेशन। (2018) 14 एससीसी 715:

[2018] 1 एससीआर 915; आर. एस. रघुनाथ बनाम की स्थिति

कर्नाटक (1992) 1 एस. सी. सी. 335: [1991] 1 पूरक। एससीआर

387 संदर्भित किया गया।

7.1 प्रत्यर्थी ने प्रति-आपत्ति के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के निष्कर्ष को चुनौती दी

कि धारा 9 का आवेदन "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" अभिव्यक्ति के कारण बनाए रखने योग्य नहीं था।

धारा 2 (2) के परंतुक में जिसका अर्थ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (च) द्वारा निर्धारित किया जाना है। कानून का यह दृष्टिकोण गलत है। नतीजतन, निर्णय के इस हिस्से को दरकिनार कर दिया गया है, यह अभिनिर्धारित किया जा रहा है कि धारा 9 के तहत प्रतिवादी द्वारा किया गया आवेदन बनाए रखने योग्य होगा। [पैरा 70] [632-ई-जी] 7.2 एस पर निष्कर्ष को छोड़कर, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार रखा जाता है। 9 प्रत्यर्थी का आवेदन

गैर-रखरखाव योग्य माना जा रहा है। [पैरा 71] [632-जी]

सासण पावर लिमिटेड बनाम। उत्तरी अमेरिकी कोयला निगम (भारत) प्रा. लिमिटेड (2016) 10 एस. सी. सी. 813 [2016] 6 एस. सी. आर. 809 संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 6 एससीआर 809

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.4

(2020) 5 एस. सी. सी. 399

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[2014] 2 एससीआर 855

प्रतिष्ठित

पैरा 9

[2012] 12 एससीआर 327

पीछा किया।

पैरा 12,14

[2015] 2 एससीआर 882

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[2017] 14 एससीआर 202

उस पर भरोसा करें

पैरा

13 [2021] 4

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 1 एससीआर 915

उस पर भरोसा करें

पैरा

13

[2002] 2 एससीआर 411

पैरा

14

संदर्भित किया गया है

[2012] 12 एससीआर 327

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

[1960] 3 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

[1970] 1 एससीआर 181

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

[1997] 2 एससीआर 780

पैरा

24

संदर्भित किया गया है

[1979] 2 एससीआर 1184

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[1999] 2 पूरक। एससीआर 192

उस पर भरोसा करें

पैरा

28

[2012] 11 एससीआर 507

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[2017] 9 एससीआर 797

पैरा

29

संदर्भित किया गया है

[1999] 2 पूरक। एससीआर 192

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

[2011] 11 एससीआर 1

पैरा

33

संदर्भित किया गया है

[2014] 10 एससीआर 426

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[2008] 8 एससीआर 775

खारिज कर दिया गया

पैरा

33

(2012) 5 माह एलजे 822

अस्वीकृत

पैरा

36

[1959] पूरक 2 एस. सी. आर. 406

पैरा

40

संदर्भित किया गया है

[1975] 1 एससीआर 575

संदर्भित किया गया है

पैरा

41

[1978] 3 एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पैरा

42

[1986] 2 एससीआर 278

संदर्भित किया गया है

पैरा

43

[1991] 1 एससीआर 327

संदर्भित किया गया है

पैरा

44

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पैरा

45

[2005] 3 एससीआर 592

संदर्भित किया गया है

पैरा

46

[2005] 3 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

47

[2012] 1 एससीआर 573

संदर्भित किया गया है

पैरा

48

[2016] 1 एससीआर 364

उस पर भरोसा करें

पैरा

60

[2016] 9 एससीआर 83

उस पर भरोसा करें

पैरा 61 पी. ए. एस. एल. वायु समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2020) 4 एससीसी 234

संदर्भित किया गया है

पैरा

67

[2018] 1 एससीआर 915

पैरा

67

संदर्भित किया गया है

[1991] 1 पूरक। एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पैरा

62

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1647

2021 से।

उच्च न्यायालय के 03.11.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के मध्यस्थता अधिनियम संख्या 131 के तहत याचिका में अहमदाबाद में गुजरात सरकार।

तुषार हेमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , धवल शाह, शरविल पाठक, उन्मेश

शुक्ला, सुश्री अदिति सेठ, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री शाहीन पारिख, सुश्री शालका पाटिल,

मेसर्स के लिए सूर्य करण संब्याल, राहुल मंत्री, सुश्री अनुष्का शाह, संबित नंदा। सिरिल अमरचंद मंगलदास, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपील एक दिलचस्प सवाल उठाती है-कि क्या

भारत में निगमित दो कंपनियाँ मध्यस्थता के लिए एक मंच चुन सकती हैं भारत के बाहर-और क्या भारत के बाहर ऐसे मंच पर दिया गया कोई पुरस्कार, जिस पर विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर सम्मेलन, 1958 ["न्यूयॉर्क सम्मेलन"] लागू होता है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["मध्यस्थता अधिनियम"] के भाग II के तहत एक "विदेशी पुरस्कार" कहा जा सकता है और इसे लागू किया जा सकता है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3.1 . अपीलार्थी कंपनियों के अंतर्गत निगमित कंपनी है।

प्रतिवादी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी है। चेन्नई, तमिलनाडु में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ और जनरल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन इंटरनेशनल एसएएस, फ्रांस की 99 प्रतिशत सहायक कंपनी है, जो बदले में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायक कंपनी है।

3.2 . 2010 में, अपीलार्थी ने तीन खरीद आदेश जारी किए

कुछ परिवर्तकों की आपूर्ति के लिए उत्तरदाता। इन खरीद आदेशों के अनुसार, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को छह परिवर्तक की आपूर्ति की।

उक्त परिवर्तकों की वारंटी की समाप्ति के संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न हुआ। इन विवादों को हल करने के लिए, पक्षों ने 23.12.2014 दिनांकित एक निपटान समझौता किया। खंड 5.1 के अधीन और

5.2 निपटान समझौते के अनुसार, प्रत्यर्थी कनवर्टर पैनल के काम करने के लिए इन मॉड्यूल पर वारंटी के साथ कुछ डेल्टा मॉड्यूल प्रदान करने पर सहमत हुआ। निपटान समझौते के खंड 6 में विवाद समाधान खंड शामिल था जो इस प्रकार है:

" 6. शासी कानून और विवाद का निपटान

6.1 इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद को दोनों पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। (मध्यस्थता को संदर्भित करने से पहले विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए कम से कम 60 दिनों का उपयोग किया जाएगा)। 6.2 यदि बातचीत के माध्यम से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, तो सभी विवादों, विवादों या मतभेदों को संदर्भित किया जाएगा और अंत में ज्यूरिख में अंग्रेजी भाषा में मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा।

इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता नियमों के अनुसार, जिन्हें इस खंड में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया माना जाता है। मध्यस्थता

पुरस्कार अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। 6.3 समझौता (यहाँ निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज के साथ) पार्टियों के बीच पूरे समझौते का गठन करता है और यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि कोई भिन्नता नहीं है और/या

इसके संशोधन तब तक प्रभावी होंगे जब तक कि पारस्परिक रूप से सहमति न हो और लिखित रूप में न किए जाएं।

3.3 . निपटान समझौते के अनुसार पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, जिसके तहत अपीलार्थी ने दावा किया कि वारंटी

कनवर्टरों के लिए दिए जाने की उम्मीद नहीं की गई थी, जबकि प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वारंटी में केवल डेल्टा मॉड्यूल शामिल थे

और कन्वर्टर्स नहीं। इस प्रकार, 03.07.2017 पर, अपीलार्थी ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल ["ICC"] को मध्यस्थता के लिए अनुरोध जारी किया। 18.08.2017 पर, पक्ष आईसीसी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा विवादों के समाधान के लिए सहमत हुए। पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई, जैसा कि मध्यस्थता के अनुरोध और मध्यस्थता के संदर्भ की शर्तों में परिलक्षित होता है, कि विवाद पर लागू मूल कानून भारतीय कानून होगा। 3.4 . प्रत्यर्थी ने इस आधार पर मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र

को चुनौती देते हुए एक प्रारंभिक आवेदन दायर किया कि दो भारतीय पक्ष पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मैंने मध्यस्थता का विदेशी स्थान नहीं चुना है। महत्वपूर्ण रूप से, लैंट ने उक्त आवेदन का विरोध किया और जोर देकर कहा कि ऐसा करने के लिए कोई कानून नहीं है। प्रक्रियात्मक आदेश सं. 3 दिनांकित द्वारा। 2018 , विद्वान एकमात्र मध्यस्थ, श्री इयान लियोनार्ड मीकिन ने स्पॉन्डेंट के प्रारंभिक आवेदन को खारिज करते हुए कहा:

" न्यायाधिकरण ने पाया कि दो भारतीय पक्ष भारत के बाहर मध्यस्थता कर सकते हैं। न्यायाधिकरण को आश्वस्त किया जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। भारत संघ (2014) 7 एस. सी. सी. 603 (प्रदर्शनी सी. एल. एम.-3) एक प्रमुख प्राधिकरण है। सासन पावर लिमिटेड में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की है।

वी. नॉर्थ अमेरिकन कोल कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(2016) 10 एस. सी. सी. 813 (आर. एल.-6), जिसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 2016 (2) ए. आर. बी. एल. आर. 1791 (एम. पी.) के समक्ष एक पूर्व उदाहरण में 11.09.2015 पर प्रस्तुत किया, यह अभिनिर्धारित किया कि दो भारतीय कंपनियाँ कर सकती हैं।

भारत के बाहर मध्यस्थता करें।

इसके अलावा, एटलस एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बनाम का पिछला मामला। कोटक एंड कंपनी (1999) 7 एस. सी. सी. 61, जिसे सासन में लागू किया गया था, ने पाया कि एक अनुबंध जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 23 के तहत गैरकानूनी है, क्योंकि यह भारतीय सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है, अमान्य होगा, लेकिन "केवल इसलिए कि मध्यस्थ इस मामले में स्थित हैं।

एक विदेशी देश अपने आप में रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है

मध्यस्थता समझौता जब पक्ष अपनी आँखें खुली रखते हुए स्वेच्छा से समझौते में प्रवेश करते हैं "(पी. 65, निर्णय का पैरा एफ)। यहाँ ऐसा मामला है जहाँ पक्ष स्वतंत्र रूप से सहमत हुए

ज्यूरिख पर मध्यस्थता के स्थान के रूप में।

जी. एम. आर. एनर्जी लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल के एक फैसले में इस स्थिति का पालन किया गया है। डूसन पावर सिस्टम्स इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड 14 नवंबर 2017 को सीएस (कॉम) 447/2017 (आरएल-7) ने दो भारतीय पक्षों को भारत के बाहर मध्यस्थता करने की अनुमति देने के लिए एटलस लागू किया। न्यायाधिकरण प्रत्यर्थी के इस तर्क पर ध्यान देता है कि इस मामले में "अपील किए जाने की उम्मीद है" (प्रत्यर्थी का प्रारंभिक आवेदन दिनांक 9 दिसंबर 2017, पैरा 23) लेकिन न्यायाधिकरण को कानून के साथ व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह वर्तमान में पाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में अंतिम निर्णय किसी भी विस्तृत अपील से पहले होगा।

भारत में जी. एम. आर.

अन्य बातों के साथ-साथ टी. डी. एम. पर निर्भरता में प्रत्यर्थी की दलीलें

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड V.

प्राइवेट लिमिटेड (2008) 14 एस. सी. सी. 271, न्यायाधिकरण के निष्कर्ष में गलत हैं क्योंकि हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि दो भारतीय नागरिकों को, भारतीय कानून के मामले में, भारतीय मूल कानून का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह देश की सार्वजनिक नीति का हिस्सा है, यह मध्यस्थता और मध्यस्थता के बीच अंतर करने में विफल रहता है। लेक्स कारण। वर्तमान मामले में, पक्षों ने एक नहीं चुना है

विदेशी मूल कानून, केवल एक विदेशी सीट। प्रत्यर्थी ने मेसर्स आधार मर्कैंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम पर भी भरोसा किया। श्री जगदम्बा एग्रीको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (2015) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 7752, जिसे प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया, टी. डी. एम. (आर. एल.-4) का अनुसरण करता है। हालाँकि, हालांकि न्यायाधिकरण इस बात से अवगत है कि इस निर्णय की आलोचना की गई है क्योंकि हालाँकि अदालत ने स्पष्ट रूप से यह नहीं पाया कि दो पक्ष बाहर मध्यस्थता का विकल्प नहीं चुन सकते हैं

भारत, अदालत का यह निष्कर्ष कि भारतीय पक्ष भारतीय कानून का अपमान नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह भारतीय सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करेगा

निर्णय की गलत व्याख्या यह दर्शाने के लिए की जा रही है कि भारतीय दल विदेशी सीट का चयन नहीं कर सकते हैं। उस ने कहा, आधार किसी भी मामले में पहली बार निर्णय है और इसके उच्च अधिकारी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय प्रबल है।

अंत में, एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम के मामले। एनरकॉन जी. एम. बी. एच. (2014) 5 एस. सी. सी. 1 और भारत एल्यूमीनियम कंपनी. वी. कैसर एल्यूमीनियम इंक. (2012) 9 एस. सी. सी. 552 ने अपनी प्रस्तुतियों के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया कि भारतीय कानून के तहत निकटतम और सबसे वास्तविक कनेक्शन परीक्षण प्रत्यर्थी की सहायता नहीं करता है क्योंकि वह परीक्षण केवल वहां प्रासंगिक है जहां सीट अस्पष्ट है। इसके अलावा, भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय अधिनियम की धारा 28 की प्रयोज्यता अनुबंध के मूल कानून तक ही सीमित है और यह सीट पर लागू नहीं होती है

मध्यस्थता से। निष्कर्ष

ऊपर बताए गए कारणों के लिए, न्यायाधिकरण इसलिए पाता है कि निपटान समझौते में मध्यस्थता खंड वैध है और स्विस अधिनियम को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा क्योंकि

मध्यस्थता ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है।

3.5 . इस प्रक्रियात्मक आदेश को किसी भी ईएस द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त प्रक्रियात्मक आदेश के अनुसार, मध्यस्थता का केंद्र ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड होना था। प्रत्यर्थी ने मुंबई को एक

सुविधाजनक स्थान के रूप में सुझाव दिया, जिसमें पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के रूप में मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की जा सकती है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इससे लागत में कमी आएगी। अपीलार्थी ने इस सुझाव का विरोध किया। 28.06.2018 दिनांकित मामला प्रबंधन सम्मेलन में, विद्वान मध्यस्थ ने निर्णय लिया कि हालांकि सीट ज्यूरिख में है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए सभी सुनवाई मुंबई में आयोजित की जाएगी। चूँकि पहाड़ मुहम्मद के पास नहीं आया था, मुहम्मद, विद्वान मध्यस्थ के रूप में, पहाड़ पर गए और मुंबई में सुविधाजनक स्थान पर सभी बैठकें आयोजित कीं।

3.6 विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिनांकित एक अंतिम निर्णय पारित किया गया था जिसमें अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया गया था। विद्वान।

मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया:

" क्रियाशील भाग 227.
पूर्वगामी के आधार पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण एतद्द्वारा पाता है,

धारण और आदेश:

प्रारंभिक मुद्दे

A. मध्यस्थता का केंद्र ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड है।

गुणों पर

बी. अनुबंध के उल्लंघन के लिए दावेदार के दावे, नुकसान और

उस पर ब्याज अस्वीकार कर दिया जाता है। दावेदार प्रतिवादी को आई. एन. आर. का भुगतान करेगा।

सी.

25,976, 330.00 और कानूनी लागत में 40 अमेरिकी डॉलर, 000.00
और
संचित ब्याज, यदि कोई हो, वाले व्यय भारतीय ब्याज अधिनियम, 1978 के अनुरूप नहीं हैं।

डी.

किसी भी पक्ष के अन्य सभी दावे, इस हद तक कि वे मौजूद हैं, बर्खास्त कर दिए जाते हैं।

ज्यूरिख में निर्मित, अप्रैल 2019 के इस 18 वें दिन "

3.7 . अंतिम पुरस्कार के पारित होने के बाद, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से उक्त पुरस्कार के माध्यम से दी गई राशि का भुगतान करने का आह्वान किया। के रूप में

अपीलार्थी बाध्य करने में विफल रहा, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 47 और 49 के तहत प्रवर्तन कार्यवाही शुरू की गुजरात उच्च न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में अपीलार्थी की संपत्ति स्थित थी। इस स्तर पर, अपीलार्थी ने पूरी तरह से स्पष्ट किया और जोर देकर कहा कि मध्यस्थता का केंद्र वास्तव में मुंबई था, जहाँ मध्यस्थता कार्यवाही की सभी सुनवाई होती थी। इस प्रकार दावा करते हुए, अपीलार्थी ने [2021] 4 एस. सी. आर. की धारा 34 के तहत उक्त अंतिम निर्णय को चुनौती देते हुए कार्यवाही दायर की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता अधिनियम, जो लघु कारण न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष 2019 का सी. एम. ए. No.18 है, जिसे फिर वाणिज्यिक न्यायालय, अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया और 2020 के सी. एम. ए. No.76 के रूप में पुनर्नामित किया गया। प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ["सी. पी. सी".] के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर एक आवेदन को वाणिज्यिक न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा खारिज कर दिया गया था। वर्तमान में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही और निष्पादन के लिए सी. पी. सी. के आदेश 21 के तहत प्रतिवादी का आवेदन

हमारे समक्ष अपील को देखते हुए अंतिम पुरस्कार स्थगित हैं।

अपीलार्थी का मामला:

4.1 . श्री तुषार हिमानी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया कि दो भारतीय पक्ष भारत के बाहर मध्यस्थता का स्थान नामित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करना भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ["अनुबंध अधिनियम"] की धारा 23 के विपरीत होगा जिसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) और धारा 34 (2 ए) के साथ पढ़ा जाएगा। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, श्री हिमानी ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 ("बेनामी लेनदेन अधिनियम") के प्रावधानों की ओर इशारा किया, जिसे तब दरकिनार नहीं किया जा सकता जब दो भारतीय केवल भारत के मूल कानून को लागू करते हैं। हालाँकि, भारत के बाहर एक सीट नामित करके, यह है

के लिए खुला

दो भारतीय पक्षों को भारत के मूल कानून से बाहर निकलने का विकल्प चुनना जो स्वयं भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

4.2 . इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि भाग के तहत विदेशी पुरस्कारों पर विचार किया गया है

मध्यस्थता अधिनियम का II केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक से उत्पन्न होता है।

विदेशी तत्व यह है कि कम से कम एक पक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक है, या भारत के अलावा किसी अन्य देश में आदतन निवासी है, या भारत के बाहर निगमित एक निकाय है। इस कारण से, वर्तमान मामले में पारित पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम के भाग II के तहत विदेशी पुरस्कार के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है। इसे मजबूत करने के लिए प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया। यू. ई. विकास

इंडिया (पी) लिमिटेड, (2008) 14 एस. सी. सी. 271 ["टी. डी. एम".] और बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो निर्णय।

4.3 . इसके बाद उन्होंने एटलस में इस अदालत के फैसले को अलग करने की मांग की।

निर्यात उद्योग बनाम. कोटक एंड कंपनी, (1999) 7 एस. सी. सी. 61 ["एटलस एक्सपोर्ट"], यह तर्क देते हुए कि पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. की धारा 23 के तहत दिया गया विशिष्ट तर्क।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अनुबंध अधिनियम पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था और यह कि, किसी भी मामले में, अंततः, न्यायालय ने उस मामले में अपीलार्थी को इस याचिका पर विचार करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि इसे नीचे दी गई अदालतों में नहीं लिया गया था।

निगम (भारत) प्रा. लिमिटेड, (2016) 10 एस. सी. सी. 813 ["सासन II"]। 4.5 . मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 की भाषा में, श्री हिमानी ने इस अभिव्यक्ति पर जोर दिया "जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो।

और यह दिखाने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया कि धारा 44 का संदर्भ एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का है और इसलिए, दो भारतीय पक्षों के बीच विदेशी निर्णय पर लागू नहीं हो सकता है। एक विदेशी तत्व की भागीदारी। उन्होंने अगस्त 2014 की भारत के विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट पर भी बहुत भरोसा किया।

मध्यस्थता अधिनियम में संशोधन और विशेष रूप से धारा 2 (1) (ई) के प्रतिस्थापन और धारा 47 के स्पष्टीकरण की सिफारिश की गई। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि ये दोनों संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे कि यह उच्च न्यायालय है जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के सभी मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने यह दिखाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ["यू. एस".] के घरेलू मध्यस्थता कानून पर भरोसा किया कि उक्त कानून के तहत भी, यह केवल तभी होता है जब दो यू. एस. नागरिकों के बीच एक समझौते या पुरस्कार में कुछ विदेशी तत्व शामिल होते हैं कि इस तरह का मध्यस्थता विदेश में हो सकता है। उन्होंने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (2) के परंतुक का उल्लेख करते हुए इन प्रस्तुतियों का समर्थन किया, जो उनके अनुसार, भाग II को भाग I से जोड़ने वाला एक सेतु प्रस्तुत करता है, जिसके परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि धारा 44 केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को संदर्भित करती है, जैसा कि धारा 2 (2) के परंतुक में कहा गया है।

4.6 . इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है, जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा माना गया है, और जब किसी निर्णय में कोई विदेशी तत्व शामिल नहीं है। ज्यूरिख में दो भारतीय कंपनियों के बीच, इस तरह का पुरस्कार मध्यस्थता अधिनियम के भाग I या भाग II के तहत चुनौती या प्रवर्तन का विषय नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.7 . श्री हिमानी ने तब वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील की धारा 10 पर बहुत अधिक भरोसा किया। उच्च न्यायालय प्रभाग अधिनियम, 2015 ["वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम"] जो मध्यस्थता की केवल दो श्रेणियों को मान्यता देता है- अंतर्राष्ट्रीय

वाणिज्यिक मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य। उन्होंने तर्क दिया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (3) और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 47 के बीच टकराव है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व को प्रबल होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 में गैर-अबाधित खंड पर भरोसा किया। यह मामला होने के नाते, किसी भी मामले में, विवादित निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसे अधिकार क्षेत्र के बिना बनाया गया था क्योंकि विवादित फैसले के अनुसार भी, वर्तमान एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का मामला नहीं है, बल्कि इसके बजाय

यह "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य" की दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसके परिणामस्वरूप केवल जिला न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र होगा।

4.8 . अंत में उन्होंने तर्क दिया कि निकटतम कनेक्शन परीक्षण के अनुसार, मध्यस्थता का स्थान केवल मुंबई ही हो सकता है, और इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम पर भरोसा किया। एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1 ["एनरकॉन"]। उनके अनुसार, चूंकि प्रत्येक कारक वर्तमान मामले में मध्यस्थता को भारत से जोड़ता है, जिसमें कोई विदेशी तत्व शामिल नहीं है, इस परीक्षण को लागू करने के लिए, सीट अनिवार्य रूप से मुंबई होगी। नतीजतन, उन्होंने तर्क दिया कि ज्यूरिख, सबसे अच्छा, एक कहा जा सकता है

" स्वागत करने वाली सीट "। ऐसा होने पर, स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम का भाग II लागू नहीं होगा और इस आधार पर भी निर्णय को अलग रखा जाना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे सामने लिखित प्रस्तुतियों में, श्री हिमानी ने बिना किसी पूर्वाग्रह के तर्क दिया कि पुरस्कार मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत लागू नहीं होगा, उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत निष्पक्ष रूप से जोर नहीं दिया।

प्रत्यर्थी का मामला:

5.1 . प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान ने पहले बताया कि अपीलार्थी ने प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 3 के तहत जो मांग की थी, उसके बिल्कुल विपरीत तर्क दिया। मध्यस्थ के समक्ष दिनांकित 20.02.2018। यह तर्क देते हुए कि दो भारतीय कंपनियां भारत के बाहर मध्यस्थता का स्थान रखने के लिए सहमत हो सकती हैं, और यह कि

वर्तमान मामले में, वह सीट ज्यूरिख थी, और मुंबई में होने वाली किसी भी सुनवाई का विरोध करने के बाद, अब अपीलार्थी के लिए इस न्यायालय के समक्ष बिल्कुल विपरीत बहस करने के लिए खुला नहीं होगा क्योंकि अंतिम निर्णय उसके खिलाफ दिया गया था।

पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

5.2 . श्री दीवान ने तब तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम के भाग I और भाग II को पारस्परिक रूप से अनन्य माना गया है और श्री हिमानी के तर्क में निहित मौलिक भ्रांति की ओर इशारा किया गया है।

और मध्यस्थता अधिनियम के भाग I से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की परिभाषा को धारा 44 में इस अभिव्यक्ति के माध्यम से आयात करें "जब तक कि

5.3 . उन्होंने आगे तर्क दिया कि भाग I में धारा 2 (1) (च) में निहित "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" की परिभाषा के विपरीत, राष्ट्रीयता, अधिवास या पक्षों का निवास प्रयोज्यता के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44। वास्तव में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह अब एकीकृत नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से विदेश मंत्रालय के समान सामग्री प्रावधानों के तहत तय किया गया है।

पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 [विदेशी पुरस्कार]

अधिनियम] एटलस (ऊपर) में कहा गया है कि दो भारतीय पक्ष भारत के बाहर एक सीट के साथ मध्यस्थता समझौता कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक पुरस्कार होगा जिसे तब एक विदेशी पुरस्कार के रूप में लागू करना होगा। 5.4 . उन्होंने शासन-1 (ऊपर) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया और तर्क दिया कि, अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के किसी भी निष्कर्ष को खारिज नहीं किया, बल्कि इस आधार पर आगे बढ़ा कि मध्यस्थता केवल दो भारतीय कंपनियों के बीच नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर एक टिप्पणी पर भरोसा करते हुए तर्क दिया, जिसे प्रो। एरिक ई. बर्गस्टन और व्यापार और व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रकाशित

2005 में विकास ["अंतर्राष्ट्रीय पर UNCTAD टिप्पणी वाणिज्यिक मध्यस्थता], कि एक ही राज्य के होने के नाते पक्ष अपने विवादों को राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में हल करने के लिए सहमत हो सकते हैं

जिनसे वे संबंधित हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यूयॉर्क कन्वेंशन तब उपरोक्त विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए लागू होगा।

5.5 . इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि न तो धारा 23 और न ही अनुबंध अधिनियम की धारा 28 मध्यस्थता में विदेशी सीट के चयन को प्रतिबंधित करती है। वास्तव में, अनुबंध अधिनियम की धारा 28 का अपवाद स्पष्ट रूप से धारा 28 के चंगुल से मध्यस्थता को छोड़कर, जो पक्ष की स्वायत्तता के लिए एक स्पष्ट अनुमोदन है जो मध्यस्थता अधिनियम का आधार है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनुबंध अधिनियम की धारा 23, जब यह "सार्वजनिक नीति" की बात करती है, तो जनता को नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट और निर्विवाद मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए और इस प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए कई मामलों का हवाला दिया।

5.6 . किसी भी मामले में, उन्होंने श्री हिमानी के तर्क का विरोध करते हुए बाल्को (ऊपर) के अनुच्छेद 118 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि धारा 28 (1) मध्यस्थता अधिनियम तभी लागू होगा जब मध्यस्थता लागू होगी।

भारत और तब नहीं जब सीट भारत के बाहर हो। समान रूप से, चुनौती के लिए उपलब्ध आधार, जो अब दो पक्षों के अपने मतभेदों को हल करने के लिए विदेश जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध नहीं होंगे, माफ करने योग्य हैं, और दोनों पक्षों ने इस मामले में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत एक पुरस्कार के लिए की जाने वाली चुनौती को दो काटने के साथ प्रतिस्थापित किया है।

चेरी-सबसे पहले, ज्यूरिख में पुरस्कार के लिए स्विस कानून के तहत एक चुनौती द्वारा,

और दूसरा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में निहित आधारों के तहत प्रवर्तन का विरोध करके।

5.7 . इसके बाद उन्होंने श्री हिमानी के इस तर्क का खंडन किया कि "जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो" अभिव्यक्ति का उपयोग धारा 44 के आधार को विफल करने के लिए किया जा सकता है, यह तर्क देते हुए कि धारा 44 केवल यह अपेक्षा करती है कि मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर के क्षेत्र में हो और इस प्रस्ताव के लिए मामला कानून का हवाला दिया।

5.8 . उन्होंने श्री हिमानी के इस तर्क का भी खंडन किया कि मुंबई को सीट होना चाहिए, क्योंकि निकटतम कनेक्शन परीक्षण केवल अनुपलब्धता में लागू होता है।

सीट का निर्धारण। वर्तमान मामले में, निपटान समझौते में मध्यस्थता खंड, मध्यस्थ द्वारा पारित प्रक्रियात्मक आदेशों के साथ, ज्यूरिख को सीट के रूप में और मुंबई को केवल एक सुविधाजनक स्थान के रूप में नामित किया गया है, जिसे दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है, और इस मामले में मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करना चाहिए।

5.9 . इसके बाद उन्होंने श्री हिमानी द्वारा भरोसा किए गए तीन निर्णयों में अंतर करने के लिए आगे बढ़े ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि दो भारतीय पक्ष चुन सकते हैं। एक विदेशी सीट। इसके

बाद उन्होंने तर्क दिया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (2) और धारा 10 दोनों के प्रावधान में, "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" वाक्यांश पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. की परिभाषा द्वारा नियंत्रित नहीं है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा 2 (1) (च) में निहित है लेकिन केवल उन मध्यस्थताओं को संदर्भित करेगा जिनमें

खाना भारत से बाहर है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996

6. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह सबसे पहले है

के भाग I और भाग II के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए

राशन अधिनियम।

" 2. परिभाषाएँ।— (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकता है,

* * *

((ङ) "न्यायालय" का अर्थ है

अन्तर्राष्ट्रीय के अलावा किसी अन्य मध्यस्थता के मामले में

((i)

वाणिज्यिक मध्यस्थता, एक जिले में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रमुख नागरिक न्यायालय है, और इसमें उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल नागरिक का प्रयोग करता है।

अधिकारिता, मध्यस्थता की विषय वस्तु बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र होने पर यदि

यह एक मुकदमे का विषय था, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख दीवानी न्यायालय या छोटे कारणों के किसी भी न्यायालय से कम दर्जे का कोई दीवानी न्यायालय शामिल नहीं है।

((ख)

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में,

उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, जिसे मध्यस्थता की विषय वस्तु बनाने वाले प्रश्नों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है

यदि वही किसी वाद का विषय था, और अन्य मामलों में, एक उच्च न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र था -

अधीनस्थ न्यायालयों के फरमानों से अपीलें सुनें

वह उच्च न्यायालय;

कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित, चाहे संविदात्मक या नहीं, कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है

भारत में बल और जहां कम से कम एक पक्ष है -

एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय है, या आदतन निवासी है

((i)

भारत के अलावा किसी अन्य देश में; या एक निगमित निकाय जो किसी भी देश में निगमित है

((ख)

भारत के अलावा; या [2021] 4 एस. सी. आर.

((ग) एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय जिसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण किसी भी देश में किया जाता है।

भारत के अलावा; या

((घ) किसी विदेशी देश की सरकार;

***

(2) यह भाग वहाँ लागू होगा जहाँ मध्यस्थता का स्थान भारत में है। बशर्ते कि इसके विपरीत एक समझौते के अधीन, धारा 9,27 और उप-धारा (1) और उप-धारा के खंड (बी) के प्रावधान

(3) धारा 37 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पर भी लागू होगी।

मध्यस्थता, भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर हो, और ऐसे स्थान पर दिया गया या दिया जाने वाला मध्यस्थ पुरस्कार लागू करने योग्य है।

और इस अधिनियम के भाग II के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त है।

***

संदर्भों का निर्माण

(6) जहाँ यह भाग, धारा 28 को छोड़कर, पक्षों को स्वतंत्र छोड़ता है -

एक निश्चित मुद्दे का निर्धारण करें, कि स्वतंत्रता में अधिकार शामिल होगा

एक संस्था सहित किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए पक्षकार,

उस मुद्दे को निर्धारित करें।

एक घरेलू पुरस्कार "। एक पक्ष धारा 4 के तहत आपत्ति करने के अपने अधिकार को माफ करने का विकल्प चुन सकता है।

मध्यस्थता अधिनियम, जो निम्नानुसार है:

" 4. आपत्ति करने के अधिकार की छूट। — एक पार्टी जो जानती है कि

(अ)

इस भाग का कोई प्रावधान जिससे पक्षकार अवमूल्यन, या

(ख)

मध्यस्थता समझौते के तहत किसी भी आवश्यकता है,

अनुपालन नहीं किया गया है और फिर भी अनुचित देरी के बिना इस तरह के गैर-अनुपालन पर अपनी आपत्ति बताए बिना मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ता है या, यदि कोई समय-सीमा है

यह कहने के लिए कि आपत्ति, उस अवधि के भीतर, उसके अधिकार को माफ कर दिया गया माना जाएगा

तो ऑब्जेक्ट "। पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विवाद के सार पर लागू नियम में निर्धारित किए गए हैं

28 इस प्रकार है:

" 28. विवाद के सार पर लागू नियम। — (1) कहाँ?

मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है -

(अ)

एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक के अलावा एक मध्यस्थता में

मध्यस्थता, मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवाद का फैसला करेगा

मूल के अनुसार मध्यस्थता को प्रस्तुत किया गया

भारत में उस समय लागू कानून;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में -

मध्यस्थ न्यायाधिकरण में विवाद का फैसला करेगा

((i)

द्वारा निर्दिष्ट कानून के नियमों के अनुसार

विवाद के सार पर लागू होने वाले पक्षकार;

कानून या कानूनी पक्षों द्वारा कोई पदनाम

((ख)

किसी दिए गए देश की प्रणाली का अर्थ, जब तक कि अन्यथा व्यक्त नहीं किया जाता है, सीधे उस देश के मूल कानून को संदर्भित करने के रूप में किया जाएगा, न कि उसके संघर्ष को।

कानूनों के नियम;

((iii) उपखंड के तहत कानून के किसी भी पदनाम में विफल होना।

((ii) पक्षकारों द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उन सभी कानूनों को लागू करेगा जिन्हें वह उचित समझता है। विवाद के आसपास की परिस्थितियाँ।

सौहार्दपूर्ण संयोजन के रूप में केवल तभी जब पक्षों ने स्पष्ट रूप से इसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया।

(3) निर्णय लेते समय और निर्णय देते समय, मध्यस्थ न्यायाधिकरण,

सभी मामलों में अनुबंध और व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखें।

लेन-देन पर लागू उपयोग "। एक मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अदालत का सहारा लिया जा सकता है

धारा 34 (2ए) के तहत इस तरह के पुरस्कार को अलग रखने के लिए प्रशस्ति पत्र

मध्यस्थता अधिनियम, जो निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। —

***

(2ए) इसके अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाला एक मध्यस्थ पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं को भी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा अलग रखा जा सकता है

एस सी आर।

अदालत, यदि अदालत को पता चलता है कि पुरस्कार पेटेंट द्वारा दूषित है

सबूत "। मध्यस्थता अधिनियम का भाग II विदेशी कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित है।

भारत में डी. एस., और इसमें दो अध्याय हैं, जिनमें से पहला अध्याय पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है, जिसके लिए न्यूयॉर्क कन्वेंशनईएस। धारा 44,46,47 और 49, के भाग II के अध्याय I में निहित

मध्यस्थता अधिनियम, निम्नलिखित रूप में निकाला गया है:

" 44. परिभाषा. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो।

आवश्यक है, "विदेशी पुरस्कार" का अर्थ है मतभेदों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार

कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच, चाहे

संविदात्मक या नहीं, कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है भारत में बल, 11 अक्टूबर, 1960 को या उसके बाद बनाया गया

(क) मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में

जो पहली अनुसूची में निर्धारित कन्वेंशन लागू होता है,

और

(ख)

केंद्र सरकार जैसे क्षेत्रों में से एक में,

इस बात से संतुष्ट कि पारस्परिक प्रावधान किए गए हैं, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, क्षेत्र घोषित किए जा सकते हैं

जिस पर उक्त समझौता लागू होता है।

" 46. जब विदेशी पुरस्कार बाध्यकारी हो। कोई भी विदेशी पुरस्कार जो

इस अध्याय के तहत प्रवर्तनीय होगा जो उन व्यक्तियों पर सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी माना जाएगा जिनके बीच यह बनाया गया था, और तदनुसार उन व्यक्तियों में से कोई भी भारत में किसी भी कानूनी कार्यवाही में बचाव के रूप में, बंद या अन्यथा और इस अध्याय में किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए किसी भी संदर्भ में भरोसा कर सकता है।

इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें किसी पुरस्कार पर भरोसा करने के संदर्भ शामिल हैं।

" 47. सबूत। (1) विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाला पक्ष, आवेदन के समय, पहले प्रस्तुत करेगा

न्यायालय

(अ)

मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति, जिसमें विधिवत प्रमाणित किया गया है

उस देश के कानून द्वारा अपेक्षित तरीका जिसमें वह

बनाया गया था; पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख)

मध्यस्थता के लिए मूल समझौता या विधिवत प्रमाणित प्रति और; और

((ग)

ऐसा साक्षय जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि पुरस्कार

यह एक विदेशी पुरस्कार है।

(2) यदि उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत किया जाने वाला पुरस्कार या समझौता किसी विदेशी भाषा में है, तो पुरस्कार को लागू करने की इच्छा रखने वाला पक्ष उस देश के राजनयिक या कांसुलर एजेंट द्वारा प्रमाणित अंग्रेजी में एक अनुवाद प्रस्तुत करेगा जिससे वह पक्ष संबंधित है या प्रमाणित है कि वह अन्य तरीके से सही है जो हो सकता है

भारत में लागू कानून के अनुसार पर्याप्त।

स्पष्टीकरण। इस धारा में और इस अध्याय में निम्नलिखित धाराओं में, "न्यायालय" का अर्थ है वह उच्च न्यायालय जो मध्यस्थता पुरस्कार की विषय वस्तु बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए मूल अधिकारिता रखता है, यदि वह अपनी मूल नागरिक अधिकारिता पर किसी वाद का विषय था और अन्य मामलों में, उच्च न्यायालय में, जिसके अधीनस्थ न्यायालयों की फरमानों से अपील सुनने की अधिकारिता थी -

ऐसा उच्च न्यायालय "। " 49. विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन। न्यायालय कहाँ है

इस बात से संतुष्ट कि विदेशी पुरस्कार इस अध्याय के तहत प्रवर्तनीय है,

पुरस्कार को उस न्यायालय की डिक्री माना जाएगा।

वर्तमान मामले में मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान

7. ऊपर निकाले गए समझौते के खंड 6 में कहा गया है कि मध्यस्थता का समाधान आई. सी. सी. के सुलह और मध्यस्थता नियमों के अनुसार "ज्यूरिख में" किया जाना है। इसी तरह सेउदाहरण, मनकस्तु इम्पेक्स (पी) लिमिटेड बनाम। एयरविजुअल लिमिटेड, (2020)

सी 399, जहाँ विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल किया जाना था

हांगकांग में पंजीकृत ", न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

" 21. वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच किया गया मध्यस्थता समझौता हांगकांग को मध्यस्थता का स्थान प्रदान करता है। मध्यस्थता के स्थान के रूप में "हांगकांग" को चुनने वाले पक्षों के बीच समझौते से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि पक्षों ने मध्यस्थता के स्थान के रूप में हांगकांग को चुना है। "मध्यस्थता का स्थान" शब्द "हांगकांग" होगा, जिसे खंड 17.2 के साथ पढ़ना होगा। खंड 17.2 में प्रावधान है कि " ..... या से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, विवाद, मतभेद

समझौता ज्ञापन के संबंध में निर्दिष्ट किया जाएगा और अंत में [2021] 4 एस. सी. आर. द्वारा हल किया जाएगा।

कांग हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा अंतिम समाधान के लिए है काँग। पक्षों के बीच समझौता कि विवाद "होगा

संदर्भित किया जाए और अंत में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा हल किया जाए

हांगकांग में "स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि पक्ष सहमत हो गए हैं

कि मध्यस्थता हांगकांग में बैठाई जाए और हांगकांग के कानून

कोंग मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करेगा और साथ ही

मध्यस्थता पुरस्कार पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति।

(मूल में जोर)

इस खंड के अनुसार, ज्यूरिख को इसलिए निर्धारित किया गया था

पक्षकारों के बीच मध्यस्थता का न्यायिक स्थान।

8. 28.06.2018 पर आयोजित मामला प्रबंधन सम्मेलन में,

विद्वान मध्यस्थ ने विशेष रूप से निर्णय लिया:

" 3. सुनवाई का स्थान मुंबई, भारत होगा। की सीट

निश्चित रूप से मध्यस्थता ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में बनी हुई है। मैं आभारी हूँ।

संगठन में सहायता करने की पेशकश करने के लिए प्रत्यर्थी को भारत में सुनवाई। सुनवाई आयोजित करने का परिणाम

निश्चित रूप से मुंबई को लागत पर पुरस्कार में शामिल किया जाएगा।

परिणाम पर निर्भर करता है। न्यायाधिकरण का विचार है कि यह है

भारत में सुनवाई आयोजित करने के लिए लागत कुशल जहां पक्ष हैं आधार पर, प्रतिवादी के पाँच गवाह आधारित हैं, जहाँ

प्रत्यर्थी की कानूनी टीम आधारित है और दावेदार का सह-वकील है

आधारित है। इसका मतलब है कि दावेदार का प्रमुख वकील, दावेदार का

एकमात्र गवाह और एकमात्र मध्यस्थ को भारत की यात्रा करनी चाहिए। ..... ”
इस व्यवस्था को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया है। यहां तक कि

अंतिम पुरस्कार दिनांक 18.04.2019, विद्वान मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया:

" 82. इसलिए ऊपर बताए गए कारणों से न्यायाधिकरण ने

प्रक्रियात्मक आदेश सं. 3 में अभिनिर्धारित और एतद्द्वारा यह पाया जाता है कि मध्यस्थता

निपटान समझौते में खंड वैध है और लागू होने के लिए आगे बढ़ता है
स्विस अधिनियम क्योंकि मध्यस्थता का केंद्र ज्यूरिख है,

स्विट्जरलैंड "।

9. श्री हिमानी द्वारा निकटतम कनेक्शन परीक्षण पर दृढ़ता से भरोसा किया गया

यह केवल तभी लागू होगा जब यह स्पष्ट नहीं है कि किसी सीट को पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस
पी. वी. टी. द्वारा नामित किया गया है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पक्षकारों या न्यायाधिकरण द्वारा। इस मामले में, सीट को स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों और न्यायाधिकरण द्वारा नामित किया गया है, और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है। श्री हिमानी द्वारा एनरकॉन (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय ने उपरोक्त परीक्षण को केवल इसलिए लागू किया क्योंकि उसमें मध्यस्थता खंड में यह प्रावधान था कि लंदन "स्थल" था न कि स्थान। इसलिए इस न्यायालय ने विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए यह बताया कि

विवाद को भारत से जोड़ते हुए और इसे इंग्लैंड से जोड़ने वाले किसी भी कारक की अनुपस्थिति, उस मामले के तथ्यों पर, लंदन को सीट के रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि यह वास्तव में केवल स्थल था (पैराग्राफ देखें)। 98-103 , 114-116 , और 128)।

10. इस कारण से, श्री हिमानी के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में मध्यस्थता का स्थान मुंबई होना चाहिए।

मध्यस्थता अधिनियम के भाग I और भाग II परस्पर हैं

अनन्य

11. मध्यस्थता अधिनियम चार भागों में है। भाग I उन मध्यस्थताओं से संबंधित है जहाँ सीट भारत में है और विदेशी-बैठे व्यक्ति के लिए कोई आवेदन नहीं है।

मध्यस्थता। इसलिए, यह मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थता की शुरुआत, एक पुरस्कार देने और उपरोक्त पुरस्कार को चुनौती देने के साथ-साथ ऐसे पुरस्कारों के निष्पादन से निपटने के लिए एक पूर्ण संहिता है। दूसरी ओर, भाग II का संबंध मध्यस्थता कार्यवाही से बिल्कुल नहीं है। यह केवल भारत में परिभाषित विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से संबंधित है। धारा 45 अकेले पक्षकारों को उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से संबंधित है। इस अपवाद को छोड़कर,

किसी भी मामले में, भाग II भारत के बाहर किसी देश में शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होता है।

12. 1996 के मध्यस्थता अधिनियम से पहले भी, भारत एक

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के सबसे पहले हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसके अनुसार कानून बनाया और 1961 में विदेशी पुरस्कार अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के तहत, धारा 2, जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 के समान है, निर्धारित की गई है:

" 2. परिभाषा. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, "विदेशी पुरस्कार" का अर्थ है कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच मतभेदों पर एक पुरस्कार, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं, जिसे भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है।

अक्टूबर, 1960 के 11 वें दिन या उसके बाद-[2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में

(अ)

जो अनुसूची में निर्धारित कन्वेंशन लागू होता है; और

(ख)

केंद्र सरकार के रूप में ऐसे क्षेत्रों में से एक में

इस बात से संतुष्ट होकर कि पारस्परिक प्रावधान किए गए हैं, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जा सकता है जिन पर उक्त कन्वेंशन लागू होता है।

विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 6 के तहत, जहां अदालत संतुष्ट है कि विदेशी पुरस्कार लागू करने योग्य है, अदालत पुरस्कार दायर करने का आदेश देगी और इसके अनुसार निर्णय देने के लिए आगे बढ़ेगी।

पुरस्कार। इस प्रावधान को तब से मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा समाप्त कर दिया गया है क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 49 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पुरस्कार को अदालत की डिक्री माना जाएगा। इसके बाद, विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 उन आधारों की गणना करती है जिन पर ऐसे विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार किया जा सकता है। जाहिर है, पहले की व्यवस्था के तहत, मध्यस्थता अधिनियम, 1940, जो केवल घरेलू पुरस्कारों से संबंधित था, और विदेशी पुरस्कार अधिनियम के बीच कोई ओवरलैप नहीं था। यह स्थिति वर्तमान मध्यस्थता अधिनियम में जारी है, जिसके भाग I और भाग II को पारस्परिक रूप से अनन्य माना गया है। इस प्रकार, बाल्को (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 37. 1953 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को नियंत्रित करने के लिए एक नई संधि को बढ़ावा दिया। द.

आई. सी. सी. के प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद द्वारा लिया गया था।

और सामाजिक परिषद। यह बदले में अपनाने के लिए प्रेरित किया

विदेश की मान्यता और प्रवर्तन पर समझौता 1958 में न्यूयॉर्क में मध्यस्थ पुरस्कार (लोकप्रिय रूप से "द आर्बिट्रल अवार्ड्स" के रूप में जाना जाता है)

न्यूयॉर्क कन्वेंशन ")। न्यूयॉर्क सम्मेलन एक है

1927 के जिनेवा समझौते में सुधार। यह प्रदान करता है

पहचानने का एक अधिक सरल और प्रभावी तरीका और

मध्यस्थता समझौते की वैधता के लिए। यह कन्वेंशन 7-6-1959 पर लागू हुआ। भारत 13-7-1960 पर इस समझौते का एक राज्य हस्ताक्षरकर्ता बन गया। विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 को नए अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यॉर्क कन्वेंशन "।

***

" 44. 1961 के अधिनियम में, पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के प्रावधानों के समान या समान गुणों पर विदेशी पुरस्कार को चुनौती देने का कोई प्रावधान नहीं है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थ या अंपायर को पुरस्कार भेजने की शक्ति धारा 30 के तहत पुनर्विचार जो आधार प्रदान करता है

एक पुरस्कार अलग रखें। दूसरे शब्दों में, 1961 का अधिनियम केवल विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित था। भारतीय कानून ने 1961 के बाद से यह बना रहा। कोई अंतरंगता नहीं थी

1940 के अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के साथ-साथ 1961 के अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के बारे में।

" 88. ..... मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (7) इस प्रकार है:

" 2. (7) इस भाग के तहत दिए गए मध्यस्थता पुरस्कार को घरेलू पुरस्कार माना जाएगा। हमारी राय में, उपरोक्त प्रावधान किसी भी तरह से मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा अपनाए गए क्षेत्रीय सिद्धांत में ढील नहीं देता है। यह निश्चित रूप से एक विलम्बित की अवधारणा का परिचय नहीं देता है।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में मध्यस्थता। यह याद रखना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I न केवल विशुद्ध रूप से घरेलू मध्यस्थता पर लागू होता है, यानी जहां कोई भी पक्ष किसी भी मामले में नहीं है।

"विदेशी" लेकिन भारत में आयोजित धारा 2 (1) (च) के अंतर्गत आने वाले "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं" के लिए भी। "घरेलू पुरस्कार" शब्द का उपयोग दो अर्थों में किया जा सकता है: इसे अलग करने के लिए

" अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ", और दूसरा इसे" विदेशी "से अलग करने के लिए

पुरस्कार "। यह भी याद रखना चाहिए कि "विदेशी पुरस्कार" उस देश में एक घरेलू पुरस्कार हो सकता है जिसमें इसे प्रदान किया जाता है। जैसा कि संपूर्ण मध्यस्थता अधिनियम, 1996 को देने के लिए बनाया गया है

भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों और भारत के बाहर दिए जाने वाले पुरस्कारों के बीच अंतर अनिवार्य रूप से "घरेलू पुरस्कार" और "विदेशी पुरस्कार" शब्दों के बीच किया जाना चाहिए। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की योजना में प्रावधान है कि भाग I भारत में होने वाले "अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता" के साथ-साथ "घरेलू मध्यस्थता" दोनों पर लागू होगा जो आम तौर पर भारत में होते हैं। इसमें निहित कई प्रावधानों से यह स्पष्ट है

मध्यस्थता अधिनियम, 1996। उक्त अधिनियम, परंतुक की प्रस्तावना

और धारा 1 (2), धारा 2 (1) (च), 11 (9), 11 (12), 28 (1) (क) और 28 (1) (ख) का स्पष्टीकरण। उपरोक्त सभी प्रावधान, जो "अंतर्राष्ट्रीय" शब्द को शामिल करें, पुरस्कार से

पहले की स्थिति से निपटें। "अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार" शब्द भाग I में बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि "घरेलू पुरस्कार" शब्द का अर्थ है [2021] 4 एस. सी. आर.।

भारत में दिया गया कोई पुरस्कार, चाहे वह विशुद्ध रूप से घरेलू संदर्भ में हो, अर्थात घरेलू मध्यस्थता में घरेलू रूप से दिया गया पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, अर्थात किसी मामले में घरेलू रूप से दिया गया पुरस्कार।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। दोनों प्रकार के पुरस्कार धारा 34 के तहत चुनौती के लिए उत्तरदायी हैं और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 36 के तहत लागू किए जा सकते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा 2 (7) का उद्देश्य मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I के तहत आने वाले घरेलू पुरस्कार को उपरोक्त अधिनियम के भाग II के तहत आने वाले "विदेशी पुरस्कार" से अलग करना है और "घरेलू पुरस्कार" को भारत में दिए जाने वाले "अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार" से अलग करना नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रावधान, यदि कुछ भी हो, तो भाग I और भाग II के बीच एक स्पष्ट अंतर पर प्रकाश डालता है जो इसमें लागू होता है।

पूरी तरह से अलग क्षेत्र और बिना किसी अतिव्यापी प्रावधान के।

भाग I और भाग II में परिभाषा अनुभाग से भी। धारा 2 (1) (ए) से (एच) में निहित परिभाषाएँ भाग I तक सीमित हैं। अन्यथा आवश्यक है। ", यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है। इसी तरह, धारा 44 इन उद्देश्यों के लिए विदेशी पुरस्कार की परिभाषा देती है।

भाग II (कुछ विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन); अध्याय I (न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार)। इसके अलावा, धारा 53 भाग II (कुछ विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन); अध्याय II (जिनेवा कन्वेंशन पुरस्कार) के उद्देश्यों के लिए एक विदेशी पुरस्कार की व्याख्या प्रदान करती है। उपरोक्त से, संसद का इरादा स्पष्ट है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I और भाग II के बीच कोई अतिव्यापी नहीं होगा। दोनों भाग एक-दूसरे से परस्पर अलग हैं। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करने के लिए धारा 44 के भीतर आने वाले "विदेशी पुरस्कार" को धारा 2 (7) के तहत निहित प्रावधानों के आधार पर एक घरेलू पुरस्कार में परिवर्तित करना होगा, भले ही मध्यस्थता भारत के बाहर हो या एक विदेशी मध्यस्थता हो, अगर मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाली कानून मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के रूप में बताए गए पक्षों की पसंद से हो। हमारी राय में यह संसद का इरादा नहीं था। द. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का क्षेत्रीयता सिद्धांत, भाग I को विदेशी मध्यस्थता पर लागू होने से रोकता है, भले ही समझौते में यह प्रावधान किया गया हो कि मध्यस्थता की कार्यवाही

यह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होगा।"

*** पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 120. हम विद्वान वरिष्ठ वकील के इस निवेदन से सहमत नहीं हैं कि इसमें प्रावधानों का कोई ओवरलैपिंग है।

भाग I और भाग II; न ही भाग II के प्रावधान भाग I के पूरक हैं। बल्कि दोनों के बीच पूर्ण अलगाव है।

भागों।

121. आम तौर पर, मध्यस्थता के विनियमन में चार शामिल होते हैं -

कदम:

(क) मध्यस्थता की शुरुआत;
((ख) मध्यस्थता का संचालन;

(ग) पुरस्कार के लिए चुनौती; और
((घ) पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन।

हमारी राय में, उपरोक्त वर्णन मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I और भाग II में स्वयं स्पष्ट है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I सभी चार चरणों में मध्यस्थता को नियंत्रित करता है। तथापि, भाग 2 केवल प्रारंभ के संबंध में मध्यस्थता को विनियमित करता है।

और पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन।

***

" 124. क्षेत्रीयता के सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद, यह स्पष्ट है कि संसद का इरादा भाग I और भाग II को अलग करना था। इसलिए, भाग I में निहित किसी भी प्रावधान को धारा 44 के तहत परिभाषित विदेशी पुरस्कारों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

और 53 अर्थात न्यूयॉर्क सम्मेलन और जिनेवा पुरस्कार। यह अधिनियम की योजना के साथ छेड़छाड़ होगी। इसलिए श्री सुब्रमण्यम की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि भाग II में निहित प्रावधान भाग I में निहित प्रावधान के पूरक हैं। संसद ने स्पष्ट रूप से दोनों को अलग किया है।

भाग "।

13. इस मामले में, भाग I और II के बीच की दीवार को तोड़ने वाले किसी भी तर्क को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। श्री हिमानी का तर्क कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (2) का परंतुक एक हैइस प्रकार,

दोनों भागों को जोड़ने वाली कटक को अस्वीकार किया जाना चाहिए। वास्तव में, धारा 2 (2) विशेष रूप से बताती है कि भाग I केवल वहाँ लागू होता है जहाँ -

मध्यस्थता की फीता भारत में है। यह तय कानून है कि एक परंतुक नहीं कर सकता है

मुख्य अधिनियमन प्रावधान से परे-भारत संघ बनाम देखें। दिलीप कुमार सिंह, (2015) 4 एस. सी. सी. 421 (पैराग्राफ 20 पर), डी. एम. आर. सी. बनाम।

पाल सिंह, (2018) 14 एस. सी. सी. 161 (पैराग्राफ 21 पर), कांडला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन। वी. ओ. सी. आई. कार्पोरेशन। , (2018) 14 एस. सी. सी. 715 (पैराग्राफ 13 पर), और माविलयी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड v. आयकर आयुक्त,

कालीकट, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 16 (पैराग्राफ 41 पर)।

14. वास्तव में, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम द्वारा धारा 2 (2) में परंतुक को शामिल करने का कारण,

2015 ऐसा इसलिए था क्योंकि भाटिया इंटरनेशनल बनाम में निर्णय। थोक

ट्रेडिंग एस. ए., (2002) 4 एस. सी. सी. 105 ["भाटिया"] ने यह अभिनिर्धारित करते हुए जल को गन्दा कर दिया था कि धारा 9 उन मध्यस्थताओं पर लागू होगी जो उस प्रभाव के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान के बिना भारत के बाहर होती हैं। भाटिया (ऊपर) के फैसले को बाल्को (ऊपर) में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। बिनि उन उन उन

वाणिज्यिक मध्यस्थता की बात भारत के बाहर होने के संदर्भ में की जाती है, यह स्थान-केंद्रित है जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए, इस अभिव्यक्ति का केवल यह अर्थ है कि यह एक मध्यस्थता है जो भारत के बाहर एक क्षेत्र में दो पक्षों के बीच होती है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है, इस प्रकार यह एक मध्यस्थता है। " अंतर्राष्ट्रीय "वाणिज्यिक मध्यस्थता।

विदेशी पुरस्कार की सामग्री को इसके तहत लागू करने की मांग की गई

भाग II पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

15. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 अनुच्छेद I पर आधारित है और

न्यूयॉर्क कन्वेंशन। नए अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

कन्वेंशन को निम्नानुसार पढ़ा गया:

" अनुच्छेद I

1. यह समझौता मान्यता और प्रवर्तन पर लागू होगा।

इसके अलावा किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में किए गए मध्यस्थता पुरस्कारों का

राज्य जहाँ ऐसे पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन है

व्यक्तियों के बीच मतभेदों से उत्पन्न होना, या

भौतिक या कानूनी। यह उन मध्यस्थता पुरस्कारों पर भी लागू होगा जिन पर विचार नहीं किया गया है।

राज्य में घरेलू पुरस्कारों के रूप में जहां उनकी मान्यता और प्रवर्तन की मांग की जाती है "।

* * *

" अनुच्छेद II

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य लिखित रूप में एक समझौते को मान्यता देगा।

जिसके तहत पक्षकार सभी या मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का वचन देते हैं

कोई अंतर जो उत्पन्न हुआ है या जो दोनों के बीच उत्पन्न हो सकता है

उन्हें परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में, चाहे संविदात्मक हो

या नहीं, एक विषय के बारे में-द्वारा निपटाने में सक्षम मामला

2. "लिखित समझौता" शब्द में एक मध्यस्थ खंड शामिल होगा। एक अनुबंध या एक मध्यस्थता समझौते में, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित या

पत्रों या तारों के आदान-प्रदान में निहित।

" "

16. इसके विपरीत, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 53, जो

के निष्पादन पर जिनेवा समझौते के तहत पुरस्कारों के साथ

जीएन आर्बिट्रल अवार्ड्स, 1927 ["जिनेवा कन्वेंशन"] में कहा गया है:

" 53. व्याख्या। इस अध्याय में "विदेशी पुरस्कार" का अर्थ है -

के रूप में माने जाने वाले मामलों से संबंधित मतभेदों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार

28 तारीख के बाद बनाए गए भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक

जुलाई, 1924 का दिन -

मध्यस्थता के लिए एक समझौते के अनुसरण में जिसके लिए

(अ)

दूसरी अनुसूची में निर्धारित प्रोटोकॉल लागू होता है, और

(ख) उन व्यक्तियों के बीच जिनमें से कोई एक अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

केंद्र सरकार जैसी कुछ शक्तियों में से,

यह संतुष्ट होना कि पारस्परिक प्रावधान किए गए हैं, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 4 एस. सी. आर. घोषित किया जा सकता है।

तीसरी अनुसूची में निर्धारित कन्वेंशन के पक्षकार, और जिनमें से दूसरा उपरोक्त कुछ अन्य शक्तियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है, और

केंद्र सरकार जैसे क्षेत्रों में से एक में,

((ग)

इस बात से संतुष्ट कि पारस्परिक प्रावधान किए गए हैं, उसी अधिसूचना द्वारा, उन क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जा सकता है जिन पर उक्त कन्वेंशन लागू होता है,

और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई पुरस्कार अंतिम नहीं माना जाएगा यदि पुरस्कार की वैधता को चुनौती देने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही उस देश में लंबित है जिसमें वह था।

बनाया गया "।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन लागू होता है। 17. वास्तव में, न्यूयॉर्क कन्वेंशन को अंतिम रूप देने से पहले, कई देश धारा 53 (बी) के प्रावधानों को शामिल करना चाहते थे, जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन में भी जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद I को दर्शाता है। इस प्रकार, चीन ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद I के वाक्यांश पर आपत्ति जताते हुए कहा:

" चीन

अनुच्छेद I, पैराग्राफ 2 के पहले भाग में कहा गया है: कोई भी संविदाकारी राज्य, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने, अनुसमर्थन करने या स्वीकार करने पर, घोषणा कर सकता है कि वह इस समझौते को केवल मान्यता पर लागू करेगा।

और किसी अन्य संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में किए गए मध्यस्थता पुरस्कारों का प्रवर्तन। इस प्रावधान से यह पता चलता है कि किसी संविदाकारी राज्य में मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति मान्यता और प्रवर्तन का अनुरोध कर सकता है, और यह अधिकार इन तक सीमित नहीं है -

संविदाकारी राज्य के नागरिक। चीनी सरकार इस प्रावधान को बहुत उदार मानता है, और यह राय है कि अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, इस तरह के अधिकार को विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों के निष्पादन पर 1927 के कन्वेंशन के अनुच्छेद I की भावना के अनुसार प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो प्रदान करता है: 'एक मध्यस्थता पुरस्कार को बाध्यकारी के रूप में मान्यता दी जाएगी और इसे लागू किया जाएगा, बशर्ते कि उक्त पुरस्कार उच्च संविदाकारी दलों में से किसी एक के क्षेत्र में दिया गया हो, जिस पर वर्तमान कन्वेंशन लागू होता है, और उन व्यक्तियों के बीच किया गया हो जो समाधान पी. वी. टी. करते हैं।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वे उच्च संविदाकारी दलों में से एक के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। "

इसी तरह, मेक्सिको ने भी आपत्ति जताते हुए कहा: " मैक्सिकन सरकार आगे मानती है कि जिनेवा कन्वेंशन में निहित शर्त के मसौदे कन्वेंशन में शामिल करने की सलाह दी जाएगी कि मध्यस्थता पुरस्कार उन व्यक्तियों के बीच विवाद में किया गया होगा जो इसके अधीन हैं

संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का अधिकार क्षेत्र। मैक्सिकन सरकार इस दृष्टिकोण को इसलिए लेती है क्योंकि मैक्सिकन कानून मध्यस्थता पुरस्कारों को ऐसे कृत्यों के रूप में मानता है जो अपने आप में निजी हैं, क्योंकि वे हैं

निजी व्यक्तियों के बीच किए गए समझौते के अनुसार किया गया, और जो केवल तभी लागू किया जा सकता है जब पुरस्कार का तर्क, इसके अलावा न्यायिक निर्णय के अधिकार द्वारा समर्थित हो। हंगरी ने भी इसका अनुसरण करते हुए कहा:

" इस कारण से और समिति की रिपोर्ट के बिंदु 23 में निहित बयान के विपरीत, इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि क्या 1927 के जिनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुपालन में, कन्वेंशन की वैधता को एक या दूसरे संविदाकारी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों के बीच मतभेदों पर मध्यस्थ पुरस्कारों तक सीमित रखा जाना चाहिए, या क्या कम से कम संविदाकारी राज्यों को प्रावधानों को लागू करने के लिए कन्वेंशन के तहत अधिकार दिया जाना चाहिए।

समिति (रिपोर्ट का पैराग्राफ 23 देखें) कि 1927 के जिनेवा कन्वेंशन (अनुच्छेद I, पहला पैराग्राफ) की आवश्यकता, यह प्रभाव कि मध्यस्थता पुरस्कार उन व्यक्तियों के बीच किया गया होना चाहिए जो उच्च न्यायालय में से किसी एक के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

अनुबंध करने वाली पार्टियां बहुत अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं। दूसरी ओर वर्तमान मसौदे का दायरा अनुचित रूप से व्यापक प्रतीत होता है। जैसा कि अब तैयार किया गया है, कन्वेंशन लागू होगा भले ही मध्यस्थता पुरस्कार के दोनों पक्ष [2021] 4 एस. सी. आर. के नागरिक हों।

राज्य जहाँ प्रवर्तन की मांग की जाती है और साथ ही ऐसे मामलों में जहाँ

उनमें से कोई भी संविदाकारी राज्य का नागरिक नहीं है।

18. प्रोफेसर पीटर सैंडर्स, एक लेख "विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन" में

(नीदरलैंड इंटरनेशनल लॉ रिव्यू, खंड 6, अंक 1, मार्च 1959) ने न्यूयॉर्क द्वारा की गई प्रगति को रेखांकित किया। जिनेवा कन्वेंशन की तुलना में कन्वेंशन इस प्रकार है:

" अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत, जिनके लिए ये सम्मेलन किए गए हैं, दृढ़ता से उम्मीद करता है कि सरकार जल्द ही न्यूयॉर्क सम्मेलन की पुष्टि करेगी या इसे स्वीकार करेगी, क्योंकि उनकी राय में सम्मेलन जिनेवा सम्मेलन की तुलना में एक महत्वपूर्ण कदम है। संक्षेप में टिप्पणी करने से पहले

कन्वेंशन के अलग-अलग अनुच्छेदों में, मैं जिनेवा कन्वेंशन 1927 और न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 के बीच सबसे महत्वपूर्ण मतभेदों की एक व्यापक रूपरेखा देने की कोशिश कर सकता हूं।

* *

" 4. अनुच्छेद 1 एक विशेष कार्य समूह के साथ-साथ न्यूयॉर्क के पूर्ण सत्रों में लंबी चर्चाओं का परिणाम रहा है।

मध्यस्थता सम्मेलन। पहला अनुच्छेद कार्य समूह के भीतर हुए समझौते का परिणाम है। इस पैराग्राफ का पहला वाक्य एक क्षेत्रीय मानदंड पर आधारित है:

कन्वेंशन उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में किए गए मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर लागू होगा, जहां ऐसे पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन की मांग की जाती है, और व्यक्तियों के बीच मतभेदों से उत्पन्न होता है, चाहे

भौतिक या कानूनी।

दूसरा वाक्य राष्ट्रीय सिद्धांत का परिचय देता है:

यह उस राज्य में मध्यस्थता पुरस्कारों पर भी लागू होगा जिन्हें घरेलू पुरस्कार नहीं माना जाता है जहां उनकी मान्यता और प्रवर्तन किया जाता है।

की तलाश की। इसे मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। जर्मनी जर्मन प्रक्रियात्मक कानून के तहत फ्रांस में दिए गए मध्यस्थता पुरस्कार को जर्मन मध्यस्थता पुरस्कार और फ्रांसीसी प्रक्रियात्मक कानून के तहत जर्मनी में दिए गए मध्यस्थता पुरस्कार को गैर-घरेलू, फ्रांसीसी पुरस्कार मानता है। जर्मनी लागू प्रक्रियात्मक कानून के

मानदंड को लागू करता है और इसलिए पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. को लागू करते समय कन्वेंशन को भी लागू करेगा।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जर्मनी में फ्रांसीसी प्रक्रियात्मक कानून के तहत जर्मनी में प्रदान किए गए पुरस्कार की मांग की जाती है।

नए कन्वेंशन का दायरा जिनेवा कन्वेंशन की तुलना में व्यापक है जो उन पुरस्कारों पर लागू होता है जो उच्च संविदाकारी दलों में से एक के क्षेत्र में दिए गए हैं जिन पर कन्वेंशन लागू होता है और उन व्यक्तियों के बीच जो इसके अधीन हैं

उच्च संविदाकारी दलों में से एक का अधिकार क्षेत्र। यहाँ हम केवल क्षेत्रीय सिद्धांत पाते हैं और इसके अलावा प्रतिबंध है कि पुरस्कार व्यक्तियों के बीच किया जाना चाहिए, बशर्ते कि उच्च संविदाकारी दलों का अधिकार क्षेत्र "।

19. इसी तरह, गैरी बी. बोर्न ने अपनी पुस्तक "इंटरनेशनल कमर्शियल राशन" (वोल्टर्स क्लूवर, तीसरा संस्करण, 2021) में यह कहा है:

" जिनेवा प्रोटोकॉल स्पष्ट रूप से उन पक्षों के बीच मध्यस्थता के समझौतों तक सीमित था जो अलग-अलग देशों के नागरिक थे।

संविदाकारी राज्य। यह एकमात्र मानदंड था " अंतर्राष्ट्रीयता ": मध्यस्थता के लिए अन्य समझौते, भले ही उनमें पारंपरिक सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या निवेश शामिल हो,

प्रोटोकॉल के अधीन नहीं थे।

इसके विपरीत, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद II का पाठ स्पष्ट रूप से मध्यस्थता समझौतों की श्रेणियों को संबोधित नहीं करता है जो कन्वेंशन के अधीन हैं। इसके बजाय,

कन्वेंशन का पाठ केवल उन मध्यस्थता पुरस्कारों को संबोधित करता है जो संधि की सुरक्षा के हकदार हैं। नतीजतन, उन मध्यस्थता समझौतों की परिभाषा जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के दायरे में हैं, या तो कन्वेंशन के पुरस्कारों के उपचार के संदर्भ में या अन्यथा निहितार्थ द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों में, दुर्भाग्य से कई संभावित व्याख्याएँ हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। इनका किया गया विश्लेषण

क्रमपरिवर्तन निराशाजनक रूप से जटिल हो सकते हैं, लेकिन, ठीक से समझा गया, अंततः एक सरल, समझदार परिणाम उत्पन्न करता है।

20. अंत में, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, अनुच्छेद I (3) में, दो शर्तों का उल्लेख किया गया है जो एक राज्य द्वारा न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने, अनुसमर्थन करने या स्वीकार करने पर की जा सकती हैं, जो इस प्रकार हैं:

" 3. इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते समय, अनुसमर्थन करते समय या स्वीकार करते समय, या इसके अनुच्छेद X के तहत विस्तार को अधिसूचित करते समय, कोई भी राज्य पारस्परिकता के आधार पर

घोषणा कर सकता है कि वह केवल क्षेत्र [2021] 4 एस. सी. आर. में दिए गए पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन के लिए कन्वेंशन को लागू करेगा।

किसी अन्य संविदाकारी राज्य का। यह यह भी घोषणा कर सकता है कि यह कन्वेंशन केवल कानूनी संबंधों से उत्पन्न मतभेदों पर लागू होगा,

चाहे संविदात्मक हो या नहीं, जो ऐसी घोषणा करने वाले राज्य के राष्ट्रीय कानून के तहत वाणिज्यिक माने जाते हैं।

यह न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद I के अनुसरण में है कि

21. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 के तहत, एक विदेशी पुरस्कार को व्यक्तियों के बीच मतभेदों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। वाणिज्यिक माने जाने वाले कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले संबंध

भारत में प्रवृत्त विधि, मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में, जिस पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन लागू होता है, और ऐसे क्षेत्रों में से एक में केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन क्षेत्रों के रूप में घोषित करती है जिन पर उक्त कन्वेंशन लागू होता है। इस प्रकार, धारा 44 के तहत किसी पुरस्कार को विदेशी पुरस्कार के रूप में नामित करने के लिए चार तत्व आवश्यक हैं:

विवाद को एक वाणिज्यिक विवाद माना जाना चाहिए

((i)

भारत में लागू कानून के तहत,

यह लिखित में एक समझौते के अनुसरण में किया जाना चाहिए।

((ख)

मध्यस्थता के लिए,

(iii)

यह "व्यक्तियों" के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद होने चाहिए (बिना उनकी राष्ट्रीयता, निवास या अधिवास के संबंध में), और

((iv) मध्यस्थता एक ऐसे देश में आयोजित की जानी चाहिए जो

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के लिए हस्ताक्षरकर्ता।

सामग्री (i) निस्संदेह इस मामले के तथ्यों पर संतुष्ट है। समझौता समझौते के खंड 6 को देखते हुए सामग्री (ii) को संतुष्ट किया जाता है। सामग्री (iii) और (iv) इस मामले के तथ्यों पर भी संतुष्ट हैं क्योंकि विवाद दो व्यक्तियों, यानी दो भारतीय कंपनियों के बीच हैं, और मध्यस्थता पक्षों द्वारा

निर्दिष्ट स्थान पर आयोजित की जाती है, यानी ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

22. इस समय यू. एन. सी. टी. ए. डी. का हवाला देना महत्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर टिप्पणी, जिसमें कहा गया है:

" 1.4. 1 विदेशी मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हैं -

एक समान नहीं

राज्य 'क' में होने वाला मध्यस्थता राज्य 'ख' में एक विदेशी मध्यस्थता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मध्यस्थता वाणिज्यिक है या गैर-वाणिज्यिक या क्या पक्ष उसी पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. से हैं।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

देश, विभिन्न देशों से या कि एक या सभी राज्य ए से हैं। चूंकि राज्य ए में एक घरेलू मध्यस्थता भी एक विदेशी है।

राज्य बी में मध्यस्थता, राज्य बी के न्यायालयों को बुलाया जाएगा

न्यूयॉर्क कन्वेंशन को एक खंड के प्रवर्तन के लिए लागू करना

राज्य 'क' में मध्यस्थता का आह्वान करना और इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी निर्णय को लागू करना।

विदेशी मध्यस्थता में सहायता

कुछ कानूनी प्रणालियों में अदालतें खरीद में सहायता के माध्यम से "विदेशी" मध्यस्थता की सहायता के लिए नहीं आएंगी।

किसी विदेशी राज्य में होने वाले मध्यस्थता। 1.4. 3 अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की परिभाषा

* * *

मॉडल कानून

आदर्श कानून में एक मध्यस्थता अंतरराष्ट्रीय है यदि चार में से कोई एक हो।

अलग-अलग स्थितियाँ मौजूद हैं:

***

2) मध्यस्थता का स्थान, यदि मध्यस्थता समझौते में या उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है, तो उस राज्य के बाहर स्थित है जिसमें पक्षों के व्यवसाय के स्थान हैं।

23. 1958 के न्यूयॉर्क प्रवेश की व्याख्या के लिए आई. सी. सी. ए. की मार्गदर्शिका: स्थायी न्यायालय की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय परिषद वाणिज्यिक मध्यस्थता द्वारा संकलित न्यायाधीशों के लिए एक पुस्तिकाबिट्रेशन, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद I (1) पर अपनी टिप्पणी में, विशेष रूप से, अभिव्यक्ति "एक राज्य के क्षेत्र में किए गए पुरस्कार"

उस राज्य की तुलना में जहाँ मान्यता और प्रवर्तन हैं।

एचटी ", निम्नलिखित रूप में कहता है:

“ III. 1. 1. ..... मान्यता या प्रवर्तन न्यायालय के राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में दिया गया कोई भी पुरस्कार कन्वेंशन के दायरे में आता है, यानी एक विदेशी पुरस्कार है। अतः राष्ट्रीयता, अधिवास

या पक्षों का निवास निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है

क्या कोई पुरस्कार विदेशी है। ... .

पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? सम्मेलन इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। अधिकांश संविदाकारी राज्यों का मानना है कि [2021] 4 एस. सी. आर.

मध्यस्थता के स्थान पर एक पुरस्कार दिया जाता है। मध्यस्थता का स्थान पक्षों द्वारा या वैकल्पिक रूप से, मध्यस्थ संस्था या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा चुना जाता है। यह एक कानूनी, भौतिक, भौगोलिक अवधारणा नहीं है। निर्णय की सुनवाई, विचार-विमर्श और हस्ताक्षर और मध्यस्थता प्रक्रिया के अन्य भाग हो सकते हैं।

कहीं और "।

24. हालाँकि, श्री हिमानी ने अपनी इस दलील को पुष्ट करने के लिए निम्नलिखित निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया कि धारा 44 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो" अनिवार्य रूप से भाग I में निहित "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" की परिभाषा का आयात करेगी जब संदर्भ में ऐसा करने की आवश्यकता होती है, अर्थात्, जब दो भारतीय पक्ष भारत के बाहर किसी क्षेत्र में एक-दूसरे के खिलाफ अपने विवादों का समाधान कर रहे हों:

(i) वैनगार्ड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. फ्रेजर

और रॉस, (1960) 3 एससीआर 857

" इस विवाद का मुख्य आधार अधिनियम की धारा 2 (9) में "बीमाकर्ता" शब्द की परिभाषा है। यह बताया गया है कि यह परिभाषा "बीमाकर्ता का अर्थ" शब्दों से शुरू होती है और इसलिए संपूर्ण है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि आम तौर पर "बीमाकर्ता" शब्द को अधिनियम के उद्देश्यों के लिए परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति या निकाय निगमित आदि जो वास्तव में बीमाकर्ता का व्यवसाय कर रहा है।

बीमा अर्थात बीमा के अनुबंधों को लागू करने का व्यवसाय, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों। लेकिन धारा 2 "इस अधिनियम में" शब्दों के साथ शुरू होती है, जब तक कि विषय में कुछ भी अप्रिय न हो या

संदर्भ "और फिर विभिन्न परिभाषा खंड आते हैं जिनमें से (9) एक है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सभी वैधानिक परिभाषाओं या संक्षिप्त शब्दों को विभिन्न योग्यताओं के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।

उन परिभाषा खंडों में व्यक्त किया गया है जिन्होंने उन्हें बनाया और यह हो सकता है कि जहां परिभाषा संपूर्ण है, क्योंकि परिभाषित शब्द का अर्थ एक निश्चित चीज कहा जाता है, वहां भी विषय या संदर्भ के आधार पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में शब्द का कुछ अलग अर्थ होना संभव है। यही कारण है कि क़ानूनों में सभी परिभाषाएँ आम तौर पर वर्तमान मामले में उपयोग किए गए शब्दों के समान योग्यता वाले शब्दों से शुरू होती हैं, अर्थात्, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो। इसलिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में "बीमाकर्ता" शब्द के अर्थ का पता लगाने में, इसे सामान्य रूप

से दिया जाने वाला अर्थ परिभाषा खंड में दिया गया है। लेकिन यह अनम्य नहीं है और इसमें पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. खंड हो सकते हैं।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उस अधिनियम में जहां उस विषय या संदर्भ के कारण अर्थ को अलग करना पड़ सकता है जिसमें शब्द का उपयोग किया गया है और जो परिभाषा खंड में प्रारंभिक वाक्य को प्रभावी करेगा, अर्थात्, जब तक कि इसमें कुछ भी प्रतिकूल न हो।

विषय या संदर्भ। इस योग्यता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को न केवल शब्दों को देखना है, बल्कि ऐसे मामले से संबंधित ऐसे शब्दों के संदर्भ, संयोजन और उद्देश्य को भी देखना है और परिस्थितियों में शब्दों के उपयोग द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अर्थ की व्याख्या करनी है। इसलिए, हालांकि सामान्य रूप से अधिनियम में उपयोग किए जाने वाले "बीमाकर्ता" शब्द का अर्थ होगा एक व्यक्ति या निगमित निकाय जो वास्तव में बीमा का व्यवसाय करता है।

हो सकता है कि कुछ खंडों में शब्द का अर्थ कुछ अलग हो।

(पृष्ठों पर 863-864)

((ii) बेनेट कोलमैन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम। पुण्य प्रिया दास गुप्ता, (1969) 2 एससीसी 1

" 6. ..... लेकिन यह मानते हुए कि ऐसा कोई संघर्ष है जैसा कि तर्क दिया गया है, हमें उस संघर्ष को इसके उद्देश्यों के लिए हल करने की आवश्यकता नहीं है समस्या हमारे सामने है। वर्तमान अधिनियम की धारा 2 की परिभाषा इन शब्दों के साथ शुरू होती है "इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ न हो।

के प्रकाश में और संदर्भ की आवश्यकता के अधीन अन्यथा। अधिनियम की धारा 5, जो उपदान का अधिकार प्रदान करती है

स्वयं उप-धारा (1) के खंड (घ) में नामित व्यक्ति या किसी कार्यरत पत्रकार के परिवार को उपदान के भुगतान के मामले पर विचार किया गया है, जिसकी समाचार पत्र की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है।

स्थापना। धारा 17 (1) में प्रावधान है कि जहां किसी नियोक्ता से समाचार पत्र कर्मचारी को अधिनियम के तहत कोई राशि देय है, तो ऐसा कर्मचारी स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या

उसकी मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार या अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसकी वसूली के लिए आवेदन कर सकता है।

इसी तरह के प्रावधान [2021] 4 एस. सी. आर. की धारा 33-सी (1) में भी पाए जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

औद्योगिक विवाद अधिनियम। उस धारा के तहत दावों में छंटनी, हस्तांतरण के मामलों में मुआवजे के लिए दावे शामिल हैं। उस अधिनियम के अध्याय 5-क के तहत उपक्रम और समापन, जो सभी अनिवार्य रूप से सेवा की समाप्ति के बाद उत्पन्न होने वाले दावे होंगे और दावेदार स्पष्ट रूप से उन सभी मामलों में एक होगा जो वर्तमान में उस नियोक्ता के प्रतिष्ठान में कार्यरत नहीं होंगे जिसके खिलाफ ऐसे दावे किए जाते हैं। इसी तरह, अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित धारा 17 के तहत उपदान का दावा स्वयं वह होगा जो रोजगार की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है। अतः ये प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि -

वर्तमान में किसी विशेष समाचार पत्र प्रतिष्ठान में कार्यरत केवल एक समाचार पत्र कर्मचारी नहीं है जो एक

उपदान के लिए आवेदन। औद्योगिक प्रश्नों से संबंधित इन सभी अधिनियमों की योजना एक पूर्व कर्मचारी को उनके प्रावधानों का लाभ उठाने की अनुमति देना है, केवल यह आवश्यकता है कि विवाद में दावा वह होना चाहिए जो उस समय उत्पन्न हुआ हो या उपार्जित हुआ हो जब दावेदार उस व्यक्ति की नियुक्ति में था जिसके खिलाफ यह किया गया है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक "समाचार पत्र कर्मचारी" और "कामकाजी पत्रकार" की परिभाषाएं एक संदर्भ के अधीन होने के कारण, इसके विपरीत, धारा 5 और 17 का लाभ एक पूर्व कर्मचारी को उपलब्ध है, हालांकि वह ग्रैच्युटी के लिए अपने आवेदन के समय उस विशेष समाचार पत्र प्रतिष्ठान के रोजगार में नहीं रहा है। यह तर्क कि प्रतिवादी अपने आवेदन को बनाए रखने का हकदार नहीं था क्योंकि वह श्रम न्यायालय के समक्ष अपने दावे की तारीख को अपीलकर्ता कंपनी की सेवा में नहीं था, को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(iii) एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड v. सीआईटी, (1997) 3 एससीसी 472

“ 12. गुडइयर इंडिया लिमिटेड के मामले में v. हरियाणा राज्य

[(1990) 2 एससीसी 71: 1990 एससीसी (कर) 223: (1991) 188 आई. टी. आर. 402] इस न्यायालय ने कहा कि उचित निर्माण का नियम होना चाहिए

एक क़ानून का निर्माण करते समय लागू किया गया। यदि यह अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य और उद्देश्य को पराजित करता है तो शाब्दिक निर्माण से बचा जाना चाहिए।

13. इसलिए, जज लर्नड हैंड के प्रसिद्ध शब्दों में, कोई भी शब्दकोश से एक किला नहीं बना सकता है; और यह याद रखना चाहिए कि कानूनों का कुछ उद्देश्य और आपत्ति है जिसे पूरा करना सहानुभूतिपूर्ण और कल्पनाशील खोज उनके अर्थ के लिए निश्चित मार्गदर्शक है। आर. बी. जोधा मल कुठियाला बनाम के मामले में। सीआईटी [(1971) 3 एससीसी 369: (1971) 82 आई. टी. आर. 570], यह पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

खंड में एक स्पष्ट चूक प्रदान करता है और खंड को एक उचित व्याख्या देने के लिए खंड में पढ़ने की आवश्यकता है, इसे संचालन में पूर्वव्यापी के रूप में माना जाना चाहिए ताकि समग्र रूप से खंड की उचित व्याख्या की जा सकती है।

25. हम पहले ही देख चुके हैं कि धारा 44 का संदर्भ पक्षपाती है।

तटस्थ, उस स्थान के संदर्भ में जिस पर पुरस्कार दिया जाता है। के लिए

इस कारण से, इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि धारा 44 के आधार को तब बदला जाना चाहिए जब दो भारतीय नागरिक

उनके विवादों का समाधान भारत के बाहर किसी देश में किया जाता है। दूसरी ओर, एस. के. गुप्ता बनाम में निर्णय। के. पी. जैन (1979) 3 एस. सी. सी. 54 उपयुक्त है, और

निम्नलिखित रूप में कहते हैं:

" 24. इस परिभाषा की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह एक समावेशी परिभाषा है और, जहां एक परिभाषा खंड में, "शामिल" शब्द का उपयोग किया जाता है, ऐसा क़ानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बड़ा करने के लिए किया जाता है और जब ऐसा होता है। प्रयुक्त, इन शब्दों या वाक्यांशों को न केवल ऐसी चीजों को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए जिन्हें वे अपने प्राकृतिक महत्व के अनुसार दर्शाते हैं, बल्कि उन चीजों को भी जो व्याख्या खंड

घोषणा करता है कि वे शामिल होंगे (दिलवर्थ बनाम देखें। डाक टिकट आयुक्त [(1899) एसी 99,105: 79 एलटी 473])। जहाँ एक क़ानून के परिभाषा खंड में एक शब्द को एक निश्चित चीज़ के अर्थ के लिए परिभाषित किया गया है, जहाँ भी उस कानून में उस शब्द का उपयोग किया गया है, इसका अर्थ वही होगा जो परिभाषाओं में कहा गया है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो। लेकिन जहां परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है, शब्द न केवल अपने सामान्य, लोकप्रिय और प्राकृतिक अर्थ को धारण करता है जब भी वह लागू होगा, बल्कि यह अपने विस्तारित वैधानिक अर्थ को भी धारण करता है। किसी भी तरह से, इस तरह की विस्तृत परिभाषा को इस तरह से समझा जाना चाहिए

किसी अधिनियम के अधिनियमित करने वाले प्रावधानों में कटौती नहीं करना जब तक कि

वाक्यांश विपरीत प्रभाव डालने में बिल्कुल स्पष्ट है (जॉबिन्स वी देखें। मिडिलसेक्स काउंटी परिषद [(1949) 1 के. बी. 142: (1948) 2 सभी ई. आर. 610])। जहाँ एक परिभाषा खंड में एक अभिव्यक्ति की परिभाषा से पहले "जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो" शब्द होते हैं, आम तौर पर खंड में दी गई परिभाषा होनी चाहिए

लेकिन इस सामान्य नियम को लागू और प्रभाव दिया जा सकता है, हालांकि, यदि यह दिखाने के लिए संदर्भ में कुछ है कि [2021] 4 एस. सी. आर.

नेहरू गांधी बनाम. राज नारायण [(1975) पूरक एस. सी. सी. 1,97])। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि आम तौर पर किसी को परिभाषा का पालन करना पड़ता है और यदि यह एक विस्तृत परिभाषा है तो उसी का पालन किया जाना चाहिए। किसी भी परिभाषा की रूपरेखा को अधिक बार लचीला बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन कानून में सटीकता और निश्चितता की आवश्यकता है कि इसे ढीला नहीं किया जाना चाहिए और यथासंभव कसकर नहीं रखा जाना चाहिए। (देखें काल्या सिंह बनाम। गेंदा लाल [(1976) 1 एस. सी. सी. 304,309: (1975)

3 एससीआर 783]) "।

26. इस कारण से, तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है।

कि "जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो" अभिव्यक्ति को न्यूयॉर्क कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों में एक सीट-उन्मुख प्रावधान से एक व्यक्ति-उन्मुख प्रावधान में परिवर्तित करके धारा 44 के आधार को पूर्ववत करने के लिए माना जा सकता है जिसमें मध्यस्थता समझौते के पक्षों में से एक को विदेशी नागरिक या आदतन बाहर का निवासी होना चाहिए।

भारत। किसी भी मामले में, धारा 44 का संदर्भ भाग I में एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के संदर्भ से बहुत दूर है जिसे धारा 11, धारा 28, धारा 29ए (1), धारा 34 (2ए) और धारा 431 के प्रयोजनों के लिए परिभाषित किया गया है, जो सभी भाग I में आते हैं और जिनसे संबंधित हैं

मध्यस्थता जो भारत में होती है। इसके अलावा, श्री हिमानी के तर्क में धारा 44 में "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" अभिव्यक्ति को शारीरिक रूप से शामिल करना शामिल होगा, जो धारा 44 के शुरुआती शब्दों के कारण नहीं किया जा सकता है, "इस अध्याय में" जो भाग II का अध्याय I है, और फिर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (च) में निहित परिभाषा को लागू करना, जो भाग I तक सीमित होने के कारण, अब भाग II पर लागू किया जाना चाहिए। व्याख्या का कोई सिद्धांत इस तरह के तर्क को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

27. इस बिंदु पर, एटलस (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में, भले ही अपीलकर्ता, एक भारतीय कंपनी, ने हांगकांग में निगमित एक कंपनी के साथ 03.06.1980 दिनांकित अनुबंध किया था, माल की आपूर्ति मुंबई में एक भारतीय कंपनी, अर्थात् कोटक एंड कंपनी के माध्यम से की जानी थी। दो भारतीय कंपनियों-एटलस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद उत्पन्न हुए। लिमिटेड और कोटक एंड कंपनी। 03.06.1980 दिनांकित अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड निम्नानुसार शामिल किया गया था:

" 2. 3-6-1980 दिनांकित अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड शामिल किया गया था

जिसे नीचे निकाला और पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" यह अनुबंध ग्रेन एंड फूड ट्रेड एसोसिएशन लिमिटेड, लंदन, पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. की तारीख से प्रभावी नियमों और शर्तों के तहत किया गया है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अनुबंध 15 जिसे इसके द्वारा इस अनुबंध का एक हिस्सा बनाया गया है। खरीदार और विक्रेता दोनों इसके द्वारा जी. ए. एफ. टी. ए. अनुबंध के पाठ के साथ परिचित होने को स्वीकार करते हैं और इसके द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत होते हैं।

नियम और शर्तें "।

3. " जी. ए. एफ. टी. ए. का अर्थ है ग्रेन एंड फूड ट्रेड एसोसिएशन लिमिटेड, लंदन। जी. ए. एफ. टी. ए. के मानक अनुबंध 15 का खंड 27 प्रदान करता है

निम्नानुसारः

" 27. मध्यस्थता। (क) इस अनुबंध से या उसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा लंदन में मध्यस्थता द्वारा ग्रेन एंड फूड ट्रेड एसोसिएशन लिमिटेड, संख्या 125 के मध्यस्थता नियमों के अनुसार किया जाएगा, जो इस अनुबंध का हिस्सा हैं और जिनमें से दोनों पक्षों को संज्ञानात्मक माना जाएगा।

(ख) इनमें से कोई भी पक्ष या उनमें से किसी के तहत दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवाद तब तक नहीं लाएगा जब तक कि इस तरह के विवाद की सुनवाई मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थों, अंपायर या अपील बोर्ड द्वारा पहले नहीं की जाती है और इसका निर्धारण नहीं किया जाता है और यह स्पष्ट रूप से सहमत और घोषित किया जाता है कि मध्यस्थता, अंपायर या अपील बोर्ड से पुरस्कार प्राप्त करना, जैसा भी मामला हो, किसी भी पक्ष या उनमें से किसी के तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी कि वह किसी भी ऐसे विवाद के संबंध में उनमें से दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई या अन्य कानूनी कार्यवाही करे।

जी. ए. एफ. टी. ए., लंदन के नियमों के अनुसार 22.06.1987 पर एक विदेशी पुरस्कार दिया गया था। कोटक एंड कंपनी ने धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया

और उच्च न्यायालय के समक्ष विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 6, उसी को दाखिल करके पुरस्कार को लागू करने की मांग करती है और पुरस्कार के अनुसार निर्णय की घोषणा के लिए प्रार्थना करती है। इस पुरस्कार को अदालत का एक नियम बनाया गया था, जिसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक डिक्री जारी की गई थी। एटलस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट द्वारा पसंद की गई एक लेटर्स पेटेंट अपील। लिमिटेड को बर्खास्त कर दिया गया। एक विशिष्ट विवाद उठाया गया था कि चूंकि दोनों एटलस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। लिमिटेड और कोटक एंड कंपनी भारतीय पक्ष थे, अनुबंध अधिनियम की धारा 23 और 28 के विपरीत होने के कारण पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सका। इस न्यायालय ने इसे इस प्रकार खारिज कर दियाः

" 10. हालाँकि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि पुरस्कार को अप्रवर्तनीय माना जाना चाहिए था क्योंकि [2021] 4 एस. सी. आर. से संबंधित पक्षों के बीच ही अनुबंध था।

मध्यस्थता अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के साथ पठित धारा 23 के तहत सार्वजनिक नीति का विरोध करती थी। यह प्रस्तुत किया गया कि एटलस और कोटक, जिन पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, दोनों भारतीय पक्ष हैं और वह अनुबंध जिसका प्रभाव उन्हें विदेशी मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए मजबूर करने का था और इस तरह भारत के सामान्य कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध उपचार को निहित रूप से बाहर करना सार्वजनिक नीति का विरोध माना जाना चाहिए। के तहत

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 किसी समझौते पर विचार या उद्देश्य गैरकानूनी है यदि वह सार्वजनिक नीति का विरोध करता है। धारा 28 और इसके लिए अपवाद 1, (जो केवल इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है) को यहाँ निकाला और पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 28. प्रत्येक समझौता, जिसके द्वारा कोई भी पक्ष प्रतिबंधित है

किसी भी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से, सामान्य न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्यवाही द्वारा, या जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह इस प्रकार अपने अधिकारों को लागू कर सकता है। अधिकार, उस हद तक शून्य है।

अपवाद 1. - यह धारा किसी ऐसे अनुबंध को अवैध नहीं बनाएगी जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत हों कि किसी विषय या वर्ग के संबंध में उनके बीच कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है।

विषयों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, और यह कि केवल इस तरह के मध्यस्थता में दी गई राशि के संबंध में वसूली योग्य होगी

विवाद को इस प्रकार संदर्भित किया गया है "।

11. यह मामला धारा 28 के अपवाद 1 द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किया गया है। कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने का पक्षों का अधिकार नहीं है

समझौते से बहिष्कृत। पक्षकारों को केवल अपने विवाद/विवादों का निर्णय उसी को संदर्भित करके करना आवश्यक है।

मध्यस्थता। केवल इसलिए कि मध्यस्थ विदेश में स्थित हैं, मध्यस्थता को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

समझौता तब होता है जब पक्ष अपनी खुली आँखों से समझौते में स्वेच्छा से प्रवेश करते हैं। इसके अलावा, इस मामले में पक्षों ने स्वेच्छा से उनके बीच उत्पन्न हुए विवादों पर मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की है। उन्होंने मध्यस्थों की नियुक्ति की है, मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया है और उन्हें एक पुरस्कार का

सामना करना पड़ा है। हमारे समक्ष उठाई गई याचिका न तो मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान, न ही उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उनके समक्ष दायर आपत्तियों में, न ही डिवीजन बेंच के समक्ष दायर पत्र पेटेंट अपील में उठाई गई थी।

इस तरह के पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इससे पहले अपीलार्थी एटलस द्वारा दायर की जाने वाली याचिका उपलब्ध नहीं है।

पहली बार अदालत। "

28. यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि एक विदेशी पुरस्कार

इसे केवल इसलिए लागू करने से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे विदेशी पुरस्कार अधिनियम के समान सामग्री प्रावधानों के तहत दो भारतीय पक्षों के बीच बनाया गया था। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चूंकि यह याचिका नीचे की किसी भी अदालत में कभी नहीं ली गई थी, इसलिए अपीलार्थी के लिए यह पहली बार इस अदालत के समक्ष उक्त याचिका को उठाने के लिए उपलब्ध नहीं था।

29. यह स्पष्ट है कि एक से अधिक अनुपात हो सकते हैं

एक निर्णय। इस प्रकार, जैकब्स बनाम में। लंदन काउंटी काउंसिल, (1950) 1 सभी ई. आर. 737, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कुछ पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" ... हालाँकि, यह हो सकता है, मेरी राय में, कोई औचित्य नहीं है

उसके लिए एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण को आज्ञाकारी उक्ति के रूप में संदर्भित करने के लिए

निर्णय, क्योंकि उन्होंने एक और कारण भी दिया है। अगर एक

यह पूछने के लिए उचित परीक्षण कि क्या निर्णय समान होता

उस प्रस्ताव के अलावा जो कथित रूप से आज्ञाकारी है, फिर एक मामला जो

प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया कि दो चीजें कुछ भी तय नहीं करेंगी। एक अच्छी बात। चित्रण लंदन ज्वेलर्स लिमिटेड बनाम में पाया जाएगा।

एटनबरो, (1934) 2 KB 206 (CA)। उस मामले में

किसी एक मुद्दे का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायालय कितनी दूर है

अपील लोक बनाम में अपने पिछले निर्णय से बाध्य थी। आर.,

(1923) 1 के. बी. 282 (सी. ए.), [जिसमें] अदालत ने दो आधार दिए थे

अपने निर्णय के लिए, जिसमें से दूसरा [जैसा कि ग्रीर, एल. जे. द्वारा कहा गया है, एटनबरो मामले में, (1934) 2 KB 206] यह था किः (के. बी पी. 222):

" ..... जहाँ कोई व्यक्ति बेचने के अधिकार के साथ अधिकार प्राप्त करता है, या

स्वयं मालिक बनना, और फिर बेचना, वह नहीं हो सकता

ऐसा माना जाता है कि उसने एक चाल से माल प्राप्त किया था।

999

एटनबरो मामले (1934) 2 के. बी. 206 में यह तर्क दिया गया था कि,

क्योंकि फोक्स में निर्णय के लिए एक और कारण दिया गया था

मामला, (1923) 1 KB 282, दूसरा कारण आज्ञाकारी था, लेकिन ग्रीर,

एल. जे. ने वकील के तर्क के संदर्भ में कहाः (एटनबरो

मामला, के. बी. पी. 222)

" मैं यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि अगर हम सत्ता से बाधित नहीं होते

इस प्रस्ताव के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है जिसकी सराहना की गई स्वयं स्विफ्ट, जे., और जिन्होंने मुझे खुद की सराहना की

फोक्स वी में। आर., (1923) 1 के. बी. 282, लेकिन वह दृश्य [2021] 4 एस. सी. आर. के लिए खुला नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोक बनाम में अपील न्यायालय के निर्णय को देखते हुए। आर.,

(1923) 1 के. बी. 282 उस मामले में सभी ने दो कारण बताए थे

अनुपात निर्णय और पहले की उपेक्षा; हमें दोनों को इस रूप में लेना चाहिए निर्णय का आधार बनाना।"

तो, चीटर वी में भी। कैटर, (1918) 1 KB 247 (CA) पिकफोर्ड,

एर्स्किन वी। एडेन, (1873) एलआर 8 सीएच ऐप 756 ने कहाः (धोखेबाज। मामला, के. बी. पी. 252)

" ..... यह कानून का एक विशिष्ट कथन है न कि एक उक्ति। यह.

यह भगवान न्याय द्वारा अपने निर्णय के लिए दिया गया दूसरा आधार है। यदि कोई न्यायाधीश अपने निर्णय के लिए दो आधार बताता है और अपने निर्णय को आधार बनाता है।

दोनों में से कोई भी आधार पर निर्णय एक उक्ति नहीं है।

(

पृष्ठ 741 पर)

उक्त निर्णय का गुजरात राज्य बनाम में पालन किया गया है।

मनोहरसिंहजी प्रद्युम्नसिंहजी जडेजा, (2013) 2 एस. सी. सी. 300 (पैराग्राफ 78 और 79 पर) और शायरा बानो बनाम। भारत संघ, (2017) 9 एस. सी. सी. 1 (फुटनोट 65 पर)।

30. जाहिर है, अपीलार्थी को खारिज करने के दो कारण थे

एटलस (ऊपर) में तर्क-पहला कारण स्पष्ट रूप से योग्यता पर था। दूसरा कारण निस्संदेह इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसे पहले नहीं उठाया गया था। हालाँकि, यह इस तथ्य के साथ जोड़ा गया था कि पक्षों ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया और एक पुरस्कार का सामना किया, जिसके बाद ऐसी याचिका ली गई थी। इसलिए हम श्री हिमानी के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इस मामले को इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है कि अनुबंध की धारा 23 और 28

जब विदेशी पुरस्कार अधिनियम, 1961 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने की बात आती है, जहां दोनों पक्ष भारतीय कंपनियां हैं, तो अधिनियम नुकसान के रास्ते से बाहर हैं।

31. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अमेरिकी कानून के तहत, एक मध्यस्थता

दो अमेरिकी नागरिकों के बीच किया गया समझौता या पुरस्कार न्यूयॉर्क समझौते के तहत नहीं आएगा जब तक कि इस तरह के संबंध में संपत्तियां शामिल न हों।

विदेश में स्थित, विदेश में होने के लिए अमेरिका में किए गए अनुबंध के प्रदर्शन की परिकल्पना करता है, या एक पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के साथ कुछ उचित संबंध रखता है।

या अधिक विदेशी राज्य। इस प्रकार, संघीय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 202 [शीर्षक 9, यू. एस. कोड] इस प्रकार बताता है:

" धारा 202। के अंतर्गत आने वाला समझौता या पुरस्कार

कन्वेंशन-एक कानूनी संबंध से उत्पन्न होने वाला एक मध्यस्थता समझौता या मध्यस्थता पुरस्कार, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं, जिसे इस शीर्षक की धारा 2 में वर्णित लेनदेन, अनुबंध या समझौते सहित वाणिज्यिक माना जाता है, कन्वेंशन के तहत आता है। ऐसे संबंध से उत्पन्न होने वाला एक समझौता या पुरस्कार जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के बीच है, यह माना जाएगा कि यह संधि के तहत नहीं आता है जब तक कि उस संबंध में विदेश में स्थित संपत्ति शामिल न हो। विदेश में
प्रदर्शन या प्रवर्तन की परिकल्पना करता है, या एक या अधिक विदेशी राज्यों के साथ कुछ अन्य उचित संबंध रखता है। इस धारा के उद्देश्य के लिए एक निगम संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है यदि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित है या इसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान है।

32. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब भारत ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन को स्वीकार किया और फॉरेन कन्वेंशन को लागू किया तो ऐसी कोई चेतावनी दर्ज नहीं की गई।

पुरस्कार अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम, 1996। इसके विपरीत, हमने देखा है कि कैसे धारा 44 में उल्लिखित "व्यक्तियों" का राष्ट्रीयता, निवास या अधिवास का कोई संदर्भ नहीं है। यह इस तथ्य का एक और महत्वपूर्ण संकेत है कि अमेरिकी संहिता के विपरीत, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 में ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

33. सासन I (ऊपर) में, दो भारतीय कंपनियों के बीच अनुबंध में निहित विवाद समाधान खंड पैराग्राफ 33 में निर्धारित किया गया था।

फैसले का विवरण इस प्रकार है:

" 33. हालांकि, अनुच्छेद 12 शासी कानून और एक विवाद समाधान तंत्र से संबंधित है। धारा 12.1 और 12.2 (ए), जो प्रासंगिक हैं, उन्हें नीचे पढ़ा जा सकता है:

" धारा 12.1-शासी कानून-यह समझौता होगा कानून के सिद्धांतों के टकराव की परवाह किए बिना यूनाइटेड किंगडम के कानूनों द्वारा शासित, और उनके अनुसार समझा और व्याख्या की गई।

धारा 12.2-विवाद समाधान

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(आई. सी. सी.) अपने वाणिज्यिक मध्यस्थता नियमों के अनुसार तब प्रभावी ('नियम')। मध्यस्थता का स्थान लंदन, इंग्लैंड होगा। प्रत्येक पक्ष एक (1) मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और इस प्रकार नियुक्त दो (2) मध्यस्थ एक साथ तीसरे मध्यस्थ का चयन और नियुक्ति करेंगे। अगर या तो रिलायंस, एक पर दूसरी ओर, मध्यस्थता की मांग के प्रत्यर्थी (ओं) द्वारा प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर या यदि दो (2) पक्ष-नियुक्त किए जाते हैं, तो एन. ए. सी. अपने-अपने मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहता है।

मध्यस्थ दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के तीस (30) दिनों के भीतर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति करने में असमर्थ हैं, तो आई. सी. सी. ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा या

अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, नियमों की सूची, श्रेणी और हड़ताली प्रावधानों के अनुसार। धारा 9 के तहत प्रावधान को छोड़कर, (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग 1 के प्रावधान, जैसा कि संशोधित ('मध्यस्थता अधिनियम') मध्यस्थता पर लागू नहीं होंगे। मध्यस्थ दंडात्मक, अनुकरणीय, एकाधिक या परिणामी हर्जाना नहीं देंगे। मध्यस्थता के संबंध में

कार्यवाही, पक्षकार एतद्द्वारा एक-दूसरे और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के साथ सद्भावना से सहयोग करने और किसी भी उचित मामले में तुरंत जवाब देने के लिए अपने-अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं। ऐसे पक्ष और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई खोज की मांग।

इस अनुच्छेद का खंड (घ) मध्यस्थता के उद्देश्य से ई-पक्षों द्वारा किए जाने वाले भुगतानों से संबंधित है।

' (घ) प्रत्येक पक्ष अपना स्वयं का मध्यस्थता खर्च वहन करेगा, और एक ओर रिलायंस, और दूसरी ओर एन. ए. सी., आई. सी. सी. और अध्यक्ष की फीस का आधा भुगतान करेगा और खर्च, जब तक कि मध्यस्थ यह निर्धारित नहीं करते हैं कि यह न्यायसंगत होगा यदि सभी या प्रचलित पक्ष के खर्चों का एक हिस्सा

इसे दूसरे पक्ष द्वारा वहन किया जाना चाहिए। जब तक पुरस्कार में गैर-मौद्रिक उपचार का प्रावधान नहीं है, तब तक ऐसे किसी भी पुरस्कार को ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. बनाया जाएगा।

लिमिटेड। वी. जी. ई. पावर नर्वशन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और (i) एन. ए. सी. को देय अमेरिकी डॉलर या (ii) किसी भी कर या अन्य कटौती के रिलायंस नेट को भुगतान किए जाने पर रुपये में तुरंत देय होगा। पुरस्कार में इस समझौते के किसी भी उल्लंघन या अन्य उल्लंघन की तारीख से ब्याज शामिल होगा और ब्याज की दर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी और इस तरह के किसी भी उल्लंघन या अन्य उल्लंघन की तारीख से गणना की जाएगी।

उस तारीख तक जब पुरस्कार का पूरा भुगतान किया जाता है। "

न्यायालय ने तब बाल्को (ऊपर) को संदर्भित किया और अभिनिर्धारित किया:

6. अंत में, पैराग्राफ 118 [भारत एल्यूमीनियम कंपनी v. कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., (2012) 9 एस. सी. सी. 552], महत्वपूर्ण यू. आर. टी. पर श्री ने बहुत अधिक भरोसा किया। वी. के. तन्खा, विद्वान वरिष्ठ

विशेष रूप से, धारा 28 का संदर्भ दिया गया है, और इसे निम्नानुसार माना जाता है:

' 118. यह अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था

कि धारा 28 के इरादे का एक और संकेत है

संसद ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग 1 नहीं था

भारत में होने वाले मध्यस्थताओं तक सीमित। हम विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं

पार्टियाँ। जैसा कि धारा 28 का शीर्षक इंगित करता है, इसका एकमात्र उद्देश्य उन नियमों की पहचान करना है जो 'विवाद के सार' पर लागू होंगे। दूसरे शब्दों में, यह कानून नियमों के लागू टकराव से संबंधित है। यह खंड विशुद्ध रूप से के बीच अंतर करता है

भारत में एक सीट के साथ। धारा 28 (1) (ए) यह स्पष्ट करती है कि भाग I के तहत एक मध्यस्थता में जिस पर धारा 2 (1) (एफ) लागू नहीं होती है, न्यायाधिकरण के पास 'विवाद' का फैसला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है

भारतीय मूल कानून को लागू करके

अनुबंध '। यह स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि दो या दो से अधिक भारतीय

पक्षकार मूल भारतीय कानून को दरकिनार नहीं करते हैं,

मध्यस्थताओं का सहारा लेना। प्रावधान में एक होगा ऐसे किसी अन्य विपरीत प्रावधान पर प्रबल प्रभाव

'विधि' और यदि इस पर सहमति नहीं है, तो लागू 'मूल विधि' न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। खंड केवल दिखाता है कि विधायिका ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को अलग कर दिया है। इसलिए, भारत के अनुरूप, कानून के नियमों के टकराव को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, जहां मध्यस्थता भारत में है।

यह वहां लागू नहीं होगा जहां सीट भारत के बाहर है। उस घटना में, देश के कानून नियमों का टकराव जिसमें मध्यस्थता होती है तो इसे लागू करना होगा। इसलिए, हमारी राय में, एक्सप्रेस 'पर जोर दिया गया है जहां विद्वान वरिष्ठ द्वारा मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है। अपीलार्थियों का वकील, इस तथ्य का संकेत नहीं है कि संसद का इरादा एक अतिरिक्त-क्षेत्रीय कार्रवाई करने का था मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I के लिए।'

(मूल में जोर)

47. माननीय उच्चतम न्यायालय का मानना है कि धारा 28 विशुद्ध रूप से घरेलू मध्यस्थता और भारत में एक सीट के साथ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बीच स्पष्ट अंतर करती है, और यह इंगित किया जाता है कि धारा

28 (1) (क) यह स्पष्ट करता है कि भाग I के तहत एक मध्यस्थता में, जिस पर धारा 2 (1) (च) लागू नहीं होती है, न्यायाधिकरण के पास भारतीय मूल कानून को लागू करके विवाद का फैसला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अनुबंध पर लागू। यह निर्णय का वह हिस्सा है जिस पर श्री ने बहुत अधिक भरोसा किया था। वी. के. तन्खा, विद्वान वरिष्ठ

अधिवक्ता आगे अगले वाक्य का उल्लेख करते हैं जिसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक भारतीय पक्ष मूल भारतीय को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मध्यस्थता का सहारा लेकर कानून। इस भाग पर बहुत जोर देकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह इंगित करने की कोशिश की कि विद्वान जिला न्यायाधीश का आदेश अस्थिर है।

48. हालाँकि, अगर हम उसी अनुच्छेद 118 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को आगे पढ़ते हैं, जैसा कि पुनः प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब स्थान भारत से बाहर हो, तो उस देश के विधि नियम का टकराव लागू करना होगा जिसमें मध्यस्थता होती है, और उसके बाद यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 'क्या मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है' यह अभिव्यक्ति

1996 के मध्यस्थता अधिनियम के भाग I को अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन देने के लिए संसद के इरादे का संकेत नहीं देती है। पैराग्राफ 123 में भी, इस मामले पर धारा 28 के तहत विचार किए गए प्रावधानों की पृष्ठभूमि में विचार किया गया है, इससे हम इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि भाग I के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां मध्यस्थता का स्थान भारत से बाहर है।

49. टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के समक्ष कार्यवाही।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

माननीय उच्चतम न्यायालय धारा 11 (6) के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में था और इसकी परिभाषा पर ध्यान देने के बाद

धारा 2 (1) (च) में प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया और

विधायिका का इरादा यह अभिनिर्धारित करना कि दो भारतीय नागरिकों को भारतीय कानून का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 50. अंत में, पैरा 23 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

'23 . 1996 के अधिनियम की धारा 28 चरित्र में अनिवार्य है

इसकी धारा 2 (6) का दृष्टिकोण, जिसमें इसे शामिल नहीं किया गया था

वे प्रावधान जिनका पक्षकार अवमूल्यन करते हैं (यदि ऐसा प्रदान किया गया है)

अधिनियम द्वारा)। विधायिका की मंशा प्रतीत होती है कि

स्पष्ट करें कि भारतीय नागरिकों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

भारतीय कानून से अवहेलना। यह सार्वजनिक नीति का हिस्सा है।

देश से। 36. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निष्कर्ष/अवलोकन

यहाँ पहले किए गए केवल निर्धारण के उद्देश्य से थे

धारा 11 के तहत परिकल्पित इस न्यायालय की अधिकारिता

1996 अधिनियम और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

(मूल में जोर)

51. यदि हम इस निर्णय का विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि धारा 11 (6) के तहत आयोजित कार्यवाही में प्रस्तुत किए जाने के अलावा, यह धारा 28 (1) के संदर्भ में किए गए विचार पर आधारित है, जैसा कि अनुच्छेद 23 से स्पष्ट है। वी. के. तन्खा और उसके बाद पैराग्राफ 36 में, इस निर्णय की प्रयोज्यता के संबंध में सावधानी बरतने का संकेत दिया गया है। जबकि एटलस के मामले में निर्यात (ऊपर), हम पाते हैं कि एटलस निर्यात में, पैराग्राफ 10 और 11 में, निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं:

'10 . हालाँकि यह विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था

अपीलार्थी कि पुरस्कार [2021] 4 एस. सी. आर. होना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के बीच बहुत ही अनुबंध के रूप में जितना में अप्रवर्तनीय मध्यस्थता से संबंधित पक्ष जनता के खिलाफ थे

धारा 28 के साथ पठित धारा 23 के तहत नीति

अनुबंध अधिनियम। यह प्रस्तुत किया गया था कि एटलस और कोटक, जिन पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, दोनों भारतीय पक्ष हैं और अनुबंध जिसका प्रभाव मजबूर करने वाला था।

विदेशी मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता का सहारा लेना और

जिससे उनके लिए उपलब्ध उपचार को अप्रत्यक्ष रूप से हटा दिया जाता है

यदि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है तो गैरकानूनी है। धारा 28 और इसके लिए अपवाद 1 (जो केवल इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है) यहाँ निकाले गए और पुनः प्रस्तुत किए गए:

'28 . प्रत्येक समझौता, जिसके द्वारा कोई भी पक्ष किसी भी समझौते के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित है

साधारण न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्यवाही द्वारा अनुबंध, या जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह इस प्रकार अपने अधिकार को लागू कर सकता है।

अधिकार, उस हद तक शून्य है।

अपवाद 1-यह धारा किसी अनुबंध को अवैध नहीं बनाएगी।

जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत हों कि कोई भी विवाद किसी विषय या वर्ग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकता है

विषयों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, और यह कि केवल इस तरह के मध्यस्थता में दी गई राशि की वसूली की जाएगी। इस प्रकार निर्दिष्ट विवाद का सम्मान '।

11. यह मामला धारा 28 के अपवाद 1 द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किया गया है। कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने का पक्षों का अधिकार नहीं है

समझौते से बहिष्कृत। पक्षकारों को केवल अपने विवाद/विवादों का निर्णय उसी को संदर्भित करके करना आवश्यक है।

मध्यस्थता। केवल इसलिए कि मध्यस्थ एक में स्थित हैं

विदेशी देश अपने आप में रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है

मध्यस्थता समझौता जब पक्षों के पास अपनी नज़रों के साथ होता है

खुले मन से समझौते में प्रवेश किया। इसके अलावा, हाथ में मामला पक्षों ने इच्छुक मध्यस्थता शुरू की है

उनके बीच उत्पन्न हुए विवादों पर कार्यवाही। उन्होंने मध्यस्थों की नियुक्ति की है, मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया है और उन्हें एक पुरस्कार का सामना करना पड़ा है। हमारे समक्ष उठाई गई याचिका न तो मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान, न ही पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के समक्ष उठाई गई थी।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने समक्ष दायर आपत्तियों में, और न ही डिवीजन बेंच के समक्ष दायर पत्र पेटेंट अपील में।

इस तरह की याचिका पहली बार इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी एटलस द्वारा उठाई जाने के लिए उपलब्ध नहीं है।

(मूल में जोर)

52. इस मामले में अर्थात एटलस निर्यात (उपर्युक्त), अनुबंध अधिनियम की धारा 23 और 28 पर विचार किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब कोई विवाद उत्पन्न होता है जहां दोनों पक्ष भारतीय होते हैं, और यदि अनुबंध का प्रभाव उन्हें विदेशी मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए मजबूर करने का होता है और इस तरह भारत के सामान्य कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध उपचार को निहित रूप से बाहर कर दिया जाता है, तो यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं है। अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के अपवाद (1) पर ध्यान दिया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि केवल इसलिए कि मध्यस्थ किसी विदेश में स्थित हैं, जो स्वयं मध्यस्थता समझौते को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जब पक्ष अपनी आँखें खुली रखते हैं, स्वेच्छा से एक समझौते में प्रवेश करते हैं। यदि यह अवलोकन

उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय पर ध्यान दिया जाता है, हम पाते हैं कि केवल इसलिए कि दो भारतीय कंपनियों ने सहमत मध्यस्थों द्वारा विदेश में आयोजित किए जाने वाले मध्यस्थता समझौते में प्रवेश किया है, यह अपने आप में मध्यस्थता समझौते को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

53. श्री. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वी. के. तन्खा ने यह इंगित करने का प्रयास किया कि एटलस निर्यात (उपर्युक्त) मामले को मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत आयोजित एक कार्यवाही में प्रस्तुत किया गया था जो 1996 के अधिनियम से पूरी तरह से अलग है और इसलिए, उक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा। इसके बजाय, टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) के मामले में निर्णय लागू होगा।

54. हम उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। श्री अनिरुद्ध

विद्वान वकील कृष्णन ने हमें 1940 के अधिनियम और 1996 के अधिनियम दोनों के प्रावधानों के बारे में बताया था और उसके बाद उन्होंने मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया था

फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 65 के बाद से दोनों अधिनियमों की विभिन्न धाराओं की विस्तृत तुलना के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों अधिनियमों के प्रावधानों पर चर्चा की और अंत में कहा कि उनके बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। यदि मामले में उपरोक्त निर्णय फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड (उपर्युक्त) के बारे में माना जाता है कि 1980 का अधिनियम [एस. आई. सी. 1940] और 1996 दोनों समान हैं और माननीय न्यायालय ने भी दोनों [2021] 4 एस. सी. आर. में समानता का संकेत दिया है।

क्रियाएँ। ऐसा होने पर, हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि एटलस एक्सपोर्ट्स (उपरोक्त) का सिद्धांत, जो एक बड़ी पीठ यानी डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित किया गया है, विशेष रूप से ए. आर. के मामले में निर्धारित पूर्ववर्ती कानून के आलोक में क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए।

अंतुले (ऊपर)। श्री का तर्क। वी. के. तन्खा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने कहा कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने एटलस एक्सपोर्ट्स (ऊपर) के मामले में निर्णय पर भरोसा किया और टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (ऊपर) के मामले पर भरोसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह एकल पीठ द्वारा किया गया है जो विश्वसनीय या स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एटलस एक्सपोर्ट्स (ऊपर) के मामले में डिवीजन बेंच का निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल है और एक बार जब यह कहा जाता है कि दो भारतीय कंपनियां विदेश में मध्यस्थता करने के लिए सहमत हो सकती हैं और वे सार्वजनिक नीति से प्रभावित नहीं होती हैं, तो हम विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं देखते हैं।

55. इसके अलावा, हम यह भी पाते हैं कि टी. डी. एम. अवसंरचना (उपरोक्त) के मामले में, पैराग्राफ 36 में सावधानी का संकेत दिया गया है, जिसे बाद में एक शुद्धिपत्र द्वारा जोड़ा गया था।

निर्णय की घोषणा, यह स्पष्ट रूप से सिद्धांत को इंगित करता है

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित केवल धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने के लिए था और इससे अधिक कुछ नहीं। हमें अब प्रश्नों में आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पाते हैं कि एटलस एक्सपोर्ट्स (उपरोक्त) के मामले में निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल है।

56. श्री द्वारा विभिन्न अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए गए। विद्वान वकील अनिरुद्ध कृष्णन का कहना है कि टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) के मामले में निर्णय किसी अदालत द्वारा नहीं दिया गया है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 141 का प्रावधान लागू नहीं होगा। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि एटलस निर्यात (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का सिद्धांत हम पर बाध्यकारी है और वर्तमान विवाद पर लागू होता है, तो हमें इन सभी में जाने की आवश्यकता नहीं है

सवाल करते हैं।

57. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की योजना के माध्यम से जाने पर, हम पाते हैं कि मध्यस्थता के स्थान के आधार पर और साथ ही पक्षों की राष्ट्रीयता के आधार पर, एक मध्यस्थता को वर्गीकृत किया जाता है

‘ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और शासी कानून भी मध्यस्थता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता के आधार पर, दो भारतीय कंपनियों/पक्षों को भारत से बाहर मध्यस्थता करने की अनुमति देने का प्रश्न स्वीकार्य है। एटलस एक्सपोर्ट्स (उपरोक्त) के मामले में, सिद्धांत पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. रहा है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह तय किया गया कि दो भारतीय भारत के बाहर मध्यस्थता का स्थान रखने के लिए सहमत हो सकते हैं। अब, यदि दो भारतीय कंपनियाँ किसी विदेशी देश में मध्यस्थता करने के लिए सहमत होती हैं, तो सवाल यह होगा कि क्या भाग I या भाग II के प्रावधान लागू होंगे। 1996 के अधिनियम की धारा 44 में विदेशी पुरस्कार को कानूनी कारणों से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर से संबंधित माना गया है। संबंध, चाहे संविदात्मक हो या न हो, जो मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में है, जिस पर पहली अनुसूची में निर्धारित परिपाटी लागू होती है।

58. 1996 के अधिनियम की पहली अनुसूची में, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के रूप में लोकप्रिय विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन निर्धारित किया गया है और इसमें स्वीकार किया गया है

इस मामले में पक्षकारों ने भारत के बाहर अपनी सीट यानी लंदन के साथ एक मध्यस्थता करने पर सहमति व्यक्त की है। यदि यह स्थिति है तो धारा 45 के प्रावधान तब तक आकर्षित किए जाएंगे जब तक कि

1996 से। भाग II की प्रयोज्यता पूरी तरह से इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि मध्यस्थता का स्थान क्या है, चाहे वह किसी ऐसे देश में हो जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता हो। यदि यह आवश्यकता है पूरा किया गया, भाग II लागू होगा और वर्तमान मामले में चूंकि यह आवश्यकता पूरी हो गई है, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विचाराधीन विवाद 1996 के अधिनियम के भाग II के अंतर्गत आता है।

***

" 72. अंत में, हम देख सकते हैं कि एक बार जब हमारे द्वारा यह पाया जाता है कि पक्षों ने आपसी समझौते से अपने विवाद को हल करने का फैसला किया है

1996 के अधिनियम की धारा 2 (2), अधिनियम का भाग I, ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां मध्यस्थता का स्थान भारत नहीं है और यदि भाग I लागू नहीं होता है और यदि विचाराधीन समझौता पूरा करता है

धारा 44 की आवश्यकता तब भाग II लागू होगा और जब भाग II लागू होता है और यह पाया जाता है कि समझौता अमान्य या अमान्य या निष्क्रिय नहीं है, तो धारा 45 के तहत बनाई गई रोक लागू हो जाएगी और यदि धारा 45 के तहत बनाई गई रोक लागू हो जाती है तो यह एक ऐसा मामला है जहां नीचे दिए गए न्यायालय के पास मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि धारा 45 के तहत रोक भी लागू होगी।

और सूट स्वयं रखरखाव योग्य नहीं था। कानून के इस कथन को हमारी मंजूरी है। यह केवल हो सकता है

उल्लेख किया कि फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम में निर्णय। जिंदल

एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (2011) 8 एस. सी. सी. 333 ["फ्यूर्स्ट डे लॉसन"], ने विदेशी पुरस्कार अधिनियम, 1961 और इसके भाग II के प्रावधानों का उल्लेख किया।

1996 का मध्यस्थता अधिनियम, न कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940, जैसा कि उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 53 और 54 में गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है। इसके अलावा, यह केवल यह उल्लेख किया जा सकता है कि मध्यस्थता अधिनियम (उपर्युक्त) की धारा 11 के तहत एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस न्यायालय के फैसले को किसी भी मामले में एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो धारा के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया है।

11 - पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देखें। संबद्ध ठेकेदार, (2015) 1 एस. सी. सी. 32 (पैराग्राफ 17 पर)।

34. बंबई उच्च न्यायालय ने शासन-1 (ऊपर) के विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए टी. डी. एम. (ऊपर) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। इस प्रकार, सेवन आइलैंड्स शिपिंग लिमिटेड बनाम. साह पेट्रोलियम लिमिटेड, (2012) 5 माह एल. जे. 822, हममें से एक (गवई, जे.), जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं, ने टी. डी. एम. (उपरोक्त) पर भरोसा रखने के बाद कहा:

" 13. मध्यस्थ को विवाद भेजने के लिए धारा 45 का अधिदेश भी इस शर्त पर है कि उक्त समझौता एक कानूनी समझौता होना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में अभिनिर्धारित किया है

कि जब दोनों कंपनियों को भारत में निगमित किया जाता है

समझौते को "अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता" नहीं कहा जा सकता है।

समझौता ", मेरा विचार है कि चूंकि वादी और प्रतिवादी दोनों भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, यहां तक कि पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के लिए भी।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

तर्क के लिए, एक मध्यस्थता समझौता है, यह एक "अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता" नहीं हो सकता है और इस तरह कानून में मान्य नहीं है। हालांकि, मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि मैंने इस सवाल पर गौर नहीं किया है कि क्या वास्तव में दोनों के बीच मध्यस्थता समझौता है।

पार्टियाँ हों या न हों।"

35. इसी तरह, बॉम्बे हाई के एक और विद्वान एकल न्यायाधीश

न्यायालय, मेसर्स में। आधार मर्केंटाइल प्रा. लि. लिमिटेड वी. श्री जगदम्बा एग्रीको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, 2014 का मध्यस्थता आवेदन संख्या 197 (12.06.2015 पर निर्णय लिया गया), टी. डी. एम. (उपर्युक्त) का उल्लेख करने के बाद, तब अभिनिर्धारित किया गया:

कानून लागू करना होगा। टीडीएम के मामले में उच्चतम न्यायालय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) ने माना है कि विधायिका का इरादा स्पष्ट होगा कि भारतीय नागरिकों को ऐसा नहीं करना चाहिए।

भारतीय कानून का अपमान करने की अनुमति दी जाए। यह जनता का हिस्सा है

देश की नीति।

9. जहाँ तक प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन है कि यदि ऐसे प्रावधान की व्याख्या उस तरीके से की जाती है जिसमें आवेदक के विद्वान वकील द्वारा इसका प्रचार किया जाता है, तो यह धारा 28 (1) (ए) का उल्लंघन होगा, क्योंकि मेरा विचार है कि मध्यस्थता धारा के तहत भारत में आयोजित की जानी चाहिए। 28 (1) (क) मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भारत में उस समय लागू मूल कानून के अनुसार विवादों का फैसला करना होगा। मेरे विचार में उक्त समझौता जो मध्यस्थता का प्रावधान करता है

भारत में इस प्रकार धारा 28 (1) (ए) का उल्लंघन नहीं करता है जैसा कि

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील "।

36. ये दोनों निर्णय टी. डी. एम. (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हैं और उन्होंने कानून की सही परिप्रेक्षय में सराहना नहीं की है और इसलिए, खारिज कर दिया गया है। दूसरी ओर, जी. एम. आर. एनर्जी लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश। डूसन

पावर सिस्टम्स इंडिया, सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) 447/2017 (14.11.2017 पर निर्णय लिया गया) ने इसी प्रश्न पर विचार किया और सासन I (ऊपर) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया-पैराग्राफ 29,30 और 31 देखें। इसने टी. डी. एम. (ऊपर) में निर्णय को सही ढंग से अलग किया, जो इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 33. तथापि, टी. डी. एम. अवसंरचना (ऊपर) सुप्रीम के पैरा-36 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऊपर दिए गए कोई भी निष्कर्ष/टिप्पणियां

केवल अधिकारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से थे

1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत परिकल्पित न्यायालय के लिए नहीं कोई अन्य उद्देश्य और उल्लिखित निष्कर्षों से भी स्पष्ट है

रिपोर्ट के पैरा 20 और 22 में। इस प्रकार जी. एम. आर. एनर्जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (ऊपर) में निर्णय पर तर्क देने के लिए कि

वर्तमान मामले में मध्यस्थता अधिनियम का भाग-I लागू होगा और भाग-II नहीं।"

दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब भरोसा किया

पैराग्राफ 41 में एटलस (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय। पैराग्राफ 43 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब उस तालिका का उल्लेख किया जो नीचे दी गई है -

फ्यूर्स्ट डे लॉसन (ऊपर) इस प्रकार है:

" 43. जी. एम. आर. एनर्जी के विद्वान वकील का तर्क है कि

एटलस (ऊपर) में निर्णय मध्यस्थता से पहले दिया गया था और

सुलह अधिनियम, 1996 और इसलिए वर्तमान में लागू नहीं मामला, के निर्णय को देखते हुए अस्वीकार किया जाना भी योग्य है

उच्चतम न्यायालय ने (2011) 8 एस. सी. सी. 333 पहले दिन के रूप में रिपोर्ट किया

लॉसन वी। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जिसमें पूर्व की तुलना की गई है

संशोधन और संशोधन के बाद मध्यस्थता अधिनियम का पालन किया गया

कि नया अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए अधिक अनुकूल है अपने पिछले अवतार की तुलना में। प्रावधानों की तुलना करने वाली रिपोर्ट

दोनों अधिनियमों में से उल्लेख किया गया है:

64. 1996 के अधिनियम के भाग 2 के अध्याय 1 के प्रावधान

विदेशी पुरस्कारों के प्रावधानों के साथ (मान्यता)

और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961, जहां तक वर्तमान के लिए प्रासंगिक है इन्हें सारणीबद्ध रूप में नीचे रखा गया है:

विदेशी पुरस्कार (मान्यता और सम्मान)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996

प्रवर्तन) अधिनियम, 1961

भाग-II: कुछ विदेशी लोगों का प्रवर्तन

पुरस्कार

अध्याय I: न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स

2. परिभाषा. इस अधिनियम में, जब तक कि

(क) लिखित में एक समझौते के अनुसरण में

संदर्भ में अन्यथा आवश्यक है, 'विदेशी पुरस्कार'

मध्यस्थता के लिए जिसे कन्वेंशन निर्धारित करता है

मतलब के बीच अंतर पर एक पुरस्कार

अनुसूची में लागू होता है, और

कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति,

चाहे संविदात्मक हो या नहीं, माना जाता है

भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक, अक्टूबर के 11 वें दिन या उसके बाद किया गया,

1960 पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

44. परिभाषा. इस अध्याय में, जब तक कि

(क) लिखित समझौते के अनुसरण में

संदर्भ अन्यथा आवश्यक है, विदेशी पुरस्कार '

मध्यस्थता जिसके लिए कन्वेंशन में निर्धारित किया गया है

मतलब के बीच मतभेदों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार

पहली अनुसूची लागू होती है, और

कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति,

अक्टूबर, 1960 के 11 वें दिन या उसके बाद बनाया गया - (ख) केंद्रीय क्षेत्र के रूप में ऐसे क्षेत्रों में से एक में

(ख) केंद्रीय क्षेत्र के रूप में ऐसे क्षेत्रों में से एक में

सरकार संतुष्ट है कि पारस्परिक

सरकार, संतुष्ट है कि पारस्परिक

प्रावधान किए गए हैं, मई, अधिसूचना द्वारा

प्रावधान किए गए हैं, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जा सकता है

आधिकारिक राजपत्र में, क्षेत्रों के रूप में घोषित करें

जो उक्त समझौता लागू होता है।

जिस पर उक्त समझौता लागू होता है।

45. पक्षकारों को संदर्भित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति

3. मामलों के संबंध में कार्यवाही पर रोक

मध्यस्थता। - कुछ भी शामिल होने के बावजूद

मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाए। - इसके बावजूद

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 में निहित कुछ भी

भाग I या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में, एक न्यायिक प्राधिकरण, जब एक

(10 1940 का), या सिविल प्रक्रिया संहिता में,

किसी ऐसे मामले में कार्रवाई जिसके संबंध में पक्षकार

1908 (5 1908 का), यदि किसी समझौते का कोई पक्ष जिसके लिए कन्वेंशन के अनुच्छेद II में निर्धारित किया गया है

धारा 44 में निर्दिष्ट एक समझौता किया है,

अनुसूची लागू होती है, या कोई भी व्यक्ति जो दावा करता है

पक्षकारों में से किसी एक या किसी के अनुरोध पर

उसके माध्यम से या उसके तहत किसी भी कानूनी शुरुआत

उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाला व्यक्ति, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है, जब तक कि यह न पाए कि उक्त

किसी अन्य पक्ष के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कार्यवाही

समझौता अमान्य है, निष्क्रिय है या

समझौते पर या इसके माध्यम से दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति या उसके अधीन किसी भी मामले के संबंध में सहमति हुई

प्रदर्शन करने में असमर्थ।

इस तरह के समझौते में मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है, ऐसी कानूनी कार्यवाही के लिए कोई भी पक्ष, किसी भी समय उपस्थिति के बाद और लिखित आवेदन दायर करने से पहले

बयान या कोई अन्य कदम उठाना

कार्यवाही, अदालत में रोक लगाने के लिए आवेदन करें

कार्यवाही और न्यायालय, जब तक कि संतुष्ट न हो कि

समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने में असमर्थ है या वास्तव में, दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है।

संदर्भित किए जाने के लिए सहमत मामले के संबंध में, कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देगा।

46. जब विदेशी पुरस्कार बाध्यकारी होता है-कोई भी विदेशी

4. विदेशी पुरस्कारों का प्रभाव। - (1) एक विदेशी

पुरस्कार जो इसके तहत लागू किया जा सकता है

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

अध्याय को सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी माना जाएगा।

भारत में लागू किया जा सकता है जैसे कि यह एक पुरस्कार हो

जिन व्यक्तियों के बीच यह बनाया गया था, और

में मध्यस्थता के लिए संदर्भित एक मामले पर किया गया

तदनुसार इनमें से किसी पर भी भरोसा किया जा सकता है

भारत।

बचाव के माध्यम से व्यक्ति, बंद या अन्यथा

(2) कोई भी विदेशी पुरस्कार जो

भारत में कोई कानूनी कार्यवाही और कोई संदर्भ

इस अधिनियम के तहत प्रवर्तनीय के रूप में माना जाएगा

इस अध्याय में किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए

व्यक्तियों पर सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी

पर भरोसा करने के संदर्भों को शामिल करने के रूप में समझा जाए

जिनके बीच यह बनाया गया था, और हो सकता है

एक पुरस्कार।

पर भरोसा करने के संदर्भों को शामिल करने के रूप में माना जाता है एक पुरस्कार।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. न्यायालय में विदेशी पुरस्कारों को दाखिल करना। - (1) विदेशी पुरस्कार में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस पर अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

पुरस्कार का विषय-यह मामला कि पुरस्कार अदालत में दायर किया जाए। (2) आवेदन लिखित रूप में होगा और वादी के रूप में आवेदक और प्रतिवादी के रूप में अन्य पक्षों के बीच एक मुकदमे के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(3) न्यायालय मध्यस्थता के पक्षकारों को आवेदक के अलावा अन्य पक्षकारों को प्रत्यक्ष सूचना देगा, जिसमें उन्हें दिखाने की आवश्यकता होगी।

कारण, एक निर्दिष्ट समय के भीतर कि पुरस्कार क्यों दाखिल नहीं किया जाना चाहिए।
6. विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

49. विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन-जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विदेशी पुरस्कार इस अध्याय के तहत लागू करने योग्य है, तो पुरस्कार

(1) जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विदेशी पुरस्कार इस अधिनियम के तहत प्रवर्तनीय है, तो न्यायालय आदेश देगा कि पुरस्कार को उस न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। दाखिल किया गया और अपील योग्य आदेशों के अनुसार निर्णय देने के लिए आगे बढ़ेगा। — (1) पुरस्कार अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी।

को

(2) इस प्रकार घोषित निर्णय पर एक डिक्री का पालन किया जाएगा, और धारा 45 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा; ऐसी डिक्री से कोई अपील नहीं होगी सिवाय इसके कि डिक्री धारा 48 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करती है, जो पुरस्कार से अधिक है या उसके अनुसार नहीं है।

ऐसे आदेश से अपील सुनने के लिए

कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय को। (2) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित या छीन नहीं लेगा।

7. विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तें। - (1) एक विदेशी 48. विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तें। - (1) पक्ष के अनुरोध पर विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत पुरस्कार लागू नहीं किया जा सकता है।

यदि वह पक्ष जिसके विरुद्ध अधिनिर्णय को लागू करने की मांग की जाती है, यह साबित करता है कि यह किसके लिए लागू किया गया है, केवल तभी जब वह पक्ष इस मामले से निपटने वाली अदालत को यह सबूत देता है कि धारा 44 में निर्दिष्ट समझौते के पक्षकार, समझौता उनके लिए लागू कानून के तहत थे, कुछ के तहत उनके लिए लागू कानून के तहत, कुछ अक्षमता के तहत, या उक्त समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके लिए पक्षों के पास है। असमर्थता, या उक्त समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके तहत पक्षों ने इसे अधीन किया है, या किसी भी संकेत को विफल करने में विफल रहा है, या उस पर कोई संकेत देने में विफल रहा है, उस देश की कानून के तहत जहां पुरस्कार दिया गया था; देश जहां पुरस्कार दिया गया था; या जिस पक्ष के खिलाफ या पक्ष को पुरस्कार की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी गई थी, उसे मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा मध्यस्थ या मध्यस्थता कार्यवाही का था या अन्यथा असमर्थ था।

अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए;

या

अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ; या

(ग) पुरस्कार एक अंतर से संबंधित है

जिस पर विचार नहीं किया गया है या नहीं

(iii) पुरस्कार उन प्रश्नों से संबंधित है जिनका उल्लेख नहीं किया गया है या जिनमें शामिल नहीं हैं।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की

शर्तों के भीतर आता है, या इसमें शामिल हैं

समझौते के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय:

प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर

निर्णय

बशर्ते कि यदि मामलों पर निर्णय मध्यस्थता को प्रस्तुत किए जाते हैं

मध्यस्थता:

प्रस्तुत नहीं किए गए लोगों से अलग किया जा सकता है, पुरस्कार का वह हिस्सा

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता को प्रस्तुत

किए गए मामलों पर निर्णय कर सकते हैं

जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णय शामिल हो सकते हैं

उन लोगों से अलग किया जाए जो इस

तरह से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, पुरस्कार का वह हिस्सा

लागू किया जाए; या

जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णय शामिल हो सकते हैं

((iv) मध्यस्थ प्राधिकारी या मध्यस्थ की संरचना

लागू किया गया; या

प्रक्रिया पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी या इस तरह के समझौते में विफल रही, कानून के अनुसार नहीं थी (डी) मध्यस्थता प्राधिकरण की संरचना या मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी, या असफल रही।

ऐसा समझौता, देश के कानून के अनुसार नहीं था (v) पुरस्कार अभी तक पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं हुआ है या जहां मध्यस्थता हुई है; या के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अलग या निलंबित किया गया था

(ई) पुरस्कार अभी तक पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं हो गया है, या किया गया है

देश जिसमें, या जिसके कानून के तहत, वह पुरस्कार दिया गया था; देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अलग या निलंबित कर दिया गया था या

जिसे, या जिसके कानून के तहत, वह पुरस्कार दिया गया था।

(2) मध्यस्थता निर्णय के प्रवर्तन से भी इनकार किया जा सकता है यदि न्यायालय (i) मतभेद का विषय यह पाता है कि वह समझौता करने में सक्षम नहीं है कि भारत के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा; या

(a) विषय-अंतर का मामला इसके द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है

((ii) पुरस्कार का प्रवर्तन सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा। भारत के कानून के तहत मध्यस्थता; या (बी) पुरस्कार का प्रवर्तन जनता के विपरीत होगा।

भारत की नीति।

पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(2) यदि वह न्यायालय जिसके समक्ष विदेशी पुरस्कार की मांग की जाती है, स्पष्टीकरण हो। खंड (ख) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस बात का समाधान हो जाता है कि इस धारा की स्थापना के लिए एक आवेदन, यह घोषित किया जाता है कि पुरस्कार को किसी भी तरह से अलग करने या निलंबित करने से बचने के लिए,

इस बात पर संदेह है कि कोई पुरस्कार खंड के उपखंड (v) में निर्दिष्ट भारत की लोक नीति के साथ टकराव में है, यदि पुरस्कार देना धोखाधड़ी या उप-धारा (1) के (ए) से प्रेरित या प्रभावित था, तो न्यायालय, यदि उसे उचित लगे, तो भ्रष्टाचार कर सकता है।

पुरस्कार के प्रवर्तन पर निर्णय को स्थगित करें और

(3) यदि अलग रखने या निलंबित करने के लिए कोई आवेदन

दावा करने वाले पक्ष के आवेदन पर भी

में निर्दिष्ट एक सक्षम प्राधिकारी को पुरस्कार दिया गया है

पुरस्कार का प्रवर्तन, दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करने का आदेश दें

उप-धारा (1) का खंड (ई) न्यायालय, यदि वह इस पर विचार करता है,

उचित सुरक्षा।

उचित रूप से, पुरस्कार के प्रवर्तन पर निर्णय को स्थगित कर दें और दावा करने वाले पक्ष के आवेदन पर भी

पुरस्कार का प्रवर्तन, दूसरे पक्ष को उपयुक्त सुरक्षा देने का आदेश दें।

8. साक्षय (1) प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाला पक्ष

47. सबूत। - (1) एक के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाली पार्टी

एक विदेशी पुरस्कार, आवेदन के समय,

विदेशी पुरस्कार, आवेदन के समय, उत्पन्न करेगा

अदालत के समक्ष

मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति, मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति में विधिवत प्रमाणित, उस देश के कानून द्वारा आवश्यक तरीके से विधिवत प्रमाणित, जिसमें यह उस देश के कानून द्वारा आवश्यक था जिसमें वह था।

बनाया गया;

बनाया गया; मध्यस्थता के लिए मूल समझौता या विधिवत प्रमाणित

मध्यस्थता के लिए मूल समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति और ऐसा साक्षय जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि

उसकी प्रतिलिपि; और ऐसा साक्षय जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार है। (2) यदि उप-धारा के तहत पुरस्कार या समझौता प्रस्तुत किया जाना है

एक विदेशी पुरस्कार

(1) एक विदेशी भाषा में है, पार्टी को लागू करने की मांग

(2) यदि पुरस्कार या समझौते को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

पुरस्कार के रूप में प्रमाणित अंग्रेजी में अनुवाद उत्पन्न होगा

उप-धारा (1) के तहत एक विदेशी भाषा में है, पार्टी

देश के राजनयिक या कांसुलर एजेंट द्वारा

पुरस्कार को लागू करने के लिए एक अनुवाद का उत्पादन करेगा

जिसे वह पक्ष संबंधित है या ऐसे अन्य मामलों में सही के रूप में प्रमाणित करता है

राजनयिक या वाणिज्य दूत द्वारा सही के रूप में प्रमाणित अंग्रेजी

जिस तरह से लागू कानून के अनुसार पर्याप्त हो सकता है

उस देश का अभिकर्ता जिससे वह पक्ष संबंधित है या प्रमाणित है

भारत।

इस तरह से अन्य तरीके से सही जो पर्याप्त हो सकता है भारत में लागू कानून के अनुसार।

स्पष्टीकरण। इस धारा में और इस अध्याय की सभी निम्नलिखित धाराओं में, 'न्यायालय' का अर्थ है किसी जिले में मूल अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय, और इसमें अपनी सामान्य मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय भी शामिल है, जो उस विषय-वस्तु पर अधिकारिता रखता है, यदि वह किसी वाद का विषय था, लेकिन इसमें ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय शामिल नहीं है।

छोटे कारणों का न्यायालय।

9. बचत-इस अधिनियम में कुछ भी नहीं होगा

51. बचत-इस अध्याय की कोई भी बात ऐसे किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जिसे किसी व्यक्ति को भारत में लागू करने का अधिकार प्राप्त होता।

किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालना जो किसी भी व्यक्ति के पास होता

भारत में किसी भी पुरस्कार का पुरस्कार या लाभ उठाने का, यदि -

भारत में किसी पुरस्कार को लागू करना या उसका लाभ उठाना।

अध्याय अधिनियमित नहीं किया गया था।

भारत को कोई पुरस्कार यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था; या

(ख) भारत के कानून द्वारा शासित मध्यस्थता समझौते पर किए गए किसी भी निर्णय पर लागू होता है।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। - उच्च न्यायालय विदेशी पुरस्कारों को दाखिल करने और उसके परिणामस्वरूप या उससे आनुषंगिक सभी कार्यवाहियों के बारे में इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकता है; वे साक्षय जो इस अधिनियम के तहत विदेशी पुरस्कार को लागू करने की मांग करने वाले पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए; और (ग) आम तौर पर, इस अधिनियम के तहत अदालत में सभी कार्यवाही।

65. प्रावधानों के दो सेटों की तुलना से पता चलेगा कि

कि धारा 44,1996 के अधिनियम में परिभाषा खंड एक है

पिछले अधिनियम की धारा 2 का शाब्दिक पुनरुत्पादन (लेकिन

"अधिनियम" के स्थान पर "अध्याय" शब्दों के लिए, "पहली अनुसूची"

"अनुसूची" के स्थान पर और "मध्यस्थ" शब्द को जोड़ना धारा 44 में "पुरस्कार" शब्द से पहले)। धारा 45

यह पिछले अधिनियम की धारा 3 के अनुरूप है।

66. धारा 46 धारा 4 (2) का शाब्दिक पुनरुत्पादन है।

"अधिनियम" के लिए "अध्याय" शब्द के प्रतिस्थापन को छोड़कर।

धारा 47 लगभग धारा 8 का पुनरुत्पादन है सिवाय इसके कि -

उप-धारा में "न्यायालय के समक्ष" शब्दों को जोड़ना

(1) और इस बारे में स्पष्टीकरण कि इसमें "न्यायालय" का क्या अर्थ है

अनुभाग।

67. धारा 48 धारा 7 के अनुरूप है; धारा 49 धारा के अनुरूप है।

6 (1) और धारा 50 से धारा 6 (2) तक। 68. इस तथ्य के अलावा कि प्रावधानों में व्यवस्था की गई है

कहीं अधिक व्यवस्थित तरीके से, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रावधान

1996 के अधिनियम का स्पष्ट रूप से उद्देश्य सुविधा प्रदान करना और इसमें तेजी लाना है।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स का प्रवर्तन।

69. 1961 के अधिनियम की धारा 3 के स्थगन से संबंधित

मध्यस्थता को भेजे जाने वाले मामलों के संबंध में कार्यवाही

अपने आवेदन में "किसी भी मामले में कानूनी कार्यवाही" तक सीमित था

अदालत "और अदालत के पास रोक नहीं लगाने का व्यापक विवेकाधिकार था

उसके समक्ष कार्यवाही। अनुभाग में संबंधित प्रावधान

45 वर्तमान अधिनियम का एक व्यापक अनुप्रयोग है और यह एक

किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्रवाई। इसके अलावा, धारा के तहत

45 न्यायिक प्राधिकरण के पास इनकार करने का एक संकीर्ण विवेक है पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना। पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश उस मामले के तथ्यों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों भारतीय पक्षों के बीच सिंगापुर में दिया गया मध्यस्थता निर्णय मध्यस्थता अधिनियम के भाग II के तहत लागू होगा, न कि भाग I के तहत।

37. इसी तरह, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश, i स्पिनटेक्स v. लुई ड्रेफस, सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) 286/2020 (2020 को निर्णय लिया गया) के पास कानून के उसी बिंदु पर विचार करने का अवसर था, और सासान प्रथम (सुप्रा) को बुलाए जाने के बाद, सही ढंग से कहा गया:

" 43. वादी के विद्वान वकील ने बहुत अधिक भरोसा किया है

अनुबंध अधिनियम की धारा 23 जो उन विचारों और उद्देश्यों के लिए प्रावधान करती है जो विधिसम्मत हैं और जो नहीं हैं, इस प्रकार इस बात पर जोर देती है कि भारतीय कानून से बाहर अनुबंध करने वाले दो भारतीय पक्ष कानून के प्रावधानों को विफल कर देंगे और सार्वजनिक नीति का विरोध करेंगे। वादी के विद्वान वकील या तो पक्षों के बीच समझौते के खंड 6 को अमान्य घोषित करने की मांग करते हैं या ब्लू पेंसिल परीक्षण को लागू करके खंड-6 की सार्थक व्याख्या देते हैं जिससे पक्ष तब खुद को भारतीय कपास संघ के अधिकार क्षेत्र के अधीन कर सकते हैं। (2017) 2 एस. सी. सी. 228 सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. बनाम में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने मध्यस्थता में पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांत पर जोर दिया और कहा कि

वस्तुतः यही रीढ़ है जो पक्षों को विदेशी कानून को मध्यस्थता के उचित कानून के रूप में अपनाने की अनुमति देती है। (2005) 5 एस. सी. सी. 465 टेक्नीप एस. ए. बनाम। एस. एम. एस. होल्डिंग प्रा. लिमिटेड, कानून के टकराव से निपटने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि विदेशी कानून की प्रयोज्यता की अवहेलना नैतिकता और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए और केवल तभी जब विदेशी कानून इस सिद्धांत का एक स्पष्ट या घोर उल्लंघन है कि विदेशी कानून को लागू नहीं करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, वह भी असाधारण रूप से और बड़ी सावधानी के साथ। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अर्थ में संसद या राज्यों द्वारा अधिनियमित सभी कानूनों को भारतीय सार्वजनिक नीति का हिस्सा कहा जा सकता है, लेकिन किसी विदेशी कानून को केवल इसलिए त्यागना कि वह भारतीय कानून के विपरीत है, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार को विफल कर देगा, जिसके लिए भारत निर्विवाद रूप से सदस्यता लेते हैं।

***

47. इसलिए, पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मूल अनुबंध और [2021] 4 एस. सी. आर. से स्वतंत्र एक समझौता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्ष मध्यस्थता के लिए एक अलग शासी कानून चुन सकते हैं, दो भारतीय पक्ष मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानून के रूप में एक विदेशी कानून चुन सकते हैं। इसके अलावा दोनों भारतीय पक्षों के बीच समझौते में स्पष्ट रूप से एक विदेशी तत्व होने के कारण, वह है वादी और प्रतिवादी एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर सहमत हो सकते थे।

इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित वाणिज्यिक मध्यस्थता। इसलिए पक्षों के बीच 30 मई, 2019 के अनुबंध का खंड 6

शून्य या शून्य नहीं है।

धारा 23 और 28 के आधार पर अपीलार्थी का तर्क

अनुबंध अधिनियम 38. श्री हिमानी ने तर्क दिया है कि भले ही एटलस (उपरोक्त) को एक बाध्यकारी उदाहरण के रूप में लिया जाए, लेकिन इसमें इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 23 का उल्लंघन कैसे नहीं किया जाता है और यह किसी भी मामले में सौदा नहीं करता है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) और धारा 34 (2 ए) के आधार पर उनके तर्क के साथ। अनुबंध अधिनियम की धारा 23 और 28 निम्नानुसार है:

" 23. कौन से विचार और उद्देश्य वैध हैं, और क्या नहीं। किसी समझौते पर विचार या उद्देश्य वैध है,

जब तक कि

यह कानून द्वारा निषिद्ध है; या

ऐसी प्रकृति का है कि, यदि अनुमति दी जाती है, तो यह किसी भी कानून के प्रावधानों को विफल कर देगा; या

धोखाधड़ी है; या

इसमें किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुँचाना शामिल है या निहित है; या न्यायालय इसे अनैतिक मानता है, या सार्वजनिक नीति का विरोध करता है।

इनमें से प्रत्येक मामले में, किसी समझौते पर विचार या उद्देश्य को गैरकानूनी कहा जाता है। प्रत्येक समझौता जिसका उद्देश्य या

विचार गैरकानूनी है, अमान्य है। " 28. कानूनी कार्यवाही के प्रतिबंध में समझौते अमान्य हैं।

हर समझौता,

((क) जिसके द्वारा कोई भी पक्ष इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

सामान्य न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्यवाही द्वारा किसी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करना, या जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह इस प्रकार अपने अधिकारों को लागू कर सकता है,

या पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जो किसी भी पक्ष के अधिकारों को समाप्त कर देता है, या

(ख)

किसी भी पक्ष को किसी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में किसी भी दायित्व से मुक्त करता है ताकि किसी भी पक्ष को अपने अधिकारों को लागू करने से रोका जा सके।

उस हद तक।

अपवाद 1. - मध्यस्थता के लिए अनुबंध की बचत

विवाद जो उत्पन्न हो सकता है। यह धारा अवैध नहीं होगी।

अनुबंध, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत होते हैं कि किसी भी विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, और यह कि इस तरह के मध्यस्थता में दी गई राशि ही मध्यस्थता के संबंध में वसूली योग्य होगी। इस प्रकार संदर्भित विवाद "।

* * *

39. धारा 23 ई अनुबंध अधिनियम में दिखाई देने वाली मायावी अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति" एक सापेक्ष अवधारणा है जो विज्ञान और कानून में मानव जाति द्वारा की गई प्रगति के अनुरूप संशोधन करने में सक्षम है। एक महत्वपूर्ण प्रारंभिकअपील न्यायालय, अर्थात्, मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट गन्स एम्युनिशन कंपनी v. नोर्डेनफेल्ट, [1893] 1 Ch. 630

rdenfeld "], इसे इस प्रकार रखता है:

" जो नियम सार्वजनिक नीति की नींव पर आधारित होते हैं, न कि वे नियम जो निश्चित या प्रथागत कानून से संबंधित होते हैं, वे सक्षम होते हैं -

विस्तार या संशोधन का उचित अवसर। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं और एक व्यावसायिक प्रथा को समीचीन बना सकती हैं जो पहले वाणिज्य के लिए शरारती थी। लेकिन यह कहना एक बात है कि एक अवसर उत्पन्न हुआ है जिस पर नियम के पत्र का पालन करना इसकी भावना की उपेक्षा करना होगा, और दूसरा इस बात से इनकार करना कि नियम अभी भी मौजूद है। लार्ड जस्टिस फ्राय हिचकॉक से जिस उक्ति का हवाला देते हैं वी. कोकर [142]। 6 ए. और ई. 328], टालिस बनाम से। तालिस [1 ई. और बी. 391], और मल्लन बनाम से। मई [11 एम. एंड डब्ल्यू. 653], सभी में निर्देश हैं

आंशिक संयम के मामले, जहां की तर्कसंगतता

विशेष अनुबंध अनिवार्य रूप से विचार के दायरे में आया। द.

ऐसे मामलों में व्यक्ति की आवश्यक सुरक्षा सौदे की तर्कसंगतता का उचित उपाय हो सकता है। जब भगवान

न्यायमूर्ति फ्राय गुजरते हैं [14 Ch. डी. 366] सामान्य विधि नियम के अस्तित्व के प्रश्न की जांच करने के लिए, वह मानता है, जैसा कि यह प्रतीत होता है मेरे लिए, पर्याप्त औचित्य के बिना, व्यक्ति की पूर्ण सुरक्षा ही एकमात्र कारण है जो [2021] 4 एस. सी. आर. की जड़ में निहित होना चाहिए।

सिद्धांत। लेकिन कानूनी सिद्धांत की तर्कसंगतता जो

सामान्य संयम को पूरी तरह से मना करता है जो एक ही बात नहीं है

किसी भी मामले में सौदे की तर्कसंगतता (पक्षों के बीच) विशेष मामला। इस तर्क के संबंध में कि नियम, यदि यह

अस्तित्व में था, एक कृत्रिम होगा, और इसलिए स्वीकार करेगा

कोई अपवाद नहीं, न्यायाधीशों और सदन के निर्णय एगर्टन बनाम के मामले में लॉर्ड्स। अर्ल ब्राउनलो [4 एच. एल. सी. 1],

मेरा कहना है कि प्रथा के एक निश्चित नियम के बीच के अंतर को स्पष्ट करें।

तर्क और नीति पर आधारित कानून और नियम। बाद वाला स्वीकार कर सकता है

अपवादों में से, हालांकि पूर्व में नहीं भी हो सकता है।

(पृष्ठों पर 661-662)

* * *

" मुझे लगता है कि परिणाम इस प्रकार है: सामान्य प्रतिबंध, या, में

दूसरे शब्दों में, क्षेत्र में पूरी तरह से असीमित प्रतिबंध, एक नियम के रूप में नहीं हैं,

कानून द्वारा अनुमति दी गई है, हालांकि नियम अपवादों को स्वीकार करता है। आंशिक

जिन स्थानों पर, जिन व्यक्तियों के साथ, या जिन तरीकों से, व्यापार किया जाना है, वैध हैं जब एक अच्छे के लिए बनाया जाता है

विचार करें, और जहां वे आगे नहीं बढ़ते हैं

आंशिक संयम की तर्कसंगतता, वह समय जिसके लिए यह है थोपा जाना विचार करने के लिए एक भौतिक तत्व हो सकता है।

(पृष्ठों पर 662-663)

40. घेरूलाल परख बनाम में इस न्यायालय का उत्कृष्ट निर्णय।

अदियोदास मैया, 1959 सप (2) एस. सी. आर. 406 ["घेरूलाल"] में कहा गया है कि

बनाम ◌ः

..... लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 पर अपनी पुस्तक में चेशायर और फीफूट

एडन।, पी पर ध्यान दें। 280 इस प्रकारः

व्यापक और विषम, और क्या है के रूप में राय आवश्यकता की हानिकारक अनिवार्यता सामाजिक और सामाजिक आधार पर बहुत भिन्न होती है।

नैतिक विश्वास, और कभी-कभी राजनीतिक विचारों के साथ भी, विभिन्न न्यायाधीशों का, कि यह एक विश्वासघाती और अस्थिर पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. बनाता है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कानूनी निर्णय के लिए आधार। ..... इन प्रश्नों ने अतीत में न्यायालयों को उत्तेजित किया है, लेकिन कानून की वर्तमान स्थिति उचित रूप से स्पष्ट प्रतीत होती है। दो अवलोकन किए जा सकते हैं

कुछ हद तक आश्वासन के साथ।

सबसे पहले, हालांकि पूर्ववर्ती द्वारा पहले से स्थापित नियमों को बदलती दुनिया की नई स्थितियों के अनुरूप ढाला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है

न्यायालयों के लिए सार्वजनिक नीति के एक नए प्रमुख का आविष्कार करना अधिक समय तक वैध रहा। एक न्यायाधीश यह अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि उसकी राय में, समुदाय की भलाई के लिए क्या है। उसे पिछले निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से या सादृश्य के रूप में लागू करने के लिए संतुष्ट होना चाहिए। उसे कानून की इस विशेष शाखा का विस्तार नहीं, बल्कि विस्तार करना चाहिए। दूसरा, भले ही अनुबंध वह है जो प्रथम दृष्टया सार्वजनिक नीति के मान्यता प्राप्त प्रमुखों में से एक के तहत आता है, लेकिन इसे तब तक अवैध नहीं माना जाएगा जब तक कि इसके हानिकारक गुण निर्विवाद न हों। सिद्धांत, जैसा कि लॉर्ड एटीकेआईएन ने एक प्रमुख मामले में टिप्पणी की, "केवल उन स्पष्ट मामलों में लागू किया जाना चाहिए जिनमें जनता को काफी नुकसान होता है।

निर्विवाद, और कुछ न्यायिक दिमागों के विशिष्ट निष्कर्षों पर निर्भर नहीं करता है। लोकप्रिय भाषा में. अनुबंध को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

एन्सन ने अपने अनुबंध के कानून में इसी नियम को इस प्रकार बताया है, पी। 216 :

" जेसल, एम. आर. ने 1875 में एक सिद्धांत बताया जो अभी भी न्यायालयों के लिए मान्य है, जब उन्होंने कहा: ' आपके पास यह सर्वोपरि सार्वजनिक है

विचार करने की नीति, कि आप अनुबंध की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के लिए हल्के में नहीं हैं; और यह स्वतंत्रता के सामंजस्य में है

हालाँकि, हम कह सकते हैं कि कुछ विषयों पर कानून की नीति को सहनीय रूप से निश्चित नियमों के एक समूह में काम किया गया है। विशेष उदाहरणों में इनका अनुप्रयोग आवश्यक रूप से भिन्न होता है।

समय और प्रगतिशील परिस्थितियों के साथ जनमत और नैतिकता का विकास, लेकिन, जैसा कि लॉर्ड राइट ने कहा है, 'सार्वजनिक नीति, सामान्य कानून की किसी भी अन्य शाखा की तरह, होनी चाहिए, और मुझे लगता है, मिसालों के न्यायिक उपयोग द्वारा शासित है। यदि यह कहा जाता है कि सार्वजनिक नीति के नियमों को बदलती दुनिया की नई स्थितियों के अनुरूप ढाला जाना है, तो वह है [2021] 4 एस. सी. आर.

सच है; लेकिन आम के सिद्धांतों के बारे में भी यही सच है आम तौर पर कानून "।

हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, तीसरा संस्करण। , खण्ड. 8 , सिद्धांत है

पी में कहा गया है। 130 इस प्रकार:

" कोई भी समझौता जो जनता के लिए हानिकारक या सार्वजनिक भलाई के खिलाफ होता है, सार्वजनिक नीति के विपरीत होने के कारण अमान्य है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि कानून की इस शाखा का विस्तार नहीं किया जाएगा। कानून की तथाकथित नीति के विपरीत क्या है, इसका निर्धारण आवश्यक रूप से समय-समय पर बदलता रहता है। कई लेन-देनों को अब बरकरार रखा गया है जिन्हें पूर्व पीढ़ी में कानून की कथित नीति के विपरीत टाल दिया जाता। नियम बना रहता है, लेकिन इसका अनुप्रयोग उन सिद्धांतों के अनुसार भिन्न होता है जो कुछ समय के लिए जनमत का मार्गदर्शन करते हैं।

(पृष्ठों पर 432-434)

***

अनुबंधों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो समाज का आधार बनते हैं, लेकिन कुछ मामलों में, न्यायालय उन्हें सार्वजनिक नीति पर आधारित नियम पर उनके कर्तव्य से मुक्त कर सकता है; बेहतर शब्दों के अभाव के लिए लॉर्ड एटकिन ने वर्णन किया है कि जनता के विपरीत कुछ किया गया है। नीति एक हानिकारक चीज है, लेकिन यह सिद्धांत न केवल हानिकारक मामलों के लिए बल्कि हानिकारक प्रवृत्तियों के लिए भी विस्तारित है; सार्वजनिक नीति का यह सिद्धांत केवल सामान्य कानून की एक शाखा है, और सामान्य कानून की किसी भी अन्य शाखा की तरह, यह पूर्ववर्ती सिद्धांतों द्वारा शासित है।

अलग-अलग शीर्षों के तहत स्पष्ट किया गया है और हालांकि अदालतों के लिए अलग-अलग स्थितियों में उनका विस्तार करने और उन्हें लागू करने की अनुमति है, लेकिन इसे केवल जनता को नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट और निर्विवाद मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए; हालांकि प्रमुख बंद नहीं हैं और हालांकि सैद्धांतिक रूप से बदलते विश्व की असाधारण परिस्थितियों में एक नया प्रमुख विकसित करने की अनुमति हो सकती है, लेकिन समाज की स्थिरता के हित में यह सलाह दी जाती है कि इन दिनों में नए प्रमुखों की खोज करने का कोई प्रयास न किया जाए।

(पृष्ठों पर 439-440)

पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

41. इस निर्णय को कई अन्य निर्णयों में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है। इस प्रकार, मुरलीधर अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 4) 2 एस. सी. सी. 472, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 30. " सार्वजनिक नीति "को विनफील्ड द्वारा" समुदाय की वर्तमान जरूरतों पर आधारित न्यायिक कानून या व्याख्या के सिद्धांत "के रूप में परिभाषित किया गया है [पर्सी एच. विनफील्ड, पब्लिक पॉलिसी इन इंग्लिश कॉमन लॉ, 42 हार्वर्ड लॉ रेव. 76]। अब, इससे पता चलता है कि पूरी जनता के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए; लेकिन यह व्यवहार में इस विरोधाभास की ओर ले जाता है कि कई मामलों में जो विचार में प्रतीत होता है वह केवल एक वर्ग का हित है -

जनता, और उस पर एक छोटा सा वर्ग। विरोधाभास की व्याख्या यह है कि अदालतों को निश्चित रूप से पूरे समुदाय के हितों के साथ-साथ इसके एक बड़े हिस्से के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि किरायेदार, उदाहरण के लिए, इस मामले में एक वर्ग के रूप में। यदि निर्णय उनके पक्ष में है, तो इसका मतलब यह है कि उनके आचरण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरे राष्ट्र के लिए प्रतिकूल हो। न ही पूरे समुदाय का लाभ हमेशा केवल एक मौन विचार है। अदालतों को सामुदायिक हितों और अनुभागीय हितों के बीच स्पष्ट रूप से संतुलन बनाना पड़ सकता है

रुचियाँ। इसलिए, यहां हम अनुबंध की सामान्य स्वतंत्रता से चिंतित हैं जो हर किसी के पास इस सिद्धांत के खिलाफ है कि इस स्वतंत्रता का उपयोग किसी वर्ग के अधीन, वैध या उचित आधार के बिना मुकदमों के उत्पीड़न के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसा है

न्यायिक आदेश में इस दृष्टिकोण के लिए काफी समर्थन है कि अदालतें नहीं कर सकती हैं

सार्वजनिक नीति के नए प्रमुख न बनाएँ [घेरूलाल]

एक व्यापक क्षेत्र बना हुआ है जिसके भीतर अदालतें एक चर लागू कर सकती हैं न्यायिक विधान या समुदाय की वर्तमान आवश्यकताओं पर आधारित व्याख्या के सिद्धांत के रूप में नीति की धारणा [डेनिस लॉयड,

सार्वजनिक नीति (1953) पीपी। 112 & 113.] . "

42. भारत संघ में v. गोपाल चंद्र मिश्रा, (1978) 2 एस. सी. सी. उनके न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 38. यह याद रखना चाहिए कि सार्वजनिक नीति का सिद्धांत है

सामान्य कानून की केवल एक शाखा और इसके सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है और इसके दायरे को न्यायिक उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। इसे कभी-कभी "एक बहुत ही अनियंत्रित घोड़े" के रूप में वर्णित किया जाता है।

एस सी आर।

बरोज, जे. ने इसे फंटलरॉय मामले में रखा [सौहार्दपूर्ण]

सोसायटी वी। बोलेन्ड, (1830) 4 ब्लिघ, (एनएस) 194: 2 डाउ एंड सी11], "एक प्रतिरोधी घोड़ा है और जब आप इसकी सवारी करते हैं, तो यह नहीं पता कि यह आपको कहाँ ले जाएगा"। इसलिए, सार्वजनिक नीति न्यायिक निर्णय के लिए एक बहुत ही असुरक्षित, संदिग्ध और अविश्वसनीय आधार हो सकती है और अदालतें इस विश्वासघाती घोड़े पर चढ़ने के लिए बहुत सतर्क हो सकती हैं, भले ही उन्हें ऐसा करना पड़े। यह सिद्धांत, जैसा कि इस न्यायालय ने घेरूलाल पारेख मामले [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 781: 1959 मान लीजिए कि 2 एस. सी. आर. 406] (आई. बी. आई. डी.), केवल उस मामले में लागू किया जा सकता है जहां जनता को स्पष्ट और निर्विवाद नुकसान पहुंचाया जाता है। जे. सुब्बा राव (जैसे वे उस समय थे) के शब्दों को उद्धृत करते हुए:

हालांकि सैद्धांतिक रूप से बदलते विश्व की असाधारण परिस्थितियों में (सार्वजनिक नीति का) एक नया प्रमुख विकसित करने की अनुमति हो सकती है, लेकिन समाज की स्थिरता के हित में यह सलाह दी जाती है कि इनमें नए प्रमुखों की खोज करने का कोई प्रयास न किया जाए।

दिन होते हैं।

ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि अपीलार्थी द्वारा इस्तीफे को वापस लेने से जनता या किसी व्यक्ति को भी नुकसान होगा। इसलिए विवाद को खारिज कर दिया जाता है "।

43. केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन में इस अदालत का फैसला

एन. वी. ब्रोजो नाथ गांगुली, (1986) 3 एस. सी. सी. 156, ने इस विषय पर ए. एस. ई. कानून का उल्लेख करने के बाद कहा:

" 92. भारतीय अनुबंध अधिनियम "सार्वजनिक" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है।

"सार्वजनिक नीति", "सार्वजनिक नीति के विपरीत" या "सार्वजनिक नीति के विपरीत" वाक्यांश सटीक परिभाषा देने में असमर्थ हैं। हालाँकि, सार्वजनिक नीति किसी विशेष सरकार की नीति नहीं है। यह कुछ ऐसे मामलों को इंगित करता है जो सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित से संबंधित हैं। सार्वजनिक भलाई के लिए या सार्वजनिक हित के लिए या सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक या हानिकारक क्या होगा, इसकी अवधारणा समय-समय पर अलग-अलग रही है। के रूप में नई अवधारणाएँ पुरानी अवधारणाओं की जगह लेती हैं, ऐसे लेन-देन जिन्हें कभी सार्वजनिक नीति के खिलाफ माना जाता था, अब अदालतों द्वारा बरकरार रखे जा रहे हैं और इसी तरह जहां सार्वजनिक नीति का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रमुख रहा है, अदालतें इसे नए लेन-देन और बदली हुई परिस्थितियों में

विस्तारित करने से नहीं हिचकिचाती हैं और कभी-कभी पी. ए. एस. एल. वाइल्ड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. नहीं होती हैं।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जेनसन वी। ड्रिफोंटेन कंसोलिडेटेड गोल्ड माइन्स लिमिटेड [(1902) एसी 484,500]: " सार्वजनिक नीति हमेशा कानूनी निर्णय के लिए एक असुरक्षित और विश्वासघाती आधार होती है। यह 1902 की बात है। अड़तालीस साल पहले, बरो, जे., रिचर्डसन बनाम में। मेलिश [(1824) 2 बिंग 229,252: 130 ई. आर. 294,303 और (1824-34) ऑल ई. आर. 258,266] ने सार्वजनिक नीति को "एक बहुत ही अनियंत्रित घोड़ा, और जब एक बार था" के रूप में वर्णित किया।

आप इसे भटकाते हैं, आप कभी नहीं जानते कि यह आपको कहाँ ले जाएगा। मास्टर ऑफ द रोल्स, लॉर्ड डेनिंग, हालांकि, असहनीय घोड़ों से दूर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे और शब्दों में जो कल्पना करते हैं। एंडरबी टाउन फुटबॉल क्लब में उन्होंने कहा, "हमारी आंखों के सामने युवा सिकंदर द ग्रेट की तस्वीर है जो बुसेफेलस को काबू में कर रहा है।"

लिमिटेड वी. फुटबॉल एसोसिएशन। लिमिटेड [(1971) Ch 591,606]: " काठी में एक अच्छे आदमी के साथ, अनियंत्रित घोड़े को नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह बाधाओं को पार कर सकता है। अगर डरपोक हमेशा मैदान में होते, तो न केवल सार्वजनिक नीति का सिद्धांत, बल्कि सामान्य कानून या समानता के सिद्धांत भी कभी विकसित नहीं होते। सर विलियम

होल्ड्सवर्थ ने अपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ खंड में लिखा है। III, पी। 55 , उन्होंने कहा है:

" वास्तव में, सामान्य कानून की तरह कानून का एक निकाय, जो विकसित हुआ है

राष्ट्र के विकास के साथ धीरे-धीरे कुछ निश्चित सिद्धांतों को प्राप्त करना आवश्यक है, और यदि इन सिद्धांतों को बनाए रखना है, तो इसे सार्वजनिक नीति या किसी अन्य समान आधार के आधार पर, उन प्रथाओं को दबाने में सक्षम होना चाहिए, जो हमेशा नए भेष में, उन्हें कमजोर या नकारात्मक करना चाहते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक नीति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को होना चाहिए

आज जनता के लिए अप्रिय और दमनकारी हो गए हैं विवेक। यदि सार्वजनिक नीति का कोई प्रमुख नहीं है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट शामिल हो।

एस सी आर।

मामला, तब न्यायालय को सार्वजनिक विवेक के अनुरूप और सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रथा को सार्वजनिक नीति के खिलाफ घोषित करना चाहिए। सबसे बढ़कर, किसी भी मामले का निर्णय लेने में जो प्राधिकरण द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है, हमारे न्यायालयों के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रकाश होता है। मिसाल के अभाव में, अदालत को हमेशा उस प्रकाश और मौलिक अधिकारों और निर्देश के अंतर्निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

हमारे संविधान में निहित सिद्धांत "। 44. इसी तरह, रतन चंद हीरा चंद बनाम। अस्कर नवाज

, (1991) 3 एस. सी. सी. 67, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि:

" 17. मैं उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सम्मानजनक रूप से सहमत हूं। यह विवादित नहीं हो सकता है कि एक अनुबंध जिसमें सार्वजनिक हितों या लोक कल्याण को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है, वह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। सार्वजनिक हितों या कल्याण के लिए क्या नुकसान है, यह समय और जलवायु पर निर्भर करेगा। जिस सामाजिक परिवेश में अनुबंध को लागू करने की मांग की जाती है, वह तथ्य, प्रकृति और चोट की डिग्री तय करेगा। सार्वजनिक नीति की अवधारणा के विपरीत यह तर्क देना कि यह अपरिवर्तनीय है, क्योंकि यह समाज की अलग-अलग जरूरतों के साथ भिन्न होनी चाहिए। वे आवश्यकताएँ क्या हैं, यह समाज के प्रबुद्ध वर्ग के सर्वसम्मत मूल्य निर्णयों पर निर्भर करेगा। ये मान हो सकते हैं

कभी-कभी वे कानून में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी वे नहीं भी हो सकते हैं। विधायिका अक्सर बदलती जरूरतों और मूल्यों के साथ तालमेल रखने में विफल रहती है और न ही यह उम्मीद करना यथार्थवादी है कि उसने प्रदान किया होगा। सभी आकस्मिकताओं और संभावनाओं के लिए। इसलिए, यह न केवल आवश्यक है, बल्कि अदालतों के लिए अनिवार्य है कि वे इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाएं। जब अदालतें इस कार्य को करती हैं तो निस्संदेह वे कानून बनाते हैं।

न्यायिक रूप से। लेकिन यह एक प्रकार का कानून है जो कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और समाज के लक्षयों को बढ़ावा देने के लिए निहित रूप से उन्हें सौंपा गया है। या इसे नकारात्मक रूप से रखने के लिए, कानून की हताशा या लक्षयों की विकृति को रोकने के लिए और

समाज के मूल्य। जब तक अदालतें खुद को समाज के लोकाचार के साथ बांधकर रखती हैं और अपने रास्ते से नहीं हटती हैं, जब तक कि वे उस समय की महसूस की गई आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं।

और उन्हें नवीनीकृत न करें, इस संबंध में उनकी भूमिका होनी चाहिए

स्वागत है "।

45. रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं.,

सपं. (1) एस. सी. सी. 644, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 48. चूँकि सार्वजनिक नीति का सिद्धांत कुछ हद तक खुला है।

और लचीले, इंग्लैंड में न्यायाधीशों ने कुछ हद तक दिखाया है

घरेलू कानून में इसे लागू करने की अनिच्छा। दो परस्पर विरोधी हैं

ऐसी स्थितियाँ जिन्हें 'संकीर्ण दृश्य' और 'व्यापक दृश्य' कहा जाता है। संकीर्ण दृष्टिकोण के अनुसार अदालतें सार्वजनिक नीति के नए प्रमुख नहीं बना सकती हैं, जबकि व्यापक दृष्टिकोण पक्ष हैं।

इन क्षेत्रों में न्यायिक कानून बनाना। (देखिए: चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, 26 वां संस्करण। , खण्ड. I, पैरा 1133, पृ. 685-686) . इसी तरह की प्रवृत्ति है

भारत में निर्णय। घेरूलाल परख बनाम। महादेवदास मैया [1959 पूरक 2 एस. सी. आर. 406: ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 781] इस न्यायालय ने पक्ष लिया

संकीर्ण दृश्य जब उसने कहा:

हालांकि शीर्ष बंद नहीं हैं और हालांकि सैद्धांतिक रूप से असाधारण के तहत एक नया शीर्ष विकसित करने की अनुमति हो सकती है। एक बदलती दुनिया की परिस्थितियों में, समाज की स्थिरता के हित में यह स्वीकार्य है कि इन दिनों नए प्रमुखों की खोज करने का कोई प्रयास न किया जाए। 440)

49. हालाँकि, बाद के फैसलों में यह न्यायालय व्यापक दृष्टिकोण की ओर झुक गया है। [देखिए: मुरलीधर अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(1974) 2 एस. सी. सी. 472,482: (1975) 1 एस. सी. आर. 575,584]; केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम। वी. ब्रोजो नाथ गांगुली [(1986) 3 एस. सी. सी. 156,217]; रतन चंद हीरा चंद बनाम। अस्कर नवाज जंग [(1991) 3 एस. सी. सी. 67,76-77]।"

46. ज़ोरोस्ट्रियन कूप में। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम। जिला

स्ट्रार, कोप। सोसायटी (शहरी), (2005) 5 एस. सी. सी. 632, यह न्यायालय

" 38. यह सच है कि हमारे संविधान ने अपने लिए लक्षय निर्धारित किए हैं और ऐसा ही एक लक्षय है भेदभाव को दूर करना।

धर्म या लिंग। लेकिन उस लक्षय को विधायी हस्तक्षेप द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, न कि अदालत द्वारा यह सिद्धांत गढ़कर कि जो कुछ भी योजना या संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, चाहे वह भाग III या उसके भाग IV के तहत हो, उसे अदालत द्वारा सार्वजनिक नीति के खिलाफ घोषित किया जा सकता है। आम तौर पर, जैसा कि इस न्यायालय ने घेरूलाल परख बनाम में कहा है। महादेव माइया [1959 सप. (2) एससीआर 406: ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 781] सार्वजनिक

नीति का सिद्धांत उदाहरणों द्वारा शासित होता है, इसके सिद्धांतों को विभिन्न शीर्षों के तहत स्पष्ट किया गया है और हालांकि इसका विस्तार करने की अनुमति थी और

उन्हें विभिन्न स्थितियों में लागू करें यह केवल जनता को नुकसान के स्पष्ट और निर्विवाद मामलों पर लागू किया जा सकता है। हालाँकि, सैद्धांतिक रूप से [2021] 4 एस. सी. आर.

असाधारण परिस्थितियों में सार्वजनिक नीति का एक नया प्रमुख विकसित करने की अनुमति थी, इस तरह के पाठ्यक्रम में अस्वीकार्य होगा

समाज की स्थिरता का हित "।

47. राजस्थान राज्य में v. बसंत नाहटा (2005) 12 एस. सी. सी. 77,

इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 39. सिद्धांतों को अलग-अलग शीर्षों के तहत स्पष्ट किया गया है और हालांकि अदालतों के लिए अलग-अलग स्थितियों में उनका विस्तार करना और उन्हें लागू करना संभव हो सकता है, लेकिन यह सामान्य बात है कि उक्त सिद्धांत का सहारा "जनता को नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट और निर्विवाद मामलों में नहीं लिया जाना चाहिए, हालांकि शीर्ष बंद नहीं हैं और हालांकि सैद्धांतिक रूप से एक बदलती दुनिया की असाधारण परिस्थितियों में एक नया शीर्ष विकसित करने की अनुमति हो सकती है"। (घेरूलाल परख बनाम देखें। महादेव माइया [1959 पूरक (2) एससीआर 406: एयर

1959 एससी 781]।) "

48. वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी वी। भारत संघ, (2012) 6 एस. सी. सी. 613, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 263. घेरूलाल परख बनाम में यह न्यायालय। महादेवदास मैया

[ए. आई. आर 1959 एस. सी 781: 1959 सप्लीमेंट (2) एस. सी. आर. 406] ने अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध की स्वतंत्रता को केवल उन मामलों में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है जहां यह समुदाय के कुछ अच्छे के लिए हो। कंपनी अधिनियम, 1956 या एफ. ई. आर. ए., 1973, आर. बी. आई. विनियमन या आई. टी. अधिनियम स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं।

निहित रूप से किसी कंपनी के शेयरधारकों को प्रवेश करने से मना करना उन्हें मतदान के अधिकार का उपयोग कैसे करना चाहिए, इस बारे में समझौते संलग्न हैं।

उनके शेयरों में।

49. उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुबंध की स्वतंत्रता को जनता को स्पष्ट और निर्विवाद नुकसान के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है, भले ही किसी विशेष मामले के तथ्य सार्वजनिक नीति के अच्छी तरह से स्थापित 'शीर्ष' में उल्लिखित स्पष्ट सिद्धांतों के भीतर नहीं आते हों। फिर जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या भारत की सार्वजनिक नीति में कुछ ऐसा है, जैसा कि इस प्रकार समझा जाता है, जो दो भारतीय व्यक्तियों की पार्टी की स्वायत्तता को बाधित करता है, जो अपने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हैं।

भारत के बाहर एक तटस्थ मंच।

50. यह देखा जा सकता है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 1 से धारा 28 का अपवाद विशेष रूप से दो व्यक्तियों के बीच विवादों के मध्यस्थता को बचाता है

उन व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के संदर्भ के बिना जो सहारा ले सकते हैं

मध्यस्थता। यही कारण है कि एटलस (उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने धारा 28 के उक्त अपवाद का उल्लेख किया और पाया कि पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. में कुछ भी नहीं है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

या तो धारा 23 या धारा 28 जो दो भारतीय पक्षों को भारत के बाहर एक तटस्थ मंच पर अपने विवादों का मध्यस्थता कराने से रोकती है।

51. हालाँकि, श्री हिमानी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) और धारा 34 (2ए) के विशिष्ट संदर्भ में तर्क दिया कि चूंकि दो भारतीय पक्ष भारत के मूल कानून से बाहर नहीं निकल सकते हैं और

इसलिए, भारत में मध्यस्थताओं तक ही सीमित रहने के लिए, भारतीय सार्वजनिक नीति, जैसा कि इन दोनों धाराओं में परिलक्षित होती है, प्रबल होनी चाहिए। हम असमर्थ हैं

इस तर्क से सहमत हैं। यह देखा जाएगा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए), जब धारा 2 (2), धारा 2 (6) और धारा 4 के साथ पढ़ी जाती है, तो केवल यह स्पष्ट करता है कि जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है, एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (यानी एक मध्यस्थता जहां कोई भी पक्ष, अन्य बातों के साथ, किसी विदेशी देश का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी देश में आदतन निवासी नहीं है) के अलावा किसी अन्य मध्यस्थता में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण भारत में उस समय लागू मूल कानून के अनुसार विवाद का फैसला करेगा।

52. यह देखा जा सकता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) दो भारतीयों के बीच मध्यस्थता किए जाने का कोई संदर्भ नहीं देती है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (च) (i) और इसके परिणामस्वरूप, धारा 28 (1) (ख) के प्रावधान, जिस मामले में दो भारतीय नागरिक इसके हकदार होंगे: उनके विवाद का निर्णय भारत में पक्षों द्वारा निर्दिष्ट कानून के नियमों के अनुसार किया जाता है जो विवाद के सार पर लागू होते हैं, जो भारतीय कानून होने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में एक मजबूत संकेत है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 को श्री हिमानी द्वारा सुझाए गए तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है।

54. अन्यथा भी, बाल्को (उपर्युक्त), जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शासन-1 (उपर्युक्त) में निर्दिष्ट किया गया है, उसके अनुच्छेद 118 में विशेष रूप से संकेत दिया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) वहां लागू नहीं होगी जहां वह स्थान भारत के बाहर है क्योंकि उस स्थिति में, उस देश के विधि नियमों का टकराव लागू करना होगा जिसमें मध्यस्थता होती है।

55. श्री हिमानी द्वारा दिए गए उदाहरण पर आते हुए, अर्थात्, बेनामी लेनदेन अधिनियम के अनुप्रयोग को [2021] 4 एस. सी. आर. नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के बाहर एक सीट पर मध्यस्थता का सहारा लेकर दो भारतीय नागरिकों द्वारा दरकिनार किए जाने की संभावना अधिक है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, दो

भारतीय नागरिक भारत में होने वाले अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले अपने बीच के विवादों पर भारत के मूल कानून को लागू करेंगे। यहां तक कि किसी भी पदनाम के अभाव में भी विवाद के सार पर कौन से नियम लागू होंगे, जो विवाद भारत में संपन्न लेनदेन और उसके उल्लंघन से संबंधित है, भारत का मूल कानून मध्यस्थ द्वारा उस देश के कानून नियमों के टकराव के अनुसार लागू किया जाएगा जिसमें मध्यस्थता होती है। डाइसी, मॉरिस और कॉलिन्स

कानूनों के टकराव पर (स्वीट एंड मैक्सवेल, 15 वां संस्करण।) निम्नलिखित रूप में कहते हैं:

" नियम 224-(1) (ए) जहां चुनाव के समय स्थिति से संबंधित अन्य सभी तत्व किसी अन्य देश में स्थित हैं।

जिस देश का कानून चुना गया है, पक्षकारों का चुनाव उस अन्य देश के कानून के प्रावधानों के अनुप्रयोग के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होगा, जिसका समझौते द्वारा अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है।

***

" रल्ली ब्रदर्स में सिद्धांत। : यह पहले ही देखा जा चुका है कि सामान्य कानून में एक सिद्धांत माना जाता था कि एक अनुबंध (चाहे वह उसके शासी कानून द्वारा वैध हो या नहीं), सामान्य रूप से, उस देश के कानून द्वारा जहाँ अनुबंध किया जाना था (लेक्स लोकी) अवैध था। समाधान)। इस काम के दूसरे संस्करण में तैयार किए गए इस सिद्धांत को रल्ली ब्रदर्स मामले में अपील न्यायालय द्वारा अपनाया गया था। हालाँकि, एक सवाल बना हुआ है कि क्या यह कानूनों के टकराव का नियम है (जैसा कि इसके निर्माण से पता चलता है) या इसके विपरीत, अवैधता के पर्यवेक्षण से संबंधित अनुबंध के घरेलू कानून का एक सिद्धांत है। जवाब इस सवाल को प्रभावित करता है कि क्या

के निगमन के बाद से सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग है

रोम सम्मेलन और रोम I विनियमन का अधिनियमन। यह स्पष्ट है कि यदि एक अंग्रेजी अनुबंध विदेश में किया जाना था,

अंग्रेजी अदालत इसे लागू करने से इनकार कर देगी यदि इसका प्रदर्शन

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थान के कानून का उल्लंघन करेगा

प्रदर्शन। इसलिए स्पेन में अधिकतम से अधिक चार्टर्ड माल ढुलाई के भुगतान के लिए अंग्रेजी कानून द्वारा शासित एक समझौता

स्पेनिश कानून द्वारा अनुमति इंग्लैंड में एक कार्रवाई का समर्थन नहीं करती थी। जहां विदेशी कानून के अनुसार इस तरह का अनुबंध शुरू से ही अवैध था और विदेशी कानून की अवहेलना करने के उद्देश्य से पक्षों द्वारा किया गया था, वहां इसकी अयोग्यता अक्सर एक सामान्य सिद्धांत पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. से होती है।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

नियम 229 के संबंध में नीचे बताई गई सार्वजनिक नीति। हम हैं।

यहाँ मुख्य रूप से उन अनुबंधों से संबंधित है जो उनके हस्तक्षेप के कारण इस देश की सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं हैं।

विदेशी सरकार के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध, लेकिन जिसमें फिर भी उस देश के कानून के अनुसार कुछ गैरकानूनी करना शामिल है जिसमें संविदात्मक दायित्व का पालन किया जाना है, उदाहरण के लिए क्योंकि अनुबंध बनाने के बाद लेक्स लोकी समाधान द्वारा प्रदर्शन को अवैध बना दिया गया था। यदि अंग्रेजी कानून अनुबंध का शासी कानून है, तो इसके परिणाम

रल्ली ब्रदर्स के सिद्धांत के लिए, जैसा कि समझा जाता है, लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि "प्रदर्शन में किसी विदेशी देश में कुछ ऐसा करना शामिल है जिसे उस देश के कानून अवैध बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदर्शन को माफ कर दिया जाता है। जब भी इसमें किसी ऐसे देश में कोई अधिनियम शामिल होता है जिसका कानून इस अधिनियम को अवैध बनाता है। यह पर्याप्त नहीं है कि प्रदर्शन को माफ कर दिया जाए, या यह कि यह कार्य उस देश के कानून द्वारा गैरकानूनी है जिसमें ऐसा होता है।

किया जाना, या कि अनुबंध के अनुसार सार्वजनिक नीति के विपरीत है

प्रदर्शन के स्थान के कानून के लिए। यह "उस देश के कानून द्वारा गैरकानूनी होना चाहिए जिसमें कार्य किया जाना है", अर्थात उस देश के कानून द्वारा जिसमें, इसके व्यक्त या निहित के अनुसार

शर्तों के अनुसार, अनुबंध का पालन किया जाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा करके, उस विदेशी देश के कानूनों का उल्लंघन करेगा जिसमें वह निवासी है या व्यवसाय करता है, या जिसका वह राष्ट्रीय है, यदि उस देश का कानून न तो अनुबंध का शासी कानून है और न ही लेक्स लोकी समाधान है।

इस बिंदु तक अवैधता के परिणामों का सवाल

लेक्स लोकी समाधान के अनुसार प्राधिकरण द्वारा कवर किया जाता है। हालाँकि, यह संदिग्ध और अत्यधिक विवादास्पद था कि क्या कानूनों के टकराव के अंग्रेजी नियमों के अनुसार, लेक्स लोकी समाधान के अनुसार अवैधता का वैधता या संचालन पर कोई प्रभाव पड़ा है। विदेशी कानून द्वारा शासित और किसी तीसरे देश में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध का, अर्थात किसी अन्य देश में

शासन कानून। क्या एक अंग्रेजी अदालत स्पेन में अधिकतम [2021] 4 एस. सी. आर. से परे चार्टर्ड माल के भुगतान के लिए एक फ्रांसीसी अनुबंध लागू करेगी?

स्पेनिश कानून द्वारा अनुमति? क्या यह माना जाएगा कि इस तरह की अवैधता के परिणाम स्पेनिश कानून, लेक्स लोकी सॉल्यूशंस द्वारा शासित थे, या क्या यह इसे फ्रांसीसी कानून, अनुबंध के शासी कानून पर छोड़ देगा, यह निर्धारित करने के लिए कि लेक्स लोकी सॉल्यूशंस के अनुसार अवैधता है या नहीं।

की वैधता और संचालन पर कोई प्रभाव पड़ा था, और यदि ऐसा है तो क्या

अनुबंध?

प्रचलित अकादमिक दृष्टिकोण यह था कि अवैधता को नियंत्रित करना

प्रदर्शन के स्थान के कानून के अनुसार इस तरह से एक अंग्रेजी अदालत को अनुबंध को लागू करने से नहीं रोकता था, जब तक कि यह अंग्रेजी कानून द्वारा शासित न हो। रल्ली ब्रदर्स में सिद्धांत, इस दृष्टिकोण पर, कानूनों के टकराव का सिद्धांत बिल्कुल नहीं था, बल्कि केवल अवैधता का पर्यवेक्षण करके संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या निलंबन और लेक्स लोकी के तहत प्रदर्शन की अवैधता के संबंध में अंग्रेजी घरेलू नियमों का एक अनुप्रयोग था।

समाधान एक तथ्य से अधिक नहीं था जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए

अंग्रेजी अदालत यह निर्णय लेने में कि क्या प्रदर्शन हो गया था

असंभव है। क्या एक अंग्रेजी अदालत स्पेन में कुछ करने के लिए एक फ्रांसीसी अनुबंध को लागू करेगी, जिसे अनुबंध बनाने के बाद स्पेनिश कानून ने प्रतिबंधित कर दिया था, यह फ्रांसीसी कानून पर निर्भर करेगा, और विशेष रूप से, अनुबंधों के निलंबन या निर्वहन के फ्रांसीसी कानून पर। इस मुद्दे पर कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं था। काहलर वी. मिडलैंड बैंक लिमिटेड लॉर्ड रीड ने कहा कि "इंग्लैंड के कानून को अंग्रेजी अनुबंध के प्रदर्शन में किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसा कार्य उस देश के कानून द्वारा गैरकानूनी होगा जिसमें कार्य किया जाना है।" जिवनोस्तेंस्का में बांका वी. हालांकि, फ्रैंकमैन ने इसे "स्थापित कानून के रूप में माना कि, अनुबंध का उचित कानून जो भी हो, एक अंग्रेजी अदालत को किसी पक्ष को अनुबंध के प्रदर्शन में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी जो उस स्थान पर लागू कानून के तहत एक अपराध होगा।

जहाँ कार्य किया जाना है "।

56. रल्ली ब्रदर्स के मामले का पालन फोस्टर बनाम में किया गया था।

ड्रिस्कॉल 1929 1 किंग्स बेंच 470। ये दोनों निर्णय तब थे

रेगाज़ोनी वी में संदर्भित। के. सी. सेठिया [1958] ए. सी. 301। इस मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक मामले का फैसला किया जिसमें प्रतिवादी अपीलार्थी को जूट के थैले बेचने और वितरित करने के लिए

सहमत हुए। दोनों पक्षों ने विचार किया कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका में पुनर्विक्रय के लिए भारत से जेनोआ भेजा जाना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात से भी अवगत थे कि भारत से दक्षिण अफ्रीका में जूट का निर्यात भारतीय कानून द्वारा प्रतिबंधित है। इस तथ्य के बावजूद कि अंग्रेजी कानून अनुबंध का उचित कानून था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिनियम अप्रवर्तनीय था क्योंकि एक अंग्रेजी अदालत एक ऐसे अधिनियम को लागू नहीं करेगी जो एक विदेशी और मित्रवत राज्य के कानून का उल्लंघन करता है। विकांउट

एन. डी. एस. ने इसे इस प्रकार रखाः

" तब सवाल उठता है-और जैसा कि मैं कहता हूं, यही एकमात्र सवाल है।

आपके लॉर्डशिप्स के विचार के लिए कि क्या उत्तरदाता थे

अनुबंध को अस्वीकार करने में न्यायसंगत। वे उचित होने का दावा करते हैं

वह आधार जो मैंने पहले ही बता दिया है। उनका व्यापक प्रस्ताव है -

कि अनुबंध का उचित कानून अंग्रेजी कानून है या नहीं,

एक अंग्रेजी अदालत एक अनुबंध को लागू नहीं करेगी, या हर्जाना नहीं देगी।

इसके उल्लंघन के लिए, यदि इसके प्रदर्शन में एक कार्य करना शामिल होगा एक विदेशी और मित्रवत राज्य जो उस राज्य के कानून का उल्लंघन करता है।

इसके लिए वे फोस्टर के प्रसिद्ध मामले के अधिकार का हवाला देते हैं वी. ड्रिस्कॉल, [1929] 1 के. बी. 470 और इसमें अधिकांश बहस

सदन यह रहा है कि क्या उस मामले का निर्णय सही था, और यदि ऐसा है,

क्या यह वर्तमान मामले से अलग है। अपीलार्थी

यह तर्क देता है कि यह सही ढंग से तय नहीं किया गया था, और आगे एक का आह्वान करता है परिचित सिद्धांत जो वे इन व्यापक लेकिन संदिग्ध में कहते हैं

शर्तों के अनुसार, "एक अंग्रेजी अदालत को विदेशी कानून का सम्मान नहीं होगा

एक दंडात्मक, राजस्व, या राजनीतिक चरित्र ", और दावा करता है कि भारतीय

यहाँ विचाराधीन कानून इस तरह का है।

(पृष्ठों पर 317-318)

***

" यहाँ, मेरे स्वामी, अधिकार की एक दुर्जेय रेखा थी जब 1920 में

रल्ली ब्रदर्स बनाम। कम्पानिया नेवेरा सोटा वाई अज़नार, [1920] 2 के. बी. 287 अपील न्यायालय के समक्ष आया। उस मामले में अनुबंध में

मुकदमा अंग्रेजी कानून द्वारा शासित था लेकिन इसके लिए प्रदर्शन की आवश्यकता थी स्पेन में स्पेनिश कानून द्वारा अवैध कार्य, और यह माना गया था कि

इस वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। मैं केवल एक अंश का हवाला दूंगा।

स्क्रूटन एल. जे. के निर्णय से "कहाँ", उन्होंने कहा, [1920] 2

देश, यह है, बहुत विशेष परिस्थितियों के अभाव में, एक इस तरह के प्रावधान की निरंतर वैधता की निहित अवधि कि

विदेश में किया जाने वाला कार्य कानून द्वारा अवैध नहीं होगा।

उस देश से। इस देश को मेरी राय में सहायता या सहायता नहीं करनी चाहिए।

अन्य स्वतंत्र राज्यों के कानूनों के उल्लंघन को मंजूरी देना। में।

रल्ली ब्रदर्स मामला, [1920] 2 के. बी. 287, प्रासंगिक कानून था

यह राजस्व कानून नहीं है और मैं यह मानते हुए संतुष्ट हूं कि स्क्रूटन एल. जे.

अगर उनके पास [2021] 4 एस. सी. आर. में ऐसा कानून होता तो हो सकता था कि उन्होंने अपने बयान को सही ठहराया होता।

दिमाग। लेकिन मैं इस राय में जो पहले कहा था, उस पर लौटने का साहस करता हूं। यह इस तथ्य से मेल नहीं खाता है कि आज अदालत किसी विदेशी राज्य के मुकदमे में एक राजस्व कानून को लागू नहीं करेगी कि आज वह एक अनुबंध को लागू करेगी जिसके लिए किसी विदेशी देश में एक ऐसा कार्य करना आवश्यक है जो उस देश के राजस्व कानून का उल्लंघन करता है। ये दोनों चीजें पूरक या सह-व्यापक नहीं हैं। यह देखा जा सकता है कि राजस्व कानून के लिए दंडात्मक कानून को प्रतिस्थापित किया गया है या नहीं। एक अंग्रेजी अदालत के लिए एक विदेशी राज्य के मुकदमे में एक दंडात्मक कानून लागू नहीं होगा, फिर भी यह आश्चर्य की बात होगी कि क्या यह एक अनुबंध को लागू करेगा जिसके लिए आवश्यक था

उस राज्य में अपराध करना। तथापि, वर्तमान अपील के प्रयोजनों के लिए यह कहना पर्याप्त है कि पुराने प्राधिकारी के सम्मान में राजस्व कानून के उल्लंघन के संबंध में कोई अपवाद किया जाना चाहिए या नहीं, किसी अन्य कानून के संबंध में अपवाद करने का कोई आधार नहीं है। मुझे स्वयं कहना चाहिए था और मुझे लगता है कि यह एकमात्र बिंदु है जिस पर मैं अपील न्यायालय से सहमत नहीं हूं-कि वर्तमान मामला रल्ली ब्रदर्स, [1920] 2 के. बी. 287 में निर्णय द्वारा सटीक रूप से कवर किया गया था। क्योंकि जब यह तथ्य सामने आता है कि दोनों पक्षों का इरादा भारत से जूट के थैलों का निर्यात करना था ताकि वे जेनोआ के रास्ते दक्षिण अफ्रीका संघ को जा सकें, तो मुझे ऐसा लगता है।

अप्रासंगिक है कि दस्तावेजों के चेहरे पर जो गलत है इरादे का खुलासा नहीं किया गया था। लेकिन, यह ऐसा है या नहीं, यह है

स्पष्ट रूप से फोस्टर वी द्वारा कवर किया गया। ड्रिस्कॉल, [1929] 1 के. बी. 470, एक ऐसा निर्णय जिसकी शुद्धता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। विशिष्टता मामले की विशेषता यह थी कि स्क्रूटन एल. जे. ने सोचा था कि वहां के अनुबंध को कानूनी रूप से किया जा सकता है, और लॉरेंस और सेंकी एल. जे. जे. से अलग कारण से, यह माना गया कि यह नहीं था

अमान्य है। रल्ली ब्रदर्स, [1920] 2 के. बी. 287 में निर्णय के सिद्धांत को दृढ़ता से फिर से स्थापित किया गया था और दस्तावेजों की स्पष्ट निर्दोषता की अवहेलना की गई थी, दोषी इरादे को अतिरिक्त साबित किया गया था। इसलिए, यहाँ, यह निर्णायक रूप से पाया गया है कि पक्षों का सामान्य इरादा भारत के कानून का उल्लंघन करना था, और यह कोई परिणाम नहीं है कि दस्तावेजों ने अपने इरादे का खुलासा नहीं किया।

मुझे इस बात पर ध्यान दिए बिना मामले से अलग नहीं होना चाहिए कि सेंकी एल. जे. ने कहा कि राजस्व कानून के उल्लंघन से संबंधित मामले इस मुद्दे से संबंधित नहीं थे। न ही वे इस अपील के लिए तैयार हैं। क्या उन्हें अभी भी एक बाध्यकारी प्राधिकरण के रूप में माना जाना है, यह एक ऐसा सवाल है जिसके निर्धारण की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

(पृष्ठों पर 321-323)

पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लॉर्ड रीड ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा: " एकमात्र हालिया प्राधिकरण जो सीधे बिंदु में है, फोस्टर बनाम है। ड्रिस्कॉल, [1929] 1 के. बी. 470। वहाँ स्क्रूटन एल. जे. ने असहमति जताई क्योंकि

उन्होंने तथ्यों के बारे में एक अलग दृष्टिकोण लिया: अगर उन्होंने माना होता कि अनुबंध के प्रदर्शन में अनिवार्य रूप से अमेरिकी कानून का उल्लंघन शामिल था, तो मुझे लगता है कि वह बहुमत से सहमत होते। उन्होंने कहा, [1929] 1 के. बी. 470,496: “ मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि विक्रेता और खरीदार उस देश के कानूनों के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हिस्की भेजने के लिए सहमत होते हैं तो अनुबंध यहां लागू नहीं किया जाएगा: रल्ली का मामला, [1920] 2 के. बी. 287, इसलिए नहीं कि यह यहाँ अवैध था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर आधारित सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में था। इसके बाद उन्होंने अनुमोदन के साथ उद्धृत किया, [1929] 1 के. बी. 470,497, डाइसिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़, चौथा संस्करण। , पी। 620 : " हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि कोई अनुबंध एक अंग्रेजी अनुबंध है, तो इसे केवल अवैधता के कारण अमान्य माना जाएगा यदि यह वास्तव में किसी विदेशी और मित्र देश में किसी ऐसे कार्य के प्रदर्शन की आवश्यकता बनाता है जो ऐसे देश के कानून द्वारा अवैध है।

999

और उन्होंने वॉ बनाम में ब्लैकबर्न जे. के फैसले के एक अंश को भी अनुमोदन के साथ उद्धृत किया। मॉरिस, (1873) एल. आर. 8 क्यू. बी. 202,208: “ हम पूरी तरह से सहमत हैं कि, जहां एक अनुबंध एक ऐसा काम करने के लिए है जिसे कानून के उल्लंघन के बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता है, वह अमान्य है, चाहे पक्ष कानून को जानते हों या नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि एक अनुबंध से बचने के लिए जो कानूनी रूप से किया जा सकता है, इस आधार पर कि इसे अवैध तरीके से करने का इरादा था, यह दिखाना आवश्यक है कि इसे तोड़ने का दुष्ट इरादा था।

कानून; और, यदि ऐसा है, तो कानून क्या है, इसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ऐसी चीज़ जिसे किया नहीं जा सकता है

अनुबंध दक्षिण अफ्रीका में माल भेजने के खरीदार के इरादे का खुलासा नहीं करता है। इसके बावजूद यह अनुबंध किसी भी देश के कानूनों के उल्लंघन के बिना किया जा सकता था। मैं लॉरेंस एल. जे. ने फोस्टर के मामले में जो कहा, [1929] 1 के. बी. से भी उद्धृत करूंगा। 470 , 510 : " सिद्धांत रूप में, हालांकि, मेरी स्पष्ट राय है कि एक विदेशी और मित्र देश में आपराधिक अपराध के कमीशन से लाभ प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य के लिए बनाई गई साझेदारी अवैध है, भले ही पक्ष [2021] 4 एस. सी. आर. में सफल नहीं हुए हैं।

अपने उद्यम को पूरा करना, और ऐसा कोई आपराधिक अपराध नहीं है

तथ्य प्रतिबद्ध किया गया है; और कोई कम नहीं क्योंकि पार्टियों

शायद सोचा होगा कि अगर वे सफलतापूर्वक व्यवस्था नहीं कर सके

अपराध को स्वयं करने के लिए वे उकसाते हैं या सहायता करते हैं और

किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाना। इन परिच्छेदों में शामिल हैं

वर्तमान मामला, और मैं उनसे सहमत हूँ।

अंत में, यह तर्क दिया गया कि, भले ही एक सामान्य नियम हो कि हमारे

अदालतें विदेशी कानूनों पर ध्यान देंगी ताकि समझौते टूट जाएं

वे अप्रवर्तनीय हैं, वह नियम अपवादों के अधीन होना चाहिए

और यह भारतीय कानून ऐसा है जिस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यह.

हो सकता है कि अपवाद भी हों। मैं एक विदेशी कानून की कल्पना कर सकता हूं।

इस तरह के चरित्र का उत्पीड़न शामिल है जिसे हम मानेंगे इसे सराहनीय के रूप में तोड़ने के लिए एक समझौता। लेकिन यह भारतीय कानून है

उस तरह की किसी भी चीज़ से बहुत दूर। यह तर्क दिया गया था कि दक्षिण अफ्रीका को निर्यात का यह निषेध उनके खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण कार्य था।

एक राष्ट्रमंडल देश जिसके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं,

कि इस तरह का निषेध अंतर राष्ट्रीय उपयोग के विपरीत है, और कि

हम दोनों के बीच के विवाद में पक्ष लिए बिना इसे मान्यता नहीं दे सकते। भारत और दक्षिण अफ्रीका।

मेरे स्वामी, इस देश में एक अदालत के लिए यह तय करना काफी असंभव है

स्वयं एक विवाद के अधिकारों और गलतियों के न्यायाधीश के रूप में

दो मित्र देशों के बीच, हम उद्देश्यों का आकलन नहीं कर सकते हैं या

इन मामलों में अन्य देशों की सरकारों का औचित्य

अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस भारतीय कानून को मान्यता देकर ताकि समझौता जिसमें भारत के भीतर उस कानून का उल्लंघन शामिल है

क्षेत्र अप्रवर्तनीय है हम कोई भी राय व्यक्त नहीं करते हैं, या तो

अनुकूल या प्रतिकूल, उस नीति के बारे में जो इसके अधिनियमन का कारण बनी। मेरे फैसले में इस अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(पृष्ठों पर 324-326)

57. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि भारत का कानून कहाँ निषेध करता है

कुछ अधिनियमों में, डाइस के आधिकारिक ग्रंथ में निर्धारित कानून नियमों का टकराव ज्यादातर मामलों में इस स्थिति का ध्यान रखेगा क्योंकि मध्यस्थ इन नियमों को उन मामलों में राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आधार पर लागू करेंगे जो भारत के बाहर दिए गए पुरस्कार में दो भारतीय नागरिकों के बीच उत्पन्न होते हैं, जो 1996 के अधिनियम की धारा 44 के तहत "विदेशी पुरस्कार" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

58. अन्यथा भी, धारा 48 के तहत एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के खिलाफ एक आधार बनाया जा सकता है जहां इस तरह के प्रवर्तन

पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा। यदि, किसी मामले के तथ्यों पर, यह पाया जाता है कि दो भारतीय नागरिकों ने एक मामले को दरकिनार किया है।

कानून जो भारत की मौलिक नीति से संबंधित है, इस तरह के विदेशी पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (2) (बी) के तहत लागू नहीं किया जा सकता है। इस धारणा पर कि श्री हिमानी का बेनामी का उदाहरण लेन-देन अधिनियम भारतीय कानून की मौलिक नीति से संबंधित है, यदि विदेश पुरस्कार ऐसी मौलिक नीति के विपरीत है, तो इस तरह के पुरस्कार को भारत में लागू नहीं किया जाएगा।

मान लीजिए, भारत के बाहर आदतन निवासी भारतीय नागरिक और भारत में निवासी भारतीय राष्ट्रीय के बीच मध्यस्थता, तब भी जब मध्यस्थता भारत में होती है जिसके परिणामस्वरूप भारत में कोई निर्णय दिया जाता है, धारा 34 (2ए) के तहत उपलब्ध आधार उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि यह भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा। भारत के बाहर एक तटस्थ मंच के लिए सहमत होने में, पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत चेरी पर एक काटने के बजाय, जहां दो भारतीय नागरिकों के बीच मध्यस्थता भारत में आयोजित की जाती है [धारा 34 (2ए) के तहत उपलब्ध पुरस्कार को अलग करने के आधार के साथ], इसके बजाय पक्षों द्वारा जो रखा जाता है वह चेरी पर दो काटने हैं, अर्थात्, उस देश में उपलब्ध आधारों पर उस देश में पारित मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए भारत के बाहर किसी देश में अदालत या न्यायाधिकरण का सहारा लेना (जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत उपलब्ध आधारों से अधिक व्यापक हो सकता है), और फिर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में उल्लिखित आधारों के तहत प्रवर्तन का विरोध करना। अनुबंध की स्वतंत्रता और जनता को स्पष्ट और निर्विवाद नुकसान के बीच संतुलन अधिनियम को अनुबंध की स्वतंत्रता के पक्ष में हल किया जाना चाहिए क्योंकि दो भारतीय नागरिकों को विदेशी देश की चुनौती प्रक्रिया का लाभ उठाने की अनुमति देने से जनता को कोई स्पष्ट और निर्विवाद नुकसान नहीं होता है, जब - उस प्रक्रिया के तहत किसी विदेशी पुरस्कार के पारित होने के बाद, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में निहित आधारों पर भारत में इसके प्रवर्तन का विरोध किया जा सकता है, जिसमें विदेशी पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होना शामिल है।

पार्टी की स्वायत्तता 60.
पार्टी को प्रभावी बनाने के लिए अब डेक को साफ कर दिया गया है।

मध्यस्थता में स्वायत्तता। पार्टी की स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट माना गया है

एस सी आर।

मध्यस्थता की मार्गदर्शक भावना। इस प्रकार, भारत एल्यूमीनियम कंपनी v. एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा निगम, (2016) 4 एस. सी. सी. 126, ने यह अभिनिर्धारित किया:

" 5. पार्टी की स्वायत्तता विचार और मार्गदर्शन की भावना है।

मध्यस्थता, पक्ष अपने पूरे अनुबंध को नियंत्रित करने वाले तीन अलग-अलग कानूनों के आवेदन पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं-(1) अनुबंध का उचित कानून, (2) मध्यस्थता समझौते का उचित कानून, और (3) मध्यस्थता के संचालन का उचित कानून, जो लोकप्रिय और कानूनी है। पार्लेन्स "क्यूरियल लॉ" के रूप में जाना जाता है। मध्यस्थता के लिए इन विभिन्न कानूनों की परस्पर क्रिया और अनुप्रयोग को संक्षिप्त रूप से समझाया गया है।

इस न्यायालय द्वारा सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। ओएनजीसी

लिमिटेड [सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड, (1998) 1 एस. सी. सी. 305], जो उस दिशा में सबसे शुरुआती निर्णयों में से एक है और जिसका हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड सहित बाद के सभी निर्णयों में लगातार पालन किया गया है। भारत संघ [रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (2014) 7

एससीसी 603: (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 737]। "

***

" 10. व्याख्या के मामले में, अदालत को व्याख्या के लिए आने वाले साधन के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। विधायी प्रारूपण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और किसी अधिनियम, नियम या विनियमन को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न चरणों में इसकी जांच की जाती है। कानूनविदों या दस्तावेज़ लेखकों द्वारा मसौदा तैयार करने की एक और श्रेणी है जो पेशेवर रूप से योग्य हैं और इस क्षेत्र में अनुभवी हैं जैसे दस्तावेज़, संधियाँ, अदालत में निपटान, आदि। और फिर आम लोगों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों की तीसरी श्रेणी है जिन्हें कानून का कोई ज्ञान या क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है। दस्तावेज़ की कानूनी गुणवत्ता या पूर्णता तुलनात्मक रूप से कम है

तीसरी श्रेणी, दूसरे में उच्च और पहले में उच्चतर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली श्रेणी में व्याख्या की प्रक्रिया में, अदालतें कानून के उद्देश्य, उसके संदर्भ और पाठ को इकट्ठा करने का प्रयास करती हैं। दूसरी श्रेणी में भी, पाठ के साथ-साथ उद्देश्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और वसीयत जैसे दस्तावेजों की तीसरी श्रेणी में, यह केवल निष्पादक का इरादा है जो प्रासंगिक है। हमारे सामने मामले में, दोनों के बीच निष्पादित एक अनुबंध होने के नाते

पक्षकार, न्यायालय एक व्याख्या के लिए एक दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है

कानून। अनुबंध की शर्तों को उस तरह से समझना होगा जिस तरह से पक्ष चाहते थे और उनका इरादा था।

उस संदर्भ में, पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इरादे को समझने के लिए संकेतकों के, मैदान या के अलावा अभिव्यक्तियों का व्याकरणिक अर्थ और प्रयोग

समझौते में उचित स्थानों पर अभिव्यक्तियाँ।

61. इसी तरह, सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. v.

उस्तान कॉपर लिमिटेड, (2017) 2 एस. सी. सी. 228, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दो

बिट्रेशन, अर्थात्, एक मूल मंच पर एक मध्यस्थता जिसके बाद एक

एक अपीलीय मंच पर, मध्यस्थता द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा

पार्टियों को एक समझौते में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र पार्टी स्वायत्तता दी गई

ऐसे मंचों पर मंचों का चयन और प्रक्रिया। इसके बाद, इस न्यायालय ने,

"पार्टी की स्वायत्तता" के प्रमुख ने इसे इस प्रकार रखा:

" पार्टी की स्वायत्तता

38. पार्टी की स्वायत्तता वस्तुतः मध्यस्थता की रीढ़ है। यह न्यायालय ने कई फैसलों में यह विचार व्यक्त किया है। दो में

भारत एल्यूमीनियम कंपनी में महत्वपूर्ण अंश v. कैसर

एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा कंपनी. [भारत एल्यूमीनियम कंपनी. v.

कुरियन जोसेफ और अमिताव रॉय, जे. जे.] इस न्यायालय ने पक्षकार के साथ व्यवहार किया संविदाकारी पक्षों के दृष्टिकोण से स्वायत्तता और

वाणिज्यिक अनुबंधों में महत्व। रिपोर्ट के पैरा 5 में, यह

यह देखा गया: (एस. सी. सी पी. 130) “ 5. पार्टी की स्वायत्तता विचार और मार्गदर्शन की भावना है।

मध्यस्थता, पक्ष तीन के आवेदन पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं

उनके पूरे अनुबंध को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानून-(1)

अनुबंध, (2) मध्यस्थता समझौते का उचित कानून, और (3) उचित

मध्यस्थता के संचालन का कानून, जो लोकप्रिय और कानूनी है पार्लेन्स "क्यूरियल लॉ" के रूप में जाना जाता है। परस्पर क्रिया और अनुप्रयोग

एक मध्यस्थता के लिए इन विभिन्न कानूनों को संक्षिप्त रूप से समझाया गया है इस न्यायालय द्वारा सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड

[सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओएनजीसी लिमिटेड, (1998) 1 एससीसी

305] जो उस दिशा में सबसे शुरुआती निर्णयों में से एक है और

जिनका बाद के सभी निर्णयों में लगातार पालन किया गया है।

जिसमें हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. संघ का

भारत [रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2014) 7 एस. सी. सी.

603 : (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 737]।"

(मूल में जोर)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाद में रिपोर्ट के पैरा 10 में कहा गया था: (एससीसी पीपी। 131-32)

दो पक्षकार, न्यायालय किसी कानून की व्याख्या करने के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है। अनुबंध की शर्तों को उस तरह से समझना होगा जिस तरह से पक्ष चाहते थे और उनका इरादा था। उस संदर्भ में, विशेष रूप से समझौतों में मध्यस्थता, जहाँ पक्ष की स्वायत्तता कठोर मानदंड है, पक्षों ने समझौते को कैसे तैयार किया, अभिव्यक्तियों के स्पष्ट या व्याकरणिक अर्थ और समझौते में उचित स्थानों पर अभिव्यक्तियों के उपयोग के अलावा, इरादे को समझने के लिए संकेतकों में से एक है।

(मूल में जोर)

39. भारत संघ में v. यू. पी. स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड [यूनियन]

भारत का वी। यू. पी. स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड (2015) 2 एस. सी. सी. 52: (2015) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 732] इस न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया [मध्यस्थता और सुलह के कानून और व्यवहार पर ओ. पी. मल्होत्रा (तीसरा संस्करण, सुश्री इंदु मल्होत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा संशोधित)] कि ए एंड सी अधिनियम के चार मूलभूत स्तंभ हैं और फिर रिपोर्ट के पैरा 16 में कहा गया है: (एस. सी. सी पी. 64)

" 16. पहले स्तंभ का पहला और सर्वोपरि सिद्धांत 'निष्पक्ष' है।

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा त्वरित और सस्ती सुनवाई '।

अनावश्यक देरी या खर्च पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के उद्देश्य को विफल कर देगा।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता का। दिलचस्प बात यह है कि दूसरा सिद्धांत जो है

अधिनियम में मान्यता प्राप्त चयन में पार्टी की स्वायत्तता है

प्रक्रिया। इसका मतलब है कि यदि कोई विशेष प्रक्रिया है मध्यस्थता समझौते में निर्धारित जो पक्षों के पास है

सहमत हैं, जिसका आम तौर पर सहारा लेना पड़ता है।

(मूल में जोर)

40. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के कानून और व्यवहार [अध्याय 6] में भी यही दृष्टिकोण लिया गया है। निगेल ब्लैकबी, कांस्टेनटाइन पार्टसाइड्स आदि में कार्यवाही का संचालन। , रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन [सिक्स्थ एडन। , © क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2015] पीपी। 353-414 , पैरा 6.07] जिसमें कहा गया है:

" पार्टी की स्वायत्तता निर्धारित करने में मार्गदर्शक सिद्धांत है

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। यह एक

ऐसा सिद्धांत जिसका समर्थन न केवल राष्ट्रीय कानूनों में किया जाता है, बल्कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान, साथ ही साथ

न्यूयॉर्क कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपकरण

और मॉडल कानून "।

41. हालाँकि, तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लेखक [अध्याय 17: जूलियन डी. एम. ल्यू, लुकास ए. मिस्टेलिस आदि में लागू कानून का निर्धारण। , तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (क्लूवर कानून)

अंतर्राष्ट्रीय 2003) पीपी। 411-437 , पैरा 17-8] एक कदम आगे बढ़ते हुए, प्रक्रिया के अलावा, वे कहते हैं कि पार्टी की स्वायत्तता पार्टियों को मूल कानून की अपनी पसंद रखने की अनुमति देती है। ऐसा कहा जाता है:

" सभी आधुनिक मध्यस्थता कानून पक्ष की स्वायत्तता को मान्यता देते हैं,

अर्थात्, पक्षकार मूल कानून निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं या

विवाद के गुण-दोष पर लागू होने वाले नियम जिन्हें हल किया जाना है मध्यस्थता द्वारा। पार्टी की स्वायत्तता अनुबंध करने वाले दलों को प्रदान करती है

और मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी होना चाहिए। यह भी है अधिकांश मध्यस्थता नियमों में पुष्टि की गई।

(मूल में जोर)

42. जो भी हो, कानूनी स्थिति जैसा कि हम इसे समझते हैं, वह यह है कि मध्यस्थता समझौते के पक्षों को [2021] 4 एस. सी. आर. तय करने की स्वायत्तता है।

न केवल अनुसरण किए जाने वाले प्रक्रियात्मक कानून पर बल्कि मूल कानून पर भी। अधिकार क्षेत्र का चुनाव अनुबंध करने वाले पक्षों पर छोड़ दिया गया है। वर्तमान मामले में, पक्षों ने समझौते के खंड 14 के माध्यम से दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली पर सहमति व्यक्त की है और समझौते के खंड 16 में अनुबंध के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।

भारत के कानूनों के अनुसार किया गया अनुबंध। हम दोनों खंडों में से किसी में भी कुछ भी गलत नहीं देखते हैं जिस पर पारस्परिक रूप से सहमति हुई है

पार्टियाँ "।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिच्छेद में, जहां यह तर्क दिया गया था कि दो-स्तरीय मध्यस्थता भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगी,

अदालत ने कहा:

" सार्वजनिक नीति और दो स्तरीय मध्यस्थता

43. अब जो सवाल उठता है वह सार्वजनिक नीति और पार्टी की स्वायत्तता के बीच परस्पर क्रिया है और इसलिए क्या दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को अपनाना सार्वजनिक नीति के विपरीत है। 44. वर्षों पहले, यह अमिकेबल सोसाइटी बनाम में बरोज, जे. के अनुसार कहा गया था। बोलैंड [सौहार्दपूर्ण समाज बनाम। बोलैंड, (1830) 4 ब्लिघ (एनएस) 1945 ईआर 70: 2 डाउ और सी. एल. 1: 6 ईआर 630। [एड। : प्रति बरोज, जे. रिचर्डसन बनाम में भी देखें। मेलिश, 1824 252 पर बिंग 229: 130 303 पर ई. आर. 293, जिसमें उन्होंने यह भी देखा: " सार्वजनिक नीति-यह एक बहुत ही अनियंत्रित घोड़ा है, और जब एक बार आप इसे भटकाते हैं तो आप कभी नहीं जानते कि यह आपको कहाँ ले जाएगा।]] (फंटलरॉय मामला):

" सार्वजनिक नीति एक अशांत घोड़ा है और जब आप इससे भटक जाते हैं,

यह नहीं पता कि यह आपको कहाँ ले जाएगा।

शायद इस अनिश्चितता को दूर करने में सहायता करने के लिए, मस्टिल और बॉयड [द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन इंग्लैंड, लंदन, बटरवर्थ्स 1982 पीपी। 245-246] न्यायालय द्वारा सार्वजनिक नीति के विपरीत माने जाने वाले प्रावधानों के चार वर्गों की पहचान करें। वे इस प्रकार हैं: (i) वे शर्तें जो पुरस्कार की मूल सामग्री को प्रभावित करती हैं; (ii) वे शर्तें जो न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को बाहर करने या प्रतिबंधित करने का तात्पर्य रखती हैं; (iii) वे शर्तें जो मध्यस्थ को अस्वीकार्य तरीके से संदर्भ का संचालन करने की आवश्यकता होती हैं; और (iv)

शर्तें जो मध्यस्थ को अधिकार देने के लिए अभिप्रेत हैं

प्रक्रियाएँ या प्रयोग शक्तियाँ जो विशेष रूप से इसके अंतर्गत आती हैं

न्यायालयों की अधिकारिता। के बीच समझौते का खंड 14

पक्ष इनमें से किसी भी स्थिति में नहीं आते हैं।

*** पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 46. वर्तमान में हम केवल भारत की मौलिक या सार्वजनिक नीति से संबंधित हैं। यहां तक कि भारत की मौलिक नीति के व्यापक चित्रण को भी मानते हुए, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] हम द्विस्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को पसंद करने और स्वीकार करने वाले पक्षों में कुछ भी मौलिक रूप से आपत्तिजनक नहीं पाते हैं। अनुबंध के पक्षों ने किसी भी अनिवार्य को पारित नहीं किया है।

ए एंड सी अधिनियम के प्रावधान से अवगत थे, या कम से कम इस बात से अवगत होना चाहिए था कि वे मध्यस्थता के नियमों के अनुसार भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल द्वारा दिए गए निर्णय की अंतिमता पर सहमत हो सकते थे। भारतीय मध्यस्थता परिषद। फिर भी वे स्वेच्छा से और जानबूझकर

एक दूसरे उदाहरण या अपीलीय मध्यस्थता पर-या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से। इस तरह के किसी भी निषेध या आदेश को नहीं पढ़ा जा सकता है ए एंड सी अधिनियम एक अनुचित और अजीब अधिनियम को छोड़कर

गलत निर्माण और अपनी भाषा को लुप्त होने तक तनाव में डालना। हम इस कारण से चिंतित नहीं हैं कि पक्ष (एच. सी. एल. सहित) दूसरी बार मध्यस्थता के लिए सहमत क्यों हुए-तथ्य यह है कि

उन्होंने ऐसा किया और वे अपने द्वारा किए गए समझौते से बाध्य हैं। एच. सी. एल. अपने द्वारा की गई गंभीर प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकती है।

स्वेच्छा से, जानबूझकर और खुली आँखों के साथ "।

भारत के बाहर सीट बंटवारे को निर्धारित करने में पार्टी की स्वायत्तता के रास्ते में कुछ भी नहीं है, भले ही दोनों पक्ष भारतीय हों।

नल्स, जैसा कि यहाँ ऊपर आयोजित किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10।

62. श्री हिमानी ने यह तर्क देने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित धारा 10 पर भरोसा किया कि भारतीय नागरिकों के बीच सभी मामलों में भारत के बाहर किसी देश में दिए गए पुरस्कारों में धारा 10 (3) डी लागू होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना दिया जाता है। छूट की सराहना करने के लिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 और 21 नीचे दी गई हैं:

" 10. मध्यस्थता मामलों के संबंध में अधिकारिता। कहाँ?

एक मध्यस्थता का विषय एक वाणिज्यिक विवाद है

निर्दिष्ट मूल्य और [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1)

यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है,

ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधानों के तहत जो उच्च न्यायालय में दायर किए गए हैं, उनकी सुनवाई और निपटान वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा, जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है।

ऐसा उच्च न्यायालय।

यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक के अलावा अन्य है

(2)

मध्यस्थता, मध्यस्थता के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील और

सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर किए गए हैं, उनकी सुनवाई की जाएगी और वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा निपटाया गया जहां ऐसे

वाणिज्यिक प्रभाग का गठन इस प्रकार किया गया है

अदालत।

(3)

यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक के अलावा अन्य है

मध्यस्थता, मध्यस्थता के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील और

सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) जो आम तौर पर किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र के किसी भी प्रमुख दीवानी न्यायालय (जो उच्च न्यायालय नहीं है) के समक्ष होगा, उसे वाणिज्यिक न्यायालय में दायर किया जाएगा और सुनवाई और निपटान किया जाएगा। ऐसे मध्यस्थता पर क्षेत्रीय अधिकारिता जहां

वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है।

“ 21. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। — अन्यथा सहेजें

बशर्ते, इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी लिखत में इसके अलावा कुछ भी असंगत होने के बावजूद,

यह अधिनियम "।

63. यह याद रखना चाहिए कि जब मध्यस्थता अधिनियम के भाग II के तहत किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, तो धारा 47 यह स्पष्ट करती है कि यह केवल उच्च न्यायालय है जो वह न्यायालय है जिसके दरवाजे आवेदक को खटखटाने चाहिए। श्री हिमानी द्वारा इसका उत्तर यह कहते हुए दिया जाना चाहिए कि चूंकि धारा 47 का स्पष्टीकरण वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (3) के साथ सीधा टकराव है, इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, धारा 10 (3) धारा 47 के स्पष्टीकरण पर प्रबल होगी।

पी. ए. एस. एल. पवन समाधान पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

64. इस बारे में चर्चा करने से पहले कि क्या उपरोक्त प्रावधानों के बीच कोई सीधा टकराव है, सबसे पहले "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" अभिव्यक्ति के उद्देश्य की सराहना की जानी चाहिए।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (1) में निहित है। हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (च) जो "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए है, अर्थात् मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के उद्देश्य के लिए है। के तहत वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (2) में उपयोग किए गए और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन सी. पी. सी. और भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस संहिता और अधिनियम में क्रमशः सौंपे गए हैं। इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम में निहित परिभाषाएँ हैं।

65. इसलिए हमें यह देखना होगा कि इस अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है।

" अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता "जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (1) में उपयोग किया जाता है।

66. हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक"

मध्यस्थता ", जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (2) के परंतुक में उपयोग किया जाता है, तो यह धारा 2 (1) (च) में निहित परिभाषा का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन इसमें भारत के बाहर होने वाले मध्यस्थता, पुरस्कारों का संदर्भ होगा।

इस तरह के मध्यस्थता में किए गए जो भाग II के तहत लागू किए जा सकते हैं मध्यस्थता अधिनियम। यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 10 (1) मध्यस्थता अधिनियम के भाग I और II दोनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं और उससे उत्पन्न होने वाले आवेदनों या अपीलों पर लागू होती है। जब भाग I के तहत ऐसे मध्यस्थताओं से आवेदन या अपीलें उत्पन्न होती हैं, जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है, तो निस्संदेह, "अंतर्राष्ट्रीय" की परिभाषा

धारा 2 (1) (च) में वाणिज्यिक मध्यस्थता शासित होगी। हालाँकि, जब भाग II पर लागू किया जाता है, तो "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" में मध्यस्थता के एक स्थान का संदर्भ होता है जो भारत के बाहर होने वाले मध्यस्थता के अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय है। इस प्रकार यह समझा जाता है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 47 के स्पष्टीकरण के बीच कोई टकराव नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 के तहत परिभाषित विदेशी निर्णय केवल वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत उच्च न्यायालय में लागू होगा, न कि धारा 10 (2) या धारा 10 (3) के तहत जिला न्यायालय में। 67. अन्यथा भी, इस न्यायालय ने बी. जी. एस. एस. जी. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. बनाम में यह स्पष्ट कर दिया है। एन. एच. पी. सी., (2020) 4 एस. सी. सी. 234 (पैराग्राफ 12 और 13 पर) कि अपील और आवेदनों के बारे में

मूल कानून मध्यस्थता अधिनियम में निर्धारित किया गया है, जबकि इसे नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया [2021] 4 एस. सी. आर. निर्धारित की गई है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में। इस संदर्भ में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की तुलना में एक विशेष अधिनियम है जो सामान्य है और जो मध्यस्थता के अलावा अन्य मामलों में अपीलों और आवेदनों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया पर भी लागू होता है। कांडला में

एक्सपोर्ट कार्पोरेशन। वी. ओ. सी. आई. कार्पोरेशन। , (2018) 14 एस. सी. सी. 715, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 20. फ्यूर्स्ट डे लॉसन में इस अदालत के फैसले को देखते हुए

[फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333: (2011) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178], जिसे संसद को यह जानने के लिए माना जाता है कि उसने मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 कब लागू किया था, और इस तथ्य को देखते हुए कि जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में कोई बदलाव नहीं किया गया था, यह स्पष्ट है कि धारा 50 मध्यस्थता से संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता में निहित प्रावधान है, और जो प्रकृति में संपूर्ण है। इसमें फ़्यूर्स्ट डे लॉसन [फ़्यूर्स्ट डे लॉसन] के पैरा 89 में उल्लिखित नकारात्मक महत्व है।

लिमिटेड वी. जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333: (2011) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178] कि जिन अपीलों का उसमें उल्लेख नहीं है, वे अनुज्ञेय नहीं हैं। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1), एक सामान्य प्रावधान होने के नाते

वाणिज्यिक विवादों से उत्पन्न अपीलों से संबंधित मध्यस्थता, स्पष्ट रूप से धारा 50 द्वारा कवर किए गए मामलों पर लागू नहीं होगी

मध्यस्थता अधिनियम "।

***

बड़ी मात्रा में धन से जुड़े वाणिज्यिक विवादों का तेजी से निपटारा किया जाना चाहिए। दोनों अधिनियमों के उद्देश्यों को देखते हुए, यदि हम एक अतिरिक्त अपील प्रदान करते हैं, जब धारा 50 विदेशी पुरस्कारों को तेजी से लागू करने के लिए एक अपील को समाप्त कर देती है, तो हम मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को बदल देंगे। उनके सिर। मान लीजिए, यदि भारत में लागू किए जाने वाले विदेशी पुरस्कार में निहित राशि 1 करोड़ रुपये से कम थी, और एक एकल

पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस पी. वी. टी. के त्वरित प्रवर्तन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस तरह के निर्णय को लागू करना था, कोई अपील नहीं होगी।

लिमिटेड। वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विदेशी पुरस्कार। तथापि, यदि, समान तथ्य परिस्थितियों में, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक का विदेशी पुरस्कार होना था, यदि अपीलकर्ता सही हैं, तो वाणिज्यिक अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपील प्रदान करके इस तरह के पुरस्कार के प्रवर्तन में और देरी होगी।

न्यायालय अधिनियम। ऐसी कोई भी व्याख्या बेतुकी होगी, और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के सीधे विपरीत होगी। 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का त्वरित समाधान। इस कारण से भी, हम महसूस करते हैं कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) का अर्थ अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुसार लगाया जाना चाहिए। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 का कोई भी निर्माण, जिससे विदेशी पुरस्कार को तेजी से लागू करने के बजाय और देरी होगी, इसलिए,

छोड़ दिया जाए। यहां तक कि सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत को लागू करने पर भी

दोनों कानूनों का निर्माण, यह स्पष्ट है कि वे सबसे अच्छे हैं

विशेष क़ानून अर्थात मध्यस्थता अधिनियम, बनाम अधिक सामान्य क़ानून, अर्थात् वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, को मध्यस्थता के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए छोड़ दिया गया है।

68. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मध्यस्थता और सुलह समाप्ति) अधिनियम, 2015 और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, दोनों

23.10.2015 से प्रभावी। आर. एस. रघुनाथ बनाम की स्थिति

अताका, (1992) 1 एस. सी. सी. 335, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बाद का सामान्य भी जिसमें एक गैर-अवरोधक खंड शामिल है, एक विशेष धारा को ओवरराइड नहीं करता है, दोनों को निम्नानुसार संचालित करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए:

" 13. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, एक स्पष्ट विसंगति होनी चाहिए दो अधिनियमों के बीच गैर-अवरोधक खंड को एक अधिस्थापक प्रभाव देने से पहले लेकिन जब के प्रावधानों का दायरा

एक पूर्व अधिनियम स्पष्ट है कि इसमें कटौती नहीं की जा सकती है

गैर-बाध्यकारी खंड का सहारा लें। तत्काल मामले में हमने देखा है कि सामान्य नियम भी जिनका नियम 3 (2) एक हिस्सा है।

चयन द्वारा पदोन्नति प्रदान करें। वास्तव में नियम 1 (3) (क) और 3 (1) और 4 विशेष नियमों की प्रवर्तनीयता के लिए भी प्रावधान करते हैं। सामान्य नियमों का नियम 3, जो भर्ती का प्रावधान करता है, चयन द्वारा पदोन्नति का भी प्रावधान करता है और आगे यह निर्धारित करता है कि

भर्ती के तरीके विशेष नियमों, यदि कोई हों, में निर्दिष्ट किए गए होंगे। इस पृष्ठभूमि में अगर हम जांच करते हैं

सामान्य नियम यह स्पष्ट हो जाता है कि इन नियमों का उद्देश्य

केवल सभी की सेवाओं में भर्ती के लिए व्यापक रूप से प्रदान करना है

विभागों और उन्हें आम तौर पर स्थितियों को कवर करने के लिए तैयार किया जाता है [2021] 4 एस. सी. आर.

जो किसी विशेष के विशेष नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं

विभाग। ऐसी स्थिति में नियमों सहित दोनों नियम

1 (3) (सामान्य नियमों के क), 3 (1) और 4 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अगर

तो पढ़ें यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई विसंगति नहीं है और कि नियम 3 (2) को सम्मिलित करके किया गया संशोधन केवल सामान्य नियमों में एक संशोधन है और इसकी व्याख्या इस रूप में नहीं की जा सकती है कि

विशेष नियम। संशोधन को सामान्य नियमों के नियम 1 (3) (ए), 3 (1) और 4 (2) के अधीन होने के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए।

संशोधन को अन्य सभी विशेष संशोधनों को निरस्त करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। सभी विभागों के संबंध में नियम। किसी मामले में जहां कोई विशेष नियम नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से सामान्य नियम होंगे -

लागू होता है। सिर्फ इसलिए कि एक अबाधित खंड है, नियम 3 (2) में यह व्याख्या नहीं की जा सकती है कि सामान्य नियमों में उक्त संशोधन हालांकि बाद में समय के साथ विशेष नियम को निरस्त कर देगा, जिसका दायरा बहुत स्पष्ट है और कौन सा सह-अस्तित्व में है, विशेष रूप से जब कोई पेटेंट संघर्ष या विसंगति नहीं लिखी जा सकती है। के रूप में

सामान्य नियमों के पहले से ही उल्लिखित नियम 1 (3) (ए), 3 (1) और 4

स्वयं चयन द्वारा पदोन्नति प्रदान करते हैं और

उस संबंध में विशेष नियमों की प्रवर्तनीयता। इसलिए वहाँ

जनरल के बीच कोई पेटेंट संघर्ष या असंगति नहीं है

और विशेष नियम "। 69. नतीजतन, अपीलार्थी का यह तर्क भी विफल हो जाता है।

क्या मध्यस्थता की धारा 9 के तहत एक आवेदन

अधिनियम झूठ बोलेगा

70. श्री दीवान ने प्रति-आपत्ति के माध्यम से चुनौती दी है

गुजरात उच्च न्यायालय का इस आक्षेपित निर्णय द्वारा निष्कर्ष कि प्रतिवादी द्वारा किया गया धारा 9 आवेदन "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक" अभिव्यक्ति के कारण बनाए रखने योग्य नहीं था

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (च) द्वारा उल्लिखित अर्थ रखने वाली धारा 2 (2) के परंतुक में दिखाई देने वाला मध्यस्थता। हम ऊपर पैराग्राफ 14 में पहले ही मान चुके हैं कि कानून का यह दृष्टिकोण गलत है।

नतीजतन, निर्णय के इस हिस्से को दरकिनार कर दिया गया है, यह अभिनिर्धारित किया जा रहा है कि धारा 9 के तहत प्रतिवादी द्वारा किया गया आवेदन बनाए रखने योग्य होगा।

71. हमारे द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आलोक में, हम गुजरात उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार रखते हैं, सिवाय धारा पर निष्कर्ष के।

9 प्रत्यर्थी का आवेदन गैर-रखरखाव योग्य माना जा रहा है। द.

अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपी

ल का निपटारा किया गया।

निधि जैन